

अध्याय 3
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

3.1 यूरिया की उपलब्धता और गुणवत्ता नियंत्रण

यद्यपि यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त थी, फिर भी प्रणालीगत कमियां, जैसे कि यूरिया के बफर स्टॉक का रख-रखाव नहीं करना तथा किसानों द्वारा अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग करना, थीं। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का पालन नहीं किया गया था क्योंकि उर्वरकों के नमूनों के संग्रहण में कमी, उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का कम उपयोग और उन डीलरों, जिनके नमूने अवमानक पाए गए थे, के विरुद्ध अपर्याप्त कार्रवाई के दृष्टांत पाए गए थे। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का भी कम उपयोग किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का कार्यान्वयन धीमी गति से हुआ।

3.1.1 प्रस्तावना

उर्वरक कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं और किसानों को इसकी समय पर आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार की सहायता से किसानों को उर्वरकों की समय पर आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। राज्य में खपत होने वाले प्रमुख उर्वरक डाय-अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया हैं। उर्वरकों की बिक्री, मूल्य निर्धारण तथा गुणवत्ता को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान में, केवल यूरिया आंशिक नियंत्रण में है और अन्य उर्वरक विनियंत्रित हैं। राज्य में डाय-अमोनियम फॉस्फेट और यूरिया का वितरण राज्य सरकार की एक एजेंसी हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और हरियाणा मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (हैफेड) तथा निजी नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। राज्य में यूरिया की कुल खपत का लगभग 30 प्रतिशत और डाय-अमोनियम फॉस्फेट की कुल खपत का लगभग 35 प्रतिशत हैफेड द्वारा तथा शेष निजी डीलरों द्वारा खरीदा और वितरित किया जाता है।

राज्य में यूरिया की उपलब्धता का आकलन करने की दृष्टि से तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को यूरिया की आपूर्ति में निर्धारित गुणवत्ता जांच की गई है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग निदेशालय तथा कृषि उप-निदेशकों की अध्यक्षता वाले पांच¹ जिला कार्यालयों के वर्ष 2012-18 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी। नमूना-जांच के लिए जिला कार्यालयों का चयन आइडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्ट्रेटीफाईड सैंपलिंग तकनीक का उपयोग करके किया गया था। इसके अतिरिक्त, करनाल में स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला तथा करनाल, हिसार और रोहतक में स्थित उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की भी उनकी कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए नमूना-जांच की गई थी।

¹ (i) कुरुक्षेत्र, (ii) करनाल, (iii) पानीपत, (iv) जींद तथा (v) नारनौल में महेन्द्रगढ़।

3.1.2 उर्वरकों की उपलब्धता

2012-18 के दौरान राज्य द्वारा यूरिया की अनुमानित मांग के संदर्भ में इसकी उपलब्धता पर्याप्त थी (*परिशिष्ट 3.1*)। तथापि, जैसे कि यूरिया के बफर स्टॉक का रख-रखाव न करना, लाइसेंसों का नवीकरण न करना, मानदंडों से अधिक यूरिया का उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का धीमा कार्यान्वयन, आदि प्रणालीगत कमियां थीं जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

3.1.2.1 यूरिया के बफर स्टॉक का रख-रखाव न करना

उर्वरक की मांग का आकलन फसली क्षेत्र, सिंचाई हेतु क्षेत्र, मृदा स्वास्थ्य की स्थिति, आदि के आधार पर किया जाता है और जिला कृषि कार्यालयों द्वारा कृषि निदेशालय को इसके आंकड़े भेजे जाते हैं, जो कि राज्य की मांग का आकलन करने के लिए सभी जिलों के आंकड़ों का संकलन करता है।

किसानों के लिए यूरिया की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने यूरिया खरीदने के लिए तथा कम उपभोग अवधि में बफर स्टॉक के रख-रखाव के लिए हैफेड को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया। विभाग, राज्य की कुल आवश्यकता के आधार पर हैफेड द्वारा यूरिया की खरीद के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लक्ष्य तय करता है।

हैफेड ने 2012-18 के दौरान किसी भी वर्ष में विभाग द्वारा तय लक्ष्य के अनुसार बफर स्टॉक का रख-रखाव नहीं किया था। हैफेड ने 2012-18 (*परिशिष्ट 3.2*) के दौरान 38.79 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लक्ष्य के विरुद्ध 17.74 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खरीद की, जिसके परिणामस्वरूप बफर स्टॉक का रख-रखाव नहीं हुआ। कृषि मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और आदेश दिया (फरवरी 2018) कि हैफेड द्वारा यूरिया/डाय-अमोनियम फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा को बनाए न रखने की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

अपर-निदेशक (विस्तार) ने हैफेड द्वारा बफर स्टॉक का रख-रखाव न करना स्वीकार करते हुए (जून 2018) विफलता के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए।

3.1.2.2 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का धीमी गति से कार्यान्वयन और मानदंडों से अधिक यूरिया का उपयोग

भारत सरकार द्वारा फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाना था, जिसमें इनपुट के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसलवार सिफारिशें होंगी।

योजना का कार्यान्वयन बहुत खराब था क्योंकि केवल 11.52 प्रतिशत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए थे। 2015-18 के दौरान राज्य में 45,40,560 किसानों के विरुद्ध केवल 5,23,090 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए थे (*परिशिष्ट 3.3*)।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि किसान आवश्यकता से अधिक यूरिया का उपयोग कर रहे थे, जिसका प्रयोग आसपास के वातावरण के लिए ग्रीनहाउस प्रभाव और अम्लीय वर्षा जैसे संभावित खतरे को तीव्र करता है। 2012-18 के दौरान चयनित जिलों (*परिशिष्ट 3.4*) में कुरुक्षेत्र जिले में एक सीजन (खरीफ 2017-18) और पानीपत जिले में दो सीजन (खरीफ और रबी 2017-18) को

छोड़कर यूरिया की प्रति हेक्टेयर खपत तय मापदंडों से अधिक 1.54 तथा 53.23 प्रतिशत के मध्य थी। निदेशालय ने बताया (नवंबर 2017) कि किसान फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक का अत्यधिक उपयोग कर रहे थे, लेकिन उनके विभागीय कर्मचारी किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने के लिए शिक्षित कर रहे थे।

कृषि उप-निदेशक, कुरुक्षेत्र ने बताया (सितंबर 2017) कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण में कमी, मिट्टी के नमूनों के परीक्षण के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, पेहोवा में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का कार्यशील न होना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल के धीमी गति से काम करने के कारण थी। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की कम कवरेज होने के कारण किसानों को यूरिया के उचित उपयोग के बारे में अवगत नहीं करवाया जा सका जिसके फलस्वरूप उर्वरकों का अधिक प्रयोग हुआ।

3.1.2.3 उर्वरक डीलरों द्वारा लाइसेंसों का नवीकरण न करवाना

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3 के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 जारी किया गया था। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की खंड 11 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारक का प्रमाण-पत्र जब तक नवीकृत, निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है, तब तक वह जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए मान्य होगा।

जौंद जिले में, 976 व्यापारियों में से 246 व्यापारियों ने अपने लाइसेंसों को नवीकृत नहीं करवाया था, हालांकि उनकी अवधि 2012 और 2017 के मध्य समाप्त हो गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन व्यापारियों की व्यावसायिक गतिविधियों को सत्यापित करने के लिए विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, इन व्यापारियों द्वारा वैध लाइसेंस के बिना व्यापार किया जा रहा था।

इसी प्रकार, कृषि उप-निदेशक, कुरुक्षेत्र के अभिलेखों के अनुसार पांच लाइसेंसधारकों के लाइसेंस मार्च 2007 और मार्च 2011 के मध्य समाप्त हो गए थे किंतु वे दिसंबर 2012 तक अपना कारोबार कर रहे थे। कृषि उप-निदेशक, कुरुक्षेत्र ने बताया (अक्टूबर 2017) कि एक सहकारी समिति को छोड़कर सभी डीलरों को नए लाइसेंस जारी कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि नए लाइसेंस जारी किए गए थे, लेकिन वैध लाइसेंस के बिना कारोबार करने वालों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी। **दोषियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अंतर्गत कम से कम तीन महीने की कैद, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, के साथ जुर्माने की सजा हो सकती थी।**

बफर स्टॉक का अनुरक्षण न होने से वर्ष के दौरान यूरिया की उपलब्धता में बाधा आई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का कम कवरेज होने के कारण किसानों को यूरिया के उचित उपयोग के बारे में अवगत नहीं करवाया जा सका। इसके अतिरिक्त, विभाग ने उन व्यापारियों, जिन्होंने अपने लाइसेंसों को नवीकृत नहीं करवाया था, की व्यवसायिक गतिविधियों की जांच के लिए सर्वेक्षण नहीं करवाया।

3.1.3 गुणवत्ता नियंत्रण

3.1.3.1 उर्वरक नमूनों के संग्रहण में कमी

कृषि निदेशालय, डीलरों द्वारा गुणवत्ता उर्वरक की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए बिक्री केंद्रों से गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकों द्वारा उर्वरक के नमूने लेने के लिए माह-वार और जिला-वार लक्ष्य तय करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2012-18 के दौरान चयनित जिलों में 6,267 नमूने एकत्र करने के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 4,709 नमूने एकत्र किए गए थे और 1,558 नमूनों (25 प्रतिशत) की कमी थी। इस प्रकार, गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली पूरी तरह से लागू नहीं की गई थी। व्यापारियों द्वारा बेचे जा रहे अवमानक उर्वरक जोखिम से भरा था क्योंकि यह मिट्टी और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा सकते थे।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2018) कि नमूनों के संग्रहण में कमी का मुख्य कारण मानव शक्ति का कम होना था।

3.1.3.2 उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का कम प्रयोग करना

राज्य में तीन उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं थीं। प्रत्येक प्रयोगशाला का नमूने का विश्लेषण करने की क्षमता 1,700 नमूने प्रति वर्ष थी। 2017-18 में उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, करनाल की क्षमता बढ़ा कर 1,850 नमूने कर दी गई और उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, रोहतक की क्षमता घटा कर 1,000 नमूने कर दी गई। तथापि, यह देखा गया कि तीनों प्रयोगशालाओं का कम उपयोग किया गया था। 2012-18 के दौरान उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, करनाल में नमूनों के विश्लेषण में कमी 23.82 और 60.88 प्रतिशत (वर्ष 2012-13 को छोड़कर) के मध्य थी, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, हिसार में यह कमी 11.47 और 69.59 प्रतिशत (2012-14 को छोड़कर) के मध्य थी जबकि उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, रोहतक में यह कमी 32.43 और 82.17 प्रतिशत (परिशिष्ट 3.5) के मध्य थी।

प्रयोगशालाओं में तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की कमी थी। 2012-13 से 2017-18 के दौरान तकनीकी मानव शक्ति में कमी 45.45 प्रतिशत से 77.78 प्रतिशत के मध्य और गैर-तकनीकी कर्मचारियों के संबंध में 14.29 प्रतिशत और 64.29 प्रतिशत के मध्य रही (परिशिष्ट 3.6)। तकनीकी मानव शक्ति की कमी के परिणामस्वरूप लक्ष्य के संदर्भ में प्रयोगशालाओं में नमूनों के विश्लेषण में कमी आई, जिससे विभाग की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में बाधा उत्पन्न हुई।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, हिसार में उपकरणों की कमी थी। 2017-18 तक 115 उपकरणों की स्थापना की योजना के विरुद्ध केवल 61 उपकरण स्थापित किए गए थे एवं 54 उपकरणों (परिशिष्ट 3.7) की कमी रही। इसके परिणामस्वरूप, 2015-18 के दौरान प्रयोगशालाओं में नमूनों का विश्लेषण करने में कमी थी।

अपर-निदेशक (विस्तार) ने बताया (जून 2018) कि वे संविदा पर कर्मचारियों को तैनात करके समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। 54 उपकरणों की स्थापना नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया गया था।

3.1.3.3 नमूनों की अवमानक स्थिति और की गई कार्रवाई

2012-18 के दौरान, 17,517 उर्वरक नमूनों में से 527 उर्वरक नमूने अवमानक गुणवत्ता के पाए गए (परिशिष्ट 3.8)।

2012-13 से 2017-18 के दौरान नमूना जांच किए गए जिलों में 46 उर्वरक नमूने (कुरुक्षेत्र: 17, करनाल: 13, पानीपत: 8 और जींद: 8) अवमानक पाए गए (परिशिष्ट 3.9)। केवल नौ मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की गई, जबकि नीचे दिए गए 37 डीलरों के विरुद्ध पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी।

नौ मामलों में, उर्वरक डीलरों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बजाय उन्हें केवल चेतावनी दी गई थी, तीन मामले लंबित थे और अन्य तीन मामलों में, केवल यूरिया की खेप का मूल्य तय किया गया था और डीलर को किसी भी गैर-कृषि उद्देश्य के लिए यूरिया बेचने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। 22 दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.1.3.4 निरीक्षण करने में कमी

कृषि निदेशालय के निर्देशों (मई 2014) के अनुसार प्रत्येक माह सभी कृषि उप-निदेशकों, गुणवत्ता निरीक्षकों, उप-मंडलीय कृषि अधिकारियों और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारियों द्वारा कम से कम पांच बिक्री केंद्रों की जांच की जानी अपेक्षित थी और खंड कृषि अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह दो उर्वरक बिक्री केंद्रों की जांच की जानी अपेक्षित थी। हालांकि, नमूना-जांच किए गए जिलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित संख्या में निरीक्षण नहीं किए गए थे। नमूना-जांच किए गए जिलों में निरीक्षण करने में कमी 71 से 92 प्रतिशत के मध्य थी। यूरिया की कालाबाजारी (चार, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल और जींद प्रत्येक में एक-एक मामला), विपथन (पानीपत में दो मामले), तस्करी (करनाल में एक मामला) के मामले थे। यूरिया की कालाबाजारी, विपथन और तस्करी की रोकथाम के लिए निदेशालय के निर्देशों के अनुसार निरीक्षण प्रणाली को मजबूत नहीं किया गया था।

3.1.3.5 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली

राज्य में 34 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं थी, जिनमें से 2012-17 के दौरान 12 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं तकनीकी कर्मचारियों की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की सुविधा उपलब्ध न होने आदि के कारण संचालन में नहीं थी। तथापि इनमें से 11 प्रयोगशालाओं (नारायणगढ़ में स्थित प्रयोगशाला को छोड़कर) को वर्ष 2017-18 से कार्यात्मक बनाया गया था।

वर्ष 2012-18 के दौरान, क्षमता के संदर्भ में नमूनों के विश्लेषण में कमी थी, वर्ष 2016-17 को छोड़कर जिसमें अतिरिक्त प्रयास और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मदद से 2,15,000 नमूनों की जांच की क्षमता के विरुद्ध 6,35,046 नमूनों की जांच की गई थी। 2012-18 के दौरान इन प्रयोगशालाओं में मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण करने में 13.49 प्रतिशत और 45.92 प्रतिशत के मध्य कमी आई (परिशिष्ट 3.10)। इसके परिणामस्वरूप, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में कमी

आई, जैसा कि अनुच्छेद 3.1.2.2 में चर्चा की गई है। 2012-18 के दौरान तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी थी। तकनीकी मानवशक्ति में कमी 58.50 प्रतिशत और 86.81 प्रतिशत के मध्य थी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों की कमी 45.95 प्रतिशत और 73.61 प्रतिशत के मध्य थी (परिशिष्ट 3.11)। तकनीकी मानवशक्ति के अभाव में इन प्रयोगशालाओं में लक्ष्यों के विरुद्ध नमूनों का कम विश्लेषण किया गया था।

संयुक्त निदेशक (मृदा परीक्षण) करनाल ने बताया (सितंबर 2017) कि कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयोगशालाओं को दो शिफ्टों में चलाया जाएगा।

नमूनों के संग्रहण में कमी के कारण जोखिम था क्योंकि व्यापारियों द्वारा बेचे जा रहे अवमानक उर्वरक मिट्टी और किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा सकते थे। जहां उर्वरकों के नमूने घटिया पाए गए, वहां कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। यूरिया की कालाबाजारी, विपथन और तस्करी की जांच के लिए निदेशालय के निर्देशों के अनुसार निरीक्षण प्रणाली को मजबूत नहीं किया गया था।

3.1.4 निष्कर्ष

2012-18 के दौरान राज्य द्वारा अनुमानित आवश्यकता के संदर्भ में यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त थी। तथापि, वर्ष भर यूरिया की उपलब्धता के लिए यूरिया के बफर स्टॉक का रख-रखाव न करना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार न करने के कारण मानदंड से अधिक यूरिया का उपयोग हुआ, जिससे आसपास के पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया, जैसी प्रणालीगत कमियां थी और यूरिया की कालाबाजारी, विपथन और तस्करी की रोकथाम के लिए लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण नहीं किया गया। उर्वरकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का ठीक से पालन नहीं किया गया था क्योंकि उर्वरक के नमूनों के संग्रहण में कमी, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का कम उपयोग और उन डीलरों के विरुद्ध अपर्याप्त कार्रवाई की गई थी जिनके नमूने अवमानक पाए गए थे, जैसे दृष्टांत थे।

चूंकि विभाग ने कमियों के लिए मानवशक्ति की कमी को जिम्मेदार ठहराया है, इसलिए सरकार को विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए इस कमी का तुरंत समाधान करना चाहिए।

ये बिंदु जून 2018 में सरकार के पास भेजे गए थे और जनवरी 2019 में पुनः अनुस्मारक जारी किया गया था; लेकिन उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (मई 2019)।

3.2 अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल उपयोग की निगरानी

भू-जल प्रबंधन के लिए भू-जल कक्ष काफी कम कर्मचारियों के साथ काम कर रहा था, जो कि उनकी गतिविधियों को पूरा करने की क्षमता को कम कर रहा था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण और पीज़ोमीटर के स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था। भू-जल निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की शर्तों के अनुपालन पर निगरानी रखने में कमी थी तथा पानी के मीटरों की स्थापना न करना, निर्धारित सीमा से अधिक ट्यूबवेलों का निर्माण, पीज़ोमीटरों स्थापित न करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण एवं रख-रखाव न करने के कई उदाहरण थे।

3.2.1 प्रस्तावना

पानी जीवन, जीवित रहने और आजीविका के लिए आवश्यक है और इसका सतत विकास और कुशल प्रबंधन भारत में एक जटिल चुनौती है। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण, जो कि देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय एजेंसी है जिसे देश में भू-जल संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण ने देश में भू-जल विकास के नियमन के लिए केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण ने 162 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। देश में अधिसूचित क्षेत्रों के लिए जिला प्रशासनिक प्रमुखों (उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर) जो कि सलाहकार समितियों द्वारा परामर्श प्राप्त करते हैं, को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) की धारा 4 के अंतर्गत भू-जल विकास को विनियमित करने के लिए केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है। भू-जल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने, उल्लंघनों की जांच करने, भू-जल निकासी ढांचा को सील करने, दोषियों के विरुद्ध अभियोजन शुरू करने, शिकायतों का निपटान करने, आदि से संबंधित सभी मामलों पर प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने अपने राज्य में भू-जल प्राधिकरणों का गठन किया है या जहां राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, को छोड़कर उद्योगों/आधारभूत संरचनाओं/खनन परियोजनाओं के लिए गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं। हरियाणा ने अपने राज्य में भू-जल प्राधिकरण का गठन नहीं किया है। इसलिए केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा राज्य में गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में इन प्रयोजनों के लिए भू-जल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

सतह और भू-जल संसाधनों के संबंध में हरियाणा पानी की कमी वाला राज्य है। राज्य में भू-जल स्तर, विशेष रूप से ताजे भू-जल क्षेत्र भू-जल के अधिक दोहन के कारण तेजी से घट रहा है। राज्य में जून 1999 से जून 2018 के दौरान वाटर टेबल में औसत गिरावट 10.18 मीटर थी जबकि 2013-18 के दौरान जलस्तर में गिरावट 2.41 मीटर (17.16 मीटर से 19.57 मीटर) थी (परिशिष्ट 3.12)। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण ने राज्य के 11² जिलों में स्थित 17 क्षेत्रों/ब्लॉकों को

² (i) भिवानी, (ii) फरीदाबाद, (iii) फतेहाबाद, (iv) गुरुग्राम, (v) कैथल, (vi) करनाल, (vii) कुरुक्षेत्र, (viii) पानीपत, (ix) रेवाड़ी, (x) सिरसा तथा (xi) महेन्द्रगढ़।

अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया है, जहां पीने का पानी और घरेलू उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी तरह की ऊर्जा के माध्यम से भू-जल निकालने की अनुमति नहीं दी जाती है। 2013-18 के दौरान, राज्य के पांच जिलों में संबंधित जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को पीने का पानी और घरेलू उपयोगों के लिए भू-जल निकालने के लिए 30³ अनापति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इस अवधि के दौरान राज्य में व्यक्तिगत परिवारों को कोई अनापति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था।

हरियाणा में भू-जल प्रबंधन के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अन्तर्गत मुख्य भू-जल-वैज्ञानिक की अध्यक्षता में एक भू-जल कक्ष काम कर रहा है। भू-जल कक्ष जल स्तर की निगरानी, संभावित वाटर पॉकेट्स की पहचान करने के लिए सूक्ष्म स्तर के सर्वेक्षण, वर्षा की मात्रा नापने वाले स्टेशनों की निगरानी, लघु सिंचाई योजनाओं के लिए किसानों का प्रशिक्षण, भू-जल को बढ़ाने के लिए सरकारी भवनों में छत के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण आदि गतिविधियाँ करता है। विभिन्न जिलों में भू-जल वैज्ञानिक/सहायक भू-वैज्ञानिक के 10⁴ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल निकालने की निगरानी के लिए जिला प्रशासन के अंतर्गत नोडल अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं।

2013-18 की अवधि के भू-जल कक्ष के अभिलेखों की जांच यह पता लगाने के लिए कि अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल के सतत विकास के लिए भू-जल निगरानी, मूल्यांकन और विनियमों के लिए तंत्र प्रभावी था या नहीं, की गई। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (उत्तर-पश्चिम क्षेत्र), चण्डीगढ़ के सदस्य और सभी 30 इकाइयों के प्राधिकृत अधिकारियों के साथ मिलकर फरवरी और मई 2018 के मध्य अनापति प्रमाण-पत्रों की शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था।

3.2.2 भू-जल कक्ष की कार्यप्रणाली

3.2.2.1 भू-जल प्रबंधन के लिए स्टाफ की अत्यधिक कमी

31 मार्च 2018 को भू-जल कक्ष में 46 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल सात व्यक्ति कार्यरत थे। इसी प्रकार, भू-जल कक्ष के क्षेत्रीय कार्यालयों में जल-वैज्ञानिकों और सहायक भू-वैज्ञानिक के क्रमशः 135 और 110 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 37 तथा 34 व्यक्ति कार्यरत थे। इस प्रकार, भू-जल प्रबंधन की गतिविधियों को 291 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 78 व्यक्तियों (27 प्रतिशत) के साथ किया गया था।

3.2.2.2 रेन वाटर हार्वेस्टिंग के निर्माण और पीजोमीटर की स्थापना के लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वह तकनीक है जिसके माध्यम से बारिश के पानी को छत से इकट्ठा करके जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। कृत्रिम रिचार्ज तकनीक को अपनाकर वर्षा के जल को उप-सतही भू-जल भंडार में संग्रहित किया जा सकता है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मुख्य

³ फरीदाबाद-13, फतेहाबाद-8, करनाल-4, कुरुक्षेत्र-3 तथा महेंद्रगढ़-2

⁴ भू-जल वैज्ञानिक: अंबाला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम तथा रोहतक; सहायक भू-वैज्ञानिक: भिवानी, जौंद, कुरुक्षेत्र, सिरसा तथा नारनौल।

उद्देश्य भविष्य में उपयोग के लिए पानी उपलब्ध करवाना है। 2013-18 के दौरान, भू-जल कक्ष को सरकारी भवनों में 471 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण के लिए ₹ 3.85 करोड़ की राशि आबंटित की गई थी, जिसके विरुद्ध ₹ 2.55 करोड़ के व्यय के साथ केवल 241 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया। इसी प्रकार, इसी समयावधि में 339 पीज़ोमीटर की स्थापना के लिए ₹ 3.25 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध ₹ 2.44 करोड़ के व्यय के साथ केवल 242⁵ पीज़ोमीटरों की स्थापना की गई थी (विवरण **परिशिष्ट 3.13** में दिए गए हैं)। इस प्रकार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण और पीज़ोमीटर की स्थापना के लक्ष्य अप्राप्त रहे।

इसके अतिरिक्त, किसानों को लघु सिंचाई के लिए प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था तथा भू-जल प्रबंधन और नियंत्रण के लिए उपयोगकर्ता समूहों/ सामुदायिक भागीदारी/पंचायतों आदि को शामिल करने के लिए यंत्रावली विकसित नहीं की गई थी।

सरकार ने बताया (जनवरी 2019) कि स्टाफ की कमी के बावजूद रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण और पीज़ोमीटर की स्थापना के लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण लघु सिंचाई के लिए किसानों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका तथा भू-जल प्रबंधन के लिए जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि भू-जल कक्ष को मजबूत करने और जिला स्तर के कार्यालयों की संख्या को बढ़ाकर 22 करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण और पीज़ोमीटर की स्थापना भू-जल स्तर की रिचार्जिंग और निगरानी के लिए आवश्यक थी और इस मुद्दे का समुचित रूप से समाधान नहीं किया गया था।

3.2.3 अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल की निकासी के लिए अनापति प्रमाण-पत्र जारी करना तथा उनकी शर्तों का अनुपालन

अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ऊर्जा के साधन के माध्यम से भू-जल निकालने की अनुमति पीने का पानी और घरेलू उपयोग के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग के लिए नहीं दी जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित सलाहकार समिति के परामर्श से अनुमति दी जाएगी।

भू-जल निकासी संरचनाओं के निर्माण/पीने का पानी और घरेलू उपयोग के लिए मौजूदा कुओं, जो चालू अवस्था में नहीं हैं, के प्रतिस्थापन के लिए अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त दिया जा सकता है। भू-जल निकासी के लिए अनापति प्रमाण-पत्र तभी दिया जाएगा जब जल आपूर्ति विभाग उस क्षेत्र/परिसर में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करा रहा हो। सरकारी जलापूर्ति एजेंसियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अनापति प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बोर-वेल के अधिकतम व्यास, पंपों की क्षमता, पानी के मीटर व पीज़ोमीटर, की स्थापना, आदि जैसी शर्तें इकाइयों पर अनुपालन के लिए लगाई जाती हैं। शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई को आकर्षित करता है।

⁵ तरल या गैस के दबाव को मापने का एक उपकरण। भू-जल के दबाव या गहराई की निगरानी के लिए पीज़ोमीटर को अक्सर बोरहोल में रखा जाता है।

3.2.3.1 सलाहकार समितियों की बैठक निर्धारित अंतराल पर आयोजित नहीं की गई

जिला प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में भू-जल विकास के विनियमन की निगरानी सलाहकार समितियों⁶ के परामर्श से की जानी है। भू-जल कक्ष के क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् जल-वैज्ञानिक या भू-वैज्ञानिकों का कार्यालय भू-जल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए नोडल कार्यालय हैं।

उपायुक्त, फरीदाबाद की अध्यक्षता में अगस्त 2009 में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भू-जल विकास की प्रगति की निगरानी के लिए सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में दो बार होनी चाहिए। तथापि, अन्य चार चयनित जिलों में सलाहकार समितियों की बैठकों के लिए कोई समयावधि तय नहीं की गई थी। तथापि, वर्ष 2013-18 की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करने के बजाय भू-जल की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ही सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित की गई थीं। इस समयावधि के दौरान पांच नमूना-जांच वाले जिलों में 13⁷ बैठकें आयोजित की गई थीं।

सलाहकार समितियों के माध्यम से भू-जल विकास की निगरानी में कमी थी जिसने भू-जल विकास की प्रगति की निगरानी के विचारित उद्देश्य को ही समाप्त कर दिया।

3.2.3.2 अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों की निगरानी न करना

भू-जल के विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र में निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई यंत्रावली विकसित नहीं की गई थी। अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। विभाग के किसी भी अधिकारी ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद, न तो साइटों का दौरा किया और न ही रिटर्न के माध्यम से दो इकाइयों⁸ को छोड़कर भू-जल निकालने वाली इकाइयों की अनुपालना देखी। इसके परिणामस्वरूप, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा ने भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि इकाइयां अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रही थीं जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

(i) पानी के मीटरों की स्थापना

अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुसार, नलकूपों/बोरवेलों से निकाले गए पानी को मापने के लिए इकाइयों द्वारा पानी के मीटर स्थापित करना, पानी निकालने का दैनिक अभिलेख रखा जाना अपेक्षित था ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी तय सीमा के अंदर निकाला गया है।

⁶ अपर उपायुक्त, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, केंद्रीय भू-जल बोर्ड के प्रतिनिधि, भू-जल कक्ष के भूगर्भ जल-वैज्ञानिक/सहायक भू-वैज्ञानिक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आदि सलाहकार समिति के सदस्य हैं।

⁷ फरीदाबाद: 4, फतेहाबाद: 3, करनाल: 2, कुरुक्षेत्र: 3 और महेन्द्रगढ़: 1

⁸ (i) आदेश हरियाणा विश्वविद्यालय, मोहरी (कुरुक्षेत्र) और (ii) मीरीपीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, शाहबाद (कुरुक्षेत्र)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 इकाइयों में से 12 इकाइयों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र में भू-जल के दैनिक निकास की मात्रा को मापने के लिए पानी के मीटरों की स्थापना संबंधी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, साइटों के भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ नमूना-जांच किए गए (मामलों का विवरण **परिशिष्ट 3.14** में दिया गया है)। 30 इकाइयों में से 23 इकाइयों द्वारा पानी के मीटर स्थापित नहीं किए गए थे, तीन इकाइयों⁹ ने पानी के मीटर लगाए थे, लेकिन पानी की दैनिक निकासी का अभिलेख रखने के लिए लॉग बुक का रख-रखाव नहीं किया गया था। इसलिए, पानी की निकासी की वास्तविक मात्रा की तुलना तय सीमा के साथ नहीं की जा सकी। कुरुक्षेत्र जिले की केवल दो¹⁰ इकाइयां ही लॉग बुक का रख-रखाव कर रही थीं और पानी के निकासी की मात्रा भी वास्तविक तय सीमा के भीतर थी। दो इकाइयों¹¹ में ट्यूबवेल की स्थापना की प्रक्रिया चल रही थी।

पानी के मीटरों की स्थापना न करने और लॉग बुक्स का रखरखाव न करने से इकाइयों द्वारा अधिक भू-जल निकालने का जोखिम है।

(ii) नलकूपों की स्थापना में अनियमितता

अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निबंधन एवं शर्तों में प्रत्येक मामले में इकाइयों द्वारा स्थापित किए जाने वाले नलकूपों की संख्या के साथ नलकूपों के व्यास के विनिर्देश और पंपों की क्षमता निर्धारित की गई थी।

साइटों के भौतिक सत्यापन से पता चला है कि तीन¹² इकाइयों ने पांच नलकूपों की तय सीमा के विरुद्ध 11 नलकूपों का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त, आठ इकाइयों के संबंध में 17 नलकूपों का व्यास तय सीमा से अधिक था। आठ इकाइयों के संबंध में 16 नलकूपों के पंपों की क्षमता तय सीमा से अधिक थी (**परिशिष्ट 3.15**)। **इस स्थिति से पता चलता है कि इन इकाइयों द्वारा तय सीमा से अधिक मात्रा में पानी निकाला जा रहा था।**

⁹ चंद्रवती मेडिकल सेंटर, करनाल, अजय एन्टरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, चार्मवुड, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद और सूर्या बोर्ड, कुल्लान (फतेहाबाद)।

¹⁰ (i) आदेश हरियाणा विश्वविद्यालय, मोहरी (कुरुक्षेत्र) और (ii) मिरीपीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, शाहबाद (कुरुक्षेत्र)।

¹¹ अर्बन एस्टेट सेक्टर - 1, पेहोवा (कुरुक्षेत्र) और वैदिक एजुकेशन सोसायटी, चंदलिया नारनौल (महेंद्रगढ़)।

¹²

क्र. सं.	इकाई का नाम	निर्माण किए जाने वाले ट्यूबवेलों की संख्या	निर्माण किए गए ट्यूबवेलों की संख्या	विविधता
1.	आर.सी. सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद	2	4	2
2.	आर.पी.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर 88, फरीदाबाद	1	4	3
3.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, भांकरा (फरीदाबाद)	2	3	1
कुल		5	11	6

(iii) पीजोमीटर की स्थापना और उनकी निगरानी

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक इकाई द्वारा टेप/साउंडर को कम करके या पानी मापने वाले स्वचालित उपकरण के माध्यम से भू-जल स्तर को मापने के लिए पीजोमीटर की स्थापना की जानी चाहिए। आसपास के ट्यूबवेलों से पंपिंग को लगभग चार से छः घंटे के लिए रोकने के बाद ही पीजोमीटर में जल स्तर का माप लिया जाना चाहिए। केंद्रीय भू-जल बोर्ड की राष्ट्रीय भूगर्भ जल निगरानी प्रणाली में पीजोमीटर को लाने के लिए निर्देशांक, कम स्तर (मध्यमान स्तर के संबंध में), गहराई, ज़ोन टेप और असेंबली के बारे में सभी विवरण प्रदान किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा 28 इकाइयों के संबंध में पीजोमीटर की स्थापना की शर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र में नहीं लगाई थी। यद्यपि, पीजोमीटर की स्थापना की शर्त शेष दो इकाइयों (पुलिस लाइंस हाउसिंग सोसाइटी, करनाल तथा कल्पना चावला मेडिकल कालेज, करनाल) के संबंध में लगाई गई थी, परंतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के दो साल से अधिक समय के अंतराल के बाद भी इन इकाइयों द्वारा पीजोमीटर स्थापित नहीं किए गए थे जिसने भू-जल स्तर की निगरानी को बाधित किया।

(iv) रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण और रख-रखाव

अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, इकाइयों से अपेक्षित था कि वे अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर भू-जल को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करने के लिए अपने परिसरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करें और सत्यापन के लिए प्राधिकृत अधिकारी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण की पुष्टि करें। साइटों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि दस इकाइयों¹³ ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार भू-जल को कृत्रिम रूप से रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण नहीं किया था। छः इकाइयों में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया गया था, जैसा कि निम्नलिखित तस्वीरों में देखा जा सकता है:

		
आर.सी. सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद में कीचड़दार रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (12.02.18)	आर.पी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर 88, फरीदाबाद में पानी से भरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (21.02.18)	मैसर्ज कॉन्टिनेंटल डिवाइसेस, सेक्टर 20 बी, फरीदाबाद में उगी झाड़ियां/घास (07.03.18)

¹³ (i) ओमेक्स लिमिटेड, सेक्टर-86, फरीदाबाद (ii) मैसर्ज मान फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर 25, फरीदाबाद (iii) मोहन ऋषि स्कूल, भूड़ कॉलोनी, सेक्टर 25, फरीदाबाद (iv) केंद्रीय मंडल 1, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग-IV, फरीदाबाद (v) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जमालपुरशेखान (फतेहाबाद) (vi) गवर्नमेंट हाई स्कूल, हेदरवाला (फतेहाबाद) (vii) शमशानघाट, कुल्लां (फतेहाबाद) (viii) सूर्या बोर्ड, कुल्लां (फतेहाबाद) (ix) गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जबतेवाला (फतेहाबाद) तथा (x) गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गुरु जंभेश्वर ढाणी इंडोचाय (फतेहाबाद)।

		
<p>भारतीय खाद्य निगम, डब्लूआ एन.आई.टी.-2, फरीदाबाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में पतियां और मिट्टी (25.05.18)</p>	<p>परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, सेक्टर 20 बी, फरीदाबाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में जमा कीचड़ और पानी (22.05.18)</p>	<p>बी.के.एन. गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, नारनौल (महेंद्रगढ़) में झाड़ियाँ (16.05.18)</p>

जैसा कि उपर्युक्त तस्वीरों से स्पष्ट है, स्ट्रक्चर्स कीचड़/पानी से भरे हुए और कचरे, प्लास्टिक की बोतलों, घास/झाड़ियों आदि से भरे हुए थे, जो कि क्षेत्र में भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के माध्यम से वर्षा जल के रिसाव को रोकते हैं।

इस प्रकार, अनापत्ति प्रमाण-पत्र में निहित शर्तों के अनुपालन की निगरानी न तो भू-जल कक्षा द्वारा और न ही जिला प्रशासन द्वारा की जा रही थी।

3.2.4 निष्कर्ष

भू-जल प्रबंधन के लिए भू-जल कक्षा काफी कम कर्मचारियों के साथ काम कर रहा था और अपनी गतिविधियों को कुशलतापूर्वक नहीं कर रहा था क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण और पीजोमीटर की स्थापना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था, लघु सिंचाई के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। भू-जल प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता समूह/सामुदायिक भागीदारी/पंचायतों आदि को शामिल करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। भू-जल निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया, पानी के मीटर नहीं लगाए गए, निर्धारित सीमा से अधिक नलकूपों का निर्माण किया गया, पीजोमीटर नहीं लगाए गए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण एवं रख-रखाव नहीं किया गया। अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

भू-जल का स्तर विशेष रूप से ताजे भू-जल क्षेत्र 2013-18 के दौरान अत्यधिक दोहन के कारण राज्य में 17.16 मीटर से गिरकर 19.57 मीटर हो गया है, इसलिए अधिसूचित क्षेत्रों में जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में निहित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और निगरानी करने की आवश्यकता है। इससे राज्य में भू-जल की कमी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, साथ ही, मानवशक्ति की कमी के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

3.3 ब्याज का अतिरिक्त भार

खरीद पर आकस्मिक प्रभार के अंतिम और अनंतिम दरों के अंतर के लिए भारतीय खाद्य निगम से दावा प्रस्तुत करने में देरी के कारण राज्य के राजकोष पर ₹ 7.88 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भार पड़ा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा सरकार हर साल भारतीय खाद्य निगम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं और धान की खरीद करता है तथा भारतीय खाद्य निगम को सौंपता¹⁴ है। खरीद के मौसम के प्रारंभ होने से पहले, खरीद प्रक्रिया के दौरान होने वाले व्यय की अनंतिम दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा 'खरीद आकस्मिक शुल्क'¹⁵ का भुगतान किया जाता है। बाद में भारत सरकार में खरीद कार्यों पर किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर, आकस्मिक शुल्क की अंतिम दरों की घोषणा करती है। चूंकि भारतीय स्टेट बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट ले कर गेहूं और धान की खरीद की जाती है, यह विभाग के वित्तीय हित में है कि वह भारतीय खाद्य निगम के पास अपने दावों को त्वरित प्रस्तुत करे और दरों के अंतर की जल्द से जल्द प्रतिपूर्ति प्राप्त करे, जिससे कि कैश क्रेडिट लिमिट पर ब्याज का भार कम हो सके।

खरीफ मार्केटिंग सीजन 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए खरीद गतिविधि पर राज्य सरकार/एजेंसियों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर भारत सरकार ने खरीद के लिए आकस्मिक दरों की मार्च 2015 और जून 2015 में अंतिम घोषणा की और रबी मार्केटिंग सीजन 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः जनवरी 2016, मार्च 2016 और मई 2016 में घोषणा की।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग के नमूना-जांच किए गए नौ¹⁶ क्षेत्र कार्यालयों ने रबी मार्केटिंग सीजन और खरीफ मार्केटिंग सीजन, दोनों के लिए, भारत सरकार द्वारा अंतिम दरों की घोषणा के बाद 979 दिनों तक की देरी¹⁷ के बाद भारतीय खाद्य निगम से अंतिम और अनंतिम दरों के अंतर के लिए दावे प्रस्तुत किए जैसा कि तालिका 3.1 में विवरण दिया गया है।

¹⁴ चावल मिलों से धान को गाहने के बाद कस्टम मिल्ड राइस दिया जाता है।

¹⁵ प्रशासनिक प्रभार, पटसन की बोरियों की लागत, दुलाई, निगरानी एवं रख-रखाव प्रभार और ब्याज प्रभार।

¹⁶ (i) अंबाला, (ii) हिसार, (iii) जींद, (iv) कैथल, (v) करनाल, (vi) कुरुक्षेत्र, (vii) पानीपत, (viii) सोनीपत और (ix) यमुनानगर।

¹⁷ दावों की प्रक्रिया के लिए 30 दिनों के समय की छूट देने के बाद।

तालिका 3.1: अंतिम और अनंतिम आकस्मिकों के अंतरीय दावे प्रस्तुत करने में देरी का विवरण

देरी की श्रेणी (दिनों में)	बिलों की संख्या	बिलों की राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज देयता (₹ करोड़ में)
1-100	13	15.45	0.27
101-300	15	19.45	1.09
301-500	6	10.65	1.18
501-800	4	4.98	0.94
800 से अधिक	3	15.78	4.40
कुल	41	66.31	7.88¹⁸

(स्रोत: विभागीय आंकड़ों से संकलित)

जैसा कि उपर्युक्त आंकड़ों से देखा जा सकता है, 77 प्रतिशत दावे 100 से अधिक दिनों की देरी से प्रस्तुत किए गए थे। डी.एफ.एस.सी, कुरुक्षेत्र ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2009-12 के लिए भारत सरकार द्वारा अंतिम दरों की घोषणा के 32 महीनों के बाद, दिसंबर 2017 में ₹ 15.78 करोड़ के बिल प्रस्तुत किए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.40 करोड़ का ब्याज का भार पड़ा।

भारतीय खाद्य निगम से कुल ₹ 66.31 करोड़ में से ₹ 50.53 करोड़ प्राप्त हुए एवं ₹ 15.78 करोड़ अभी भी प्राप्त होने बाकी थे (मार्च 2018)। लेखापरीक्षा में आगे यह पाया कि बिलों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए विभाग में कोई मॉनिटरिंग यंत्रावली नहीं थी।

भारतीय खाद्य निगम से आकस्मिक प्रभारों के अंतर के दावों को प्रस्तुत करने में देरी के परिणामस्वरूप 9 नमूना-जांच किए गए कार्यालयों में राज्य के खजाने पर ₹ 7.88 करोड़ (दिसंबर 2017 तक) का ब्याज का अतिरिक्त भार पड़ा। विलंबित दावों के समान उदाहरणों की पहचान के लिए विभाग अन्य कार्यालयों में इस जांच का विस्तार कर सकता है।

यह मामला राज्य सरकार को भेजा गया (मार्च 2018) था तथा मई 2018 में पुनः अनुस्मारक जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

3.4 धान के संदिग्ध दुर्विनियोजन के कारण हानि

कस्टम मिलिंग चावल के लिए मिलरों का पंजीकरण उनकी वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं का आकलन किए बिना और अपेक्षित गारंटी तथा तीसरे पक्ष की जमानत प्राप्त किए बिना किया गया जिसके कारण राज्य के खजाने को ₹ 24.04 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि विभाग और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत से दो राइस मिलरों द्वारा 14,904 मीट्रिक टन धान का संदिग्ध दुर्विनियोजन किया गया।

राज्य सरकार द्वारा 2014 और 2015 के खरीफ मार्केटिंग सीजनों के लिए जारी दिशानिर्देश के अनुसार जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रक सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे जाने वाले धान की कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स को अस्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत थे। पिछले पांच वर्षों के आयकर रिटर्न, राइस मिल की क्षमता, मिल से जुड़ा बिजली लोड, स्वामित्व या पट्टे के लिए दस्तावेज, आदि के आधार पर मिलर की वित्तीय और तकनीकी योग्यता का आकलन करने के बाद प्रमाण-पत्र जारी किया जाना था। नीतिगत

¹⁸ भारतीय स्टेट बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट पर लागू ब्याज की न्यूनतम वार्षिक दर पर परिकलित।

दिशानिर्देशों में प्राप्त की जाने वाली गारंटी और जमानत की राशि को भी परिभाषित किया गया था तथा नीचे दिए गए अनुसार चावल मिल की श्रेणी के आधार पर धान की अधिकतम सीमा आबंटित की जानी थी:

क्र. सं.	विवरण	मामला जिनमें मिलर मिल का मालिक था	मामला जिनमें मिलर ने मिल को पट्टे पर लिया था
1.	मिलर को धान का अधिकतम आबंटन	खरीफ मार्केटिंग सीजन 2014 - 3,000 मीट्रिक टन से 6,000 मीट्रिक टन खरीफ मार्केटिंग सीजन 2015 - 4,000 मीट्रिक टन से 7,000 मीट्रिक टन (मिलिंग क्षमता के अनुसार)	खरीफ मार्केटिंग सीजन 2014 - 3,000 मीट्रिक टन खरीफ मार्केटिंग सीजन 2015 - 5,000 मीट्रिक टन
2.	मिलर से प्राप्त की जाने वाली गारंटी	इसी मंडी के आढतिया ¹⁹ की अन्य पक्ष की दो तिहाई जमानत के साथ ₹ 50 लाख/टन/घंटा मिलिंग क्षमता के चेक	इसी मंडी के आढतिया की अन्य पक्ष की दो तिहाई जमानत के साथ ₹ 50 लाख/टन/घंटा मिलिंग क्षमता के चेक

(क) वर्ष 2013-14 को प्रोपराइटर द्वारा 6 अक्टूबर 2014 को दायर एकल आयकर रिटर्न, जिसमें वर्ष 2013-14 के लिए उसकी आय ₹ 1.66 लाख थी के आधार पर जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रक, फतेहाबाद ने 7 अक्टूबर 2014 को मैसर्स श्री शिवाजी फूड्स, चंदर कलां, फतेहाबाद (मिलर-ए) को दो मीट्रिक टन प्रति घंटे की क्षमता के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया था। तथापि, 2013-14 से चार वर्ष पहले के आयकर रिटर्न प्राप्त नहीं किया गए थे। ₹ एक करोड़ की अपेक्षित गारंटी तथा तृतीय पक्ष की जमानत भी प्राप्त नहीं की गई थी। मिलर-ए ने कस्टम मिलिंग राइस के लिए 1 सितंबर 2014 को अगले दस वर्षों की लीज पर राइस मिल ली थी। कस्टम मिलिंग के लिए मिलर को लगभग 3,000 मीट्रिक टन धान जारी करने के लिए 31 अक्टूबर 2014 को जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रक, फतेहाबाद और मिलर-ए के मध्य अनुबंध किया गया। दिशानिर्देशों में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार कुल धान का 67 प्रतिशत कस्टम मिल्ड राइस भारतीय खाद्य निगम को पहुंचाया जाना था।

इंस्पेक्टर, खाद्य और आपूर्ति, फतेहाबाद ने विभाग को 31 मार्च 2015²⁰ तक 7,224.10 मीट्रिक टन (67 प्रतिशत) कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति के लिए मिलर-ए को 10,782.24 मीट्रिक टन धान (नवंबर 2014) जारी किया, जो निर्धारित सीमा से बहुत अधिक था। लेकिन मिलर ने 15 दिसंबर 2014 तक केवल 162 मीट्रिक टन (2.24 प्रतिशत) कस्टम मिल्ड राइस की ही आपूर्ति की। खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने दिसंबर 2014 में भौतिक सत्यापन किया और चावल मिल के परिसर में 8,600 मीट्रिक टन धान कम पाया गया तथा 17 दिसंबर 2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। विभाग द्वारा अंतिम गणना के अनुसार ₹ 13.83 करोड़ के मूल्य का 8,746.76 मीट्रिक टन धान कम पाया गया। इसमें से मिलर से ₹ 46.58 लाख

¹⁹ आढतिया एक कमीशन एजेंट है, जिसकी सहायता से खरीद प्रक्रिया को खरीद एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

²⁰ नवंबर 2014: 15 प्रतिशत, दिसंबर 2014: 20 प्रतिशत, जनवरी 2015: 20 प्रतिशत, फरवरी 2015: 25 प्रतिशत, मार्च 2015: 20 प्रतिशत।

सिक्थोरिटी जब्त करने, अवशिष्ट सामग्री की नीलामी और बिल भुगतान को रोक कर वसूल कर लिए गए। राज्य सरकार को निवल घाटा ₹ 13.37²¹ करोड़ था।

(ख) एक अन्य मामले में, जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रक, अंबाला ने एक मिलर मैसर्ज शिव शंकर राइस मिल, नारायणगढ़ (मिलर बी) को प्रोपराइटर के पैन आवेदन के आधार पर खरीफ मार्केटिंग सीजन 2015 के लिए अक्टूबर 2015 में चार मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता के साथ पंजीकृत किया, जिसका अर्थ यह है कि अक्टूबर 2015 तक उसके द्वारा कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की गई थी। मिलर की तकनीकी क्षमता को जिला उद्योग केंद्र, अंबाला से सत्यापन नहीं किया गया था। कोई गारंटी या थर्ड पार्टी जमानत नहीं ली गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि मिलर एक पट्टेदार था, उसे मिल के मालिक के रूप में दिखाया गया था। हरियाणा एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (एच.ए.आई.सी.) ने अक्टूबर और नवंबर 2015 के दौरान 5,000 मीट्रिक टन की हकदारी के विरुद्ध मिलर को 7,492.65 मीट्रिक टन धान आबंटित कर दिया। कस्टम मिल्ड राइस (5,020.08 मीट्रिक टन) की आपूर्ति 31 मार्च 2016²² तक की जानी थी। परन्तु मिलर के द्वारा 25 दिसंबर 2015 तक केवल 27 मीट्रिक टन (0.54 प्रतिशत) कस्टम मिल्ड राइस की आपूर्ति की गई। इसके बाद विभाग द्वारा चावल मिल के परिसर का एक विशेष भौतिक सत्यापन (25 दिसंबर 2015) किया गया और ₹ 10.45 करोड़ मूल्य का 6,157.48 मीट्रिक टन धान कम पाया गया। मिलर के विरुद्ध बोरियों की गांठों, धान के कवर और लकड़ी के क्रेट्स सहित ₹ 10.67 करोड़ के लागत के धान की दुर्विनियोजन के आरोप में एफ.आई.आर. (26 दिसंबर 2015) दर्ज की गई थी। पुलिस जांच में (नवंबर 2016) पहचान के लिए राइस मिल के मालिक द्वारा दिए गए दस्तावेज (ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड) वास्तविक नहीं पाए गए।

निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले ने उत्तर (मार्च 2018) में कहा कि धान के अधिक आबंटन और मिलर से चावल की आपूर्ति के बारे में कार्रवाई न करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों²³ (सितंबर 2016 और जनवरी 2017) को चार्जशीट कर दिया गया था। प्रबंध निदेशक, एच.ए.आई.सी. ने भी यह बताया (मार्च 2018) कि संबंधित जिला प्रबंधकों को चार्जशीट कर दिया गया था और जांच अधिकारी द्वारा दोषी ठहराया गया था (जुलाई 2017)। परन्तु, वित्तीय और तकनीकी रूप से अयोग्य मिलर्स के पंजीकरण के लिए जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले नियंत्रकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी।

मिलर्स की वित्तीय और तकनीकी योग्यताओं के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण करने के सरकारी दिशानिर्देशों की अनुपालना न करने और विभाग द्वारा मिलर्स को उनकी सीमा से अधिक धान आबंटित करने के कारण ₹ 24.04 करोड़ के सरकारी धन की हानि हुई। पूरी राशि अभी वसूलनीय थी (जुलाई 2018)।

²¹ ₹ 13.83 करोड़ (कमी का मूल्य) - ₹ 5.07 लाख (सावधि जमा रसीद के माध्यम से वसूली) - ₹ 8.23 लाख (नीलामी द्वारा वसूली) - ₹ 33.28 लाख (आढतिया की रोकी गई राशि)।

²² नवंबर 2015: 20 प्रतिशत, दिसंबर 2015: 20 प्रतिशत, जनवरी 2016: 20 प्रतिशत, फरवरी 2016: 25 प्रतिशत, मार्च 2016: 15 प्रतिशत।

²³ फतेहाबाद जिले में एक जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, एक जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, एक सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, दो निरीक्षक और एक उप-निरीक्षक; अंबाला जिले में हरियाणा कृषि उद्योग निगम के दो जिला प्रबंधक।

यह मामला राज्य सरकार को (मई 2018) भेजा गया था तथा जुलाई 2018 में अनुस्मारक जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

3.5 दवाओं के नमूनों के संग्रहण और प्रयोगशाला विश्लेषण में अनियमितताएं

बड़ी संख्या में लाइसेंसधारियों की जांच नहीं की गई; नमूना विश्लेषण रिपोर्टें देरी से जारी की गई थीं और नमूना मानक गुणवत्ता के अनुसार न पाए जाने पर भी, वापसी की कार्रवाई तथा चेतावनी अत्यधिक विलंब से प्रारंभ की गई। अवमानक दवाओं को नष्ट करने की निगरानी नहीं की गई और बाद के बैचों की जांच नहीं की गई थी। अवमानक दवाओं का विनिर्माण, वितरण और बिक्री का जोखिम था जिसके आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव हो सकते थे।

हरियाणा सरकार ने जनता को गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली (नियम) को कार्यान्वित करने के लिए जनवरी 2011 में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की स्थापना की, जो राज्य में दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, वितरण और बिक्री को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी था। विभाग उपरोक्त अधिनियमों और नियमों को (क) दवा निर्माण इकाइयों, ब्लड बैंकों और बिक्री परिसरों के लाइसेंस जारी करके और निरीक्षणों द्वारा (ख) नमूने लेना और नमूनों का परीक्षण करके और (ग) "अवमानक गुणवत्ता वाली" (एन.एस.क्यू.) के रूप में घोषित दवाओं को वापस मंगाकर तथा अपराधियों पर कार्रवाई करने के माध्यम से लागू करता है।

विभाग की अध्यक्षता राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा की जाती है, जिसकी सहायता के लिए 10 वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी और 46 औषधि नियंत्रण अधिकारी के स्वीकृत पदों के विरुद्ध क्रमशः सात वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी और 18 औषधि नियंत्रण अधिकारी तैनात हैं। विभाग के पास चण्डीगढ़ में केवल एक दवा परीक्षण प्रयोगशाला है। 2014-17 की अवधि के लिए औषधि नियंत्रण अधिकारी, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकूला के अभिलेखों की नमूना-जांच से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

3.5.1 नमूना संग्रहण के लिए लक्ष्य तय न करना

विभाग ने अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा नमूनों के संग्रहण के लिए लक्ष्य तय नहीं किए थे। यह पाया गया कि नमूना-जांच किए गए तीन जिलों में 2014-17 के दौरान कुल 1,846 लाइसेंसधारी इकाइयों में से केवल 314 इकाइयों (17 प्रतिशत) से 1,244 नमूने एकत्र किए गए थे, जैसा कि तालिका 3.2 में विवरण दिया गया है। इस प्रकार, 1,532 लाइसेंसधारी (83 प्रतिशत) बिना जांच के ही रह गए, जो राज्य में अवमानक दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के विनिर्माण, वितरण और बिक्री के जोखिम से भरा था।

तालिका 3.2: लाइसेंसधारी इकाइयों और लिए गए नमूनों की कवरेज का विवरण

जिला	कुल लाइसेंसधारी इकाइयां	कवर की गई कुल इकाइयां	कवरेज प्रतिशत	नमूना लिया गया
अंबाला	591	103	17	483
पंचकुला	733	150	20	451
कुरुक्षेत्र	522	61 ²⁴	12	310
कुल	1,846	314	17	1,244

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित डाटा)

3.5.2 'विश्लेषण की रिपोर्टों' में देरी

दवा परीक्षण प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ में औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा ड्रग के नमूनों की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित था। प्रारंभ में, विश्लेषण की रिपोर्ट जारी करने के नियमों में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। जनवरी 2017 में, नमूने की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। तालिका 3.3 में दिए गए अनुसार 1,174 नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट जारी करने में देरी हुई थी।

तालिका 3.3: विश्लेषण रिपोर्ट जारी करने में देरी का विवरण

समय-सीमा	प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों की संख्या	कुल नमूनों का प्रतिशत
दो माह के भीतर	70	5.63
दो माह से छः माह के मध्य	197	15.84
छः माह से बारह माह के मध्य	300	24.12
बारह माह से चौबीस माह के मध्य	340	27.33
चौबीस माह के बाद	25	2.00
विश्लेषण रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2018)	312	25.08
कुल	1,244	

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित डाटा)

मार्च 2018 तक 312 नमूनों, जिनके लिए विश्लेषण रिपोर्टें प्राप्त नहीं की गई थीं, में अप्रैल 2014 में लिए गए नमूने भी शामिल थे। नमूनों, जिनकी विश्लेषण रिपोर्टें प्रतीक्षित थीं, का वर्षवार विवरण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: नमूनों, जिनकी विश्लेषण रिपोर्टें प्रतीक्षित थीं, का विवरण

वर्ष	नमूने जिनकी विश्लेषण रिपोर्टें प्रतीक्षित थीं			कुल
	औषधि नियंत्रण अधिकारी, अंबाला	औषधि नियंत्रण अधिकारी, पंचकुला	औषधि नियंत्रण अधिकारी, कुरुक्षेत्र	
2014	3	6	-	9
2015	2	13	18	33
2016	63	73	22	158
2017	15	-	8	23
रजिस्टर में दिनांक उल्लिखित नहीं है	-	-	89	89
कुल	83	92	137	312

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित डाटा)

²⁴ विभाग द्वारा बनाए गए रजिस्टर में 37 नमूनों में लाइसेंसधारी यूनिट का नाम उल्लिखित नहीं था।

यह देखा गया कि एल.एन.जे.पी. अस्पताल, कुरुक्षेत्र में चार नमूनों को अवमानक गुणवत्ता वाले घोषित किया गया था, परन्तु नमूने के परीक्षण और विश्लेषण की रिपोर्ट जारी करने में देरी के कारण दवाओं का सेवन कर लिया गया था, जैसा कि तालिका 3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.5: विश्लेषण रिपोर्ट में देरी के कारण सेवन की जाने वाली दवाओं का विवरण

दवाइयां	एजीथ्रोमाइसिन	नेफाकोरेट (प्रेडनिसोलोन)	पी.सी.एम. ओरल सर्पेंशन	फ़िनाइटोइन सोडियम
नमूने की तिथि	26-02-15	27-04-15	18-01-17	27-04-15
परीक्षण रिपोर्ट जारी करने की तिथि	10-05-16	29-10-15	22-09-17	29-10-15
विश्लेषण रिपोर्ट में विलंब (दिनों में)	439	185	247	185
प्राप्त मात्रा	30,000	12,300	1,000	14,730
विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक उपभोग की गई	30,000	3,100	491	2,070
शेष	0	9,200	509	12,660

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित डाटा)

यदि नमूना विश्लेषण के परिणाम उचित समय-सीमा के भीतर घोषित किए जाते, तो अवमानक गुणवत्ता वाले दवाओं के सेवन से बचा जा सकता था। यह रोगियों के स्वास्थ्य/जीवन के लिए गंभीर जोखिम से भरा था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में, राज्य औषधि नियंत्रक ने बताया (अप्रैल 2018) कि नमूना विश्लेषण के पिछले बैकलॉग का निपटान करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे और प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए उपाय किए जा रहे हैं। गुणवत्ता वाली दवाइयां जारी करना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए विभाग को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी। तथापि, इसने केवल लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर नमूना विश्लेषण के बैकलॉग का निपटान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए थे।

3.5.3 अवमानक गुणवत्ता के मामले में वापसी प्रक्रिया और चेतावनी जारी करने में विलंब

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) के दिशानिर्देशों के अनुसार, अवमानक गुणवत्ता वाले दवाओं की बिक्री और खपत को रोकने के लिए औषधि नियंत्रण अधिकारी और आम जनता को सुरक्षा चेतावनी जारी की जानी थी। दिशानिर्देशों के अनुसार अवमानक गुणवत्ता वाली दवाओं²⁵ के वर्गीकरण के अनुसार 24 घंटे से 30 दिनों के भीतर तुरंत कार्रवाई करनी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा अवमानक गुणवत्ता वाली दवाओं का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया था। कुल 25 अवमानक गुणवत्ता में से 12 अवमानक गुणवत्ता वाले मामलों (प्रत्येक जिले से 04) के विस्तृत विश्लेषण में पाया गया कि औषधि नियंत्रण अधिकारी, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला द्वारा अवमानक गुणवत्ता वाली दवाओं की वापसी प्रक्रिया और चेतावनी जारी करने में बहुत विलंब किया गया था।

²⁵ पहली बार वापस मंगाई गई - 24 घंटे से 72 घंटे- जहां संभावना गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों की है; दूसरी बार वापस मंगाई गई - 10 दिनों के भीतर- जहां संभावना अस्थायी प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों की है। तीसरी बार वापस मंगाई गई - 30 दिनों के भीतर- जहां संभावना प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणामों का कारण नहीं है।

- औषधि नियंत्रण अधिकारी ने तुरंत सुरक्षा चेतावनी जारी करने और गंभीर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से बचाव के लिए हानिकारक दवाओं को वापस लेने के लिए अवमानक गुणवत्ता वाले दवाओं को वर्गीकृत नहीं किया था।
- 12 नमूनों में से, 6 मामलों में, 30 दिनों के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी। एक मामले में, कार्रवाई 275 दिनों के बाद शुरू की गई थी। कार्रवाई करने में इस तरह की देरी जन-साधारण द्वारा अवमानक दवाओं के सेवन के जोखिम से भरी थी और जो आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ के समान था।
- दिशानिर्देशों के बावजूद विभाग ने अनिवार्य दवाओं के आगामी बैचों की जांच नहीं की थी। दो मामलों में, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने विभाग द्वारा जारी चेतावनी के आधार पर निर्माताओं के उत्पाद लाइसेंस को 15 और 60 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। परन्तु इन विनिर्माताओं के आगामी बैचों की गुणवत्ता आश्वासन के लिए जांच नहीं की गई थी।
- राज्य औषधि नियंत्रण अधिकारी ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 4.2 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अवमानक गुणवत्ता वाली दवाओं के बारे में सूचित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में राज्य औषधि नियंत्रक ने बताया (अप्रैल 2018) कि अवमानक गुणवत्ता वाली दवाओं की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सभी औषधि नियंत्रण अधिकारियों को इन दवाओं के विनिर्माताओं को नोटिस जारी करने के लिए सूचित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, अवमानक गुणवत्ता वाली दवाओं को निर्माताओं और व्यापारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। परन्तु, विभाग में इस बारे में उपयुक्त आंतरिक प्रणाली नहीं थी, जिससे आश्वस्त हुआ जा सके कि अवमानक गुणवत्ता वाली दवाएं जारी नहीं की जाती हैं।

3.5.4 विनिर्माण इकाइयों और ब्लड बैंकों का लाइसेंस

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940 के प्रावधान के अंतर्गत एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाओं के निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस और ब्लड बैंक की स्थापना की आवश्यकता है। लाइसेंस जारी करने के लिए परिसर का निरीक्षण केंद्रीय और राज्य निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

राज्य में, 219 दवाओं के विनिर्माण इकाइयां 72 ब्लड बैंक और 115 प्रसाधनों की विनिर्माण इकाइयां थीं। 2014 से 2017 के दौरान, तीन नमूना-जांच किए गए जिलों अर्थात् अंबाला, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में 15 लाइसेंस जारी किए गए थे। **ये 15 लाइसेंस आवेदन की तिथि से 13 से 323 दिनों की अवधि के बाद जारी किए गए थे।**

विभाग (अक्टूबर 2018) ने बताया कि निरीक्षण के दौरान उठाई गई टिप्पणियों का अनुपालन न होने के कारण देरी हुई थी और यह ध्यान देने योग्य है कि अब मामलों का निपटान 45 दिनों के भीतर किया जा रहा है। तथापि, निरीक्षण करने के लिए विभाग ने 152 दिनों का समय लिया था। जनवरी 2018 के बाद से ही सभी मामलों को 45 दिनों के भीतर निपटाया जा रहा है, जिसे जारी रखने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, 2014-17 के दौरान नमूना-जांच किए गए तीन जिलों में कुल 1,846 लाइसेंसधारी इकाइयों में से केवल 314 इकाइयों (17 प्रतिशत) से नमूने एकत्र किए गए थे और 1,532 लाइसेंसधारी (83 प्रतिशत) की जांच नहीं की गयी थी। नमूनों के संग्रहण के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे, इस प्रकार प्रारंभ से ही प्रक्रिया जोखिम से भरी थी। एकत्र किए गए नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट जारी करने में अत्यधिक देरी हुई। मार्च 2018 तक 312 नमूनों के लिए विश्लेषण रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी, जिसमें अप्रैल 2014 में लिए गए नमूने भी शामिल थे। राज्य औषधि नियंत्रक और औषधि नियंत्रण अधिकारी ने 'अवमानक गुणवत्ता वाली' घोषित दवाओं के लिए बहुत देर से कार्रवाई शुरू की थी और आगामी बैचों की जांच नहीं की थी। अवमानक गुणवत्ता वाली दवाओं की वापसी और तुरंत सुरक्षा चेतावनी जारी करना सुनिश्चित करने के लिए वर्गीकृत नहीं किया गया था। अवमानक दवाओं की वितरण जोखिम से भरा है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। व्यापारियों और विनिर्माताओं द्वारा अवमानक गुणवत्ता वाली दवाओं को नष्ट करना सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने कोई प्रणाली नहीं बनाई थी। विभाग के कामकाज में बहुत कुछ वांछित था और अपेक्षित निर्देशों के अनुपालन में भारी कमी थी।

यह मामला मई 2018 में सरकार को भेजा गया था; और जुलाई 2018 में आगामी स्मरण-पत्र जारी किया गया। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2019)।

स्वास्थ्य विभाग

3.6 दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद और उपयोग

दवाओं और उपकरणों की खरीद में जैसे कि इंडेंट की प्रक्रिया में देरी, अयोग्य फर्मों को रेट कॉन्ट्रैक्ट की प्रदानगी, कीमत की अपर्याप्त तुलना जिससे ₹ 1.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ और दवाओं की आपूर्ति न करने के लिए ₹ 1.09 करोड़ के जुर्माना न लगाना जैसी कमियां थीं। चिकित्सा केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता अपर्याप्त थी। दवाओं की स्थानीय खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एक समान नहीं थी और इसमें पारदर्शिता का अभाव था। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.81 करोड़ मूल्य के उपकरण सुविधा केंद्रों पर अप्रयुक्त पड़े थे।

3.6.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार ने कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से सभी सरकारी संस्थानों में अच्छी गुणवत्ता वाली अत्यावश्यक दवाओं के लिए निर्बाध उपलब्धता के उद्देश्य से चिकित्सा दवा खरीद और प्रबंधन नीति 2012 का अनुमोदन किया। राज्य सरकार ने सभी जिला अस्पतालों, उप मंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कालेज और अन्य औषधालयों के लिए औषधि, उपभोग्य सामग्रियों और उपकरणों (इंस्टॉलेशन और रख-रखाव सहित) की खरीद के लिए हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की (जनवरी 2014)। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड "ऑनलाइन ड्रग इन्वेंटरी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम" संचालित करता है। क्षेत्र इकाइयों इस प्रणाली के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन मांग करती हैं जिसके आधार पर हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड दवाओं

की खरीद करता है। यदि हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति करने में असमर्थ होता है, तो अस्पतालों को अपने स्तर पर ही खरीद करने की अनुमति है। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, क्षेत्र इकाइयों से प्राप्त उपकरण की मांगों को संकलित करता है।

जनवरी-जून 2018 के दौरान 2015-18 की अवधि के लिए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या औषधि खरीद और चिकित्सा उपकरण खरीद नीति के अनुसार थे और सरकारी संस्थाओं में पर्याप्त दवाएं और उपकरण उपलब्ध थे, हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालयों, इसके सात गोदामों²⁶ में से तीन गोदाम की नमूना-जांच की गई। पांच जिलों²⁷ के 15 जिला अस्पतालों/उप मंडल अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेखापरीक्षा ने डी.जी.एच.एस. के प्रशासनिक नियंत्रण में चिकित्सा सुविधाओं केंद्रों पर दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता का आकलन किया। मेडिकल कालेजों की ओर से खरीदी गई दवाओं और उपकरणों को लेखापरीक्षा के अंतर्गत नहीं लिया गया था।

2015-18 के दौरान दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 390.90 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध, ₹ 340.28 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के अंतर्गत ₹ 80 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 71.27 करोड़ व्यय किए गए थे। डी.जी.एच.एस. दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निधियां हस्तांतरित करता है। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाओं की आपूर्ति न होने की स्थिति में, चिकित्सा केंद्रों द्वारा स्थानीय खरीद की जाती है, जिसके लिए डी.जी.एच.एस. द्वारा निधि आबंटित की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि केंद्रीकृत खरीद प्रणाली के माध्यम से दवाओं और उपकरणों की खरीद में सुधार हुआ था, फिर भी कुछ कमियां थीं, जिनकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है।

लेखापरीक्षा परिणाम


3.6.2 खरीद

3.6.2.1 इंडेंट के प्रक्रियाकरण के लिए समय-सीमा नियत न करना

एच.एम.सी.एल. सेवा प्रदानकर्ता है और इंडेंट के प्रक्रियाकरण के लिए समय-सीमा नियत करने की आवश्यकता थी। तथापि, इंडेंट की प्राप्ति के बाद टेंडर के प्रक्रियाकरण के लिए कोई बेंच मार्क नियत नहीं किए गए थे। 15 नमूना-जांच किए गए मामलों में उपकरणों के टेंडर के अंतिमकरण में लिए गए समय के विवरण नीचे चित्रित हैं:

²⁶ चयनित: 3 - अंबाला, हिसार और गुरुग्राम तथा शेष 4 - करनाल, कैथल, भिवानी और रोहतक।

²⁷ हिसार: जिला अस्पताल हिसार, उप-जिला अस्पताल हांसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरवाला, अंबाला: जिला अस्पताल अंबाला कैंट, उप-जिला अस्पताल नरिंगगढ़ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुलाना, फतेहाबाद: जिला अस्पताल फतेहाबाद, उप-जिला अस्पताल टोहाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतिया, गुरुग्राम: जिला अस्पताल गुरुग्राम, सी.एच.सी. पटौदी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फरुखनगर और पलवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हथौन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुधौला।




इंडेंटज की प्राप्ति के बाद टेंडर के प्रकाशन में लिया गया समय, पहला टेंडर रद्द करने के बाद दूसरी बार टेंडर का प्रकाशन और टेंडर के अंतिमकरण की सीमा क्रमशः 64-268 दिन, 3-366 दिन और 78-187 दिन रही। डी.जी.एच.एस. द्वारा टेंडरों के अंतिमकरण में लिया गया कुल समय इंडेंट की तिथि से 274-798 के बीच रहा। दूसरी बार टेंडर दस्तावेजों के प्रकाशन के लिए हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उपकरण के 15 में से 12 मामलों में 100 दिनों से अधिक का समय लिया। इन मर्दों की खरीद में देरी ने रोगियों को आवश्यक दवाओं की सुविधाओं से वंचित रखा।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया (नवंबर 2018) कि भविष्य में खरीदों में विलंब रोकने के लिए समय सीमाएं अब निर्धारित कर दी गई हैं।

3.6.2.2 खरीद में प्रतिस्पर्धा का अभाव

हाई पावर परचेज कमेटी (एच.पी.पी.सी.²⁸) ने सभी खरीद संस्थाओं को अपनी खरीद फाइलों, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) की वेबसाइट से या वेब सर्च आदि के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं का डाटाबेस तैयार करने का निर्देश (जनवरी 2015) दिया था। खरीद संस्थाओं को संबंधित मर्दों के ज्ञात आपूर्तिकर्ताओं के टेंडर ई-मेल करने के लिए कहा गया था। यद्यपि निविदाएं ऑनलाइन मंगाई गई थीं, फिर भी, न तो हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने और न ही डी.जी.एच.एस. ने न तो इस तरह का डाटाबेस तैयार किया था और न ही ई-मेल के माध्यम से ज्ञात आपूर्तिकर्ताओं से तुरंत संपर्क करने के लिए कोई प्रणाली विकसित की थी (अप्रैल 2018)। 86 उपकरणों की खरीद के लिए सभी 76 निविदाओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि इन्हें बोलीदाताओं की अपर्याप्त संख्या के साथ अंतिम किया गया जैसा कि नीचे दिया गया है:

²⁸ उच्च मूल्य की खरीद के लिए संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विभागवार समितियों का गठन (सितंबर 2016 तक ₹ 30 लाख से ऊपर और उसके बाद ₹ एक करोड़ से ऊपर)।



23 मदों के मामले में ₹ 38.01 करोड़ (इस अवधि के दौरान दिए गए आपूर्ति आदेश के कुल मूल्य का 33 प्रतिशत) मूल्य के आपूर्ति आदेश एकल बोलियों द्वारा किए गए थे। केवल 23 मदों के मामले में, तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की संख्या 3 से 5 की सीमा में थी और आपूर्ति आदेशों का मूल्य ₹ 24.74 करोड़ था जो इस अवधि के दौरान दिए गए आपूर्ति आदेशों के कुल मूल्य (₹ 115.59 करोड़) का केवल 21 प्रतिशत था। **यदि उपकरण के ज्ञात निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं को निविदा नोटिस ई-मेल से भेजने की प्रणाली होती तो और अधिक निविदाएँ प्राप्त होने की संभावना हो सकती थी।**

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उत्तर दिया (नवंबर 2018) कि नवंबर 2015 में पहली निविदा मंगवाई गई थी जो सभी प्रमुख चिकित्सा निगमों और पंजीकृत विक्रेताओं के साथ सांझा की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निविदाओं के बारे में जानकारी सांझा करने के अभ्यास का केवल एक बार पालन किया गया था तथा उसके बाद यह अभ्यास प्रयोग नहीं किया गया था।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आगे बताया कि आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं का डाटाबेस बहुत जल्द ही तैयार कर लिया जायेगा। लेखापरीक्षा ने उपकरणों की खरीद के लिए 76 निविदाओं में से 22 निविदाओं की जांच की और पाया कि तीन मामलों में, अंतिम की गई दरें काफी अधिक थीं और अयोग्य फर्मों को निविदा प्रदान की गई थी, जैसा कि नीचे अनुच्छेद 3.6.2.3 और 3.6.2.4 में दिया गया है:

3.6.2.3 अयोग्य फर्मों को निविदा दर की प्रदानगी

निविदा दस्तावेजों में यह निर्धारित किया गया है कि निर्माताओं को अपेक्षित अनुसूची की आवश्यकताओं (एस.ओ.आर.) के प्रत्येक मद में उद्धरित समान मॉडल का निर्माण और आपूर्ति या तो स्वयं या किसी अन्य प्राधिकृत डीलर के माध्यम से पिछले 24 महीनों में इसमें उल्लेखित 100 प्रतिशत मात्रा या निविदा तिथि बंद होने की तारीख से पिछले 12 महीनों में 50 प्रतिशत मात्रा सरकारी या प्राइवेट टरशेयरी केयर हॉस्पिटल को करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, उत्पादों को केस-टू-केस आधार पर आवश्यकता के अनुसार यू.एस.एफ.डी.ए. (संयुक्त राष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन), सी.ई. के अनुरूप, (यूरोपियन यूनियन) बी.आई.एस. (भारतीय मानक ब्यूरो), आदि जैसे आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणपत्रों का अनुपालन करना था।

(क) हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पांच एलिवेटिंग पेडस्टल ऑटोप्सी टेबल्स की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित कीं (दिसंबर 2016)। केवल पंचकुला की एक फर्म को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया और अक्टूबर 2017 में ₹ 6.37 लाख प्रति यूनिट (कर सहित) की दर से दर निविदा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, मई 2018 में ऐसे और आठ उपकरणों को खरीद के लिए दुबारा आदेश दिया गया था और 13 टेबलों के लिए कुल आपूर्ति आदेशों का मूल्य ₹ 82.81 लाख था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार, ऑटोप्सी टेबल की चौड़ाई स्टेनलेस स्टील हेडरेस्ट के साथ 85 से.मी. थी लेकिन फर्म द्वारा प्रस्तुत बोली के अनुसार, लकड़ी के हेडरेस्ट के साथ चौड़ाई 30" (अर्थात 76 से.मी.) थी। फर्म ने निविदा में आवश्यकता के अनुसार अन्य अस्पतालों में ऑटोप्सी टेबल्स की आपूर्ति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये थे। इस प्रकार, फर्म तकनीकी रूप से योग्य नहीं थी तथा इस प्रकार निविदा एक अयोग्य फर्म को प्रदान किया गया था।

(ख) सरकारी अस्पतालों के लिए आठ 'सेल काउंटर 5 पार्ट' की आपूर्ति, प्रतिस्थापन और चालू करने के लिए के लिए ऑनलाइन बोलियां (अप्रैल 2017) आमंत्रित की गई थीं जिसके विरुद्ध दो निविदा प्राप्त हुई थीं। निविदा विनिर्देशों के अनुसार, मशीन को यू.एस.एफ.डी.ए. प्रमाणित {510 (के) क्लीयरेंस} होना चाहिए था या सी.ई. मार्क²⁹ होना चाहिए। नई दिल्ली स्थित एक फर्म को ₹ 2.10 करोड़ मूल्य की 20 मशीनों के लिए ₹ 10.50 लाख प्रति यूनिट की दर से दर निविदा प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.ई. प्रमाणीकरण के समर्थन में दस्तावेज को बोली के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था। फर्म ने केंद्र परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय (सी.टी.आई.), (ई.यू. अधिसूचित निकाय) द्वारा दिनांक 9 अगस्त 2017 को जारी किए गए सी.ई. प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत किया, जो कि निविदा (जून 2017) के समापन की तारीख के बहुत समय के बाद की थी। इस प्रकार, आपूर्ति आदेश अयोग्य फर्म को दिया गया था, जो फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने के समान है।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया (दिसंबर 2018) कि निविदा दस्तावेज में यह उल्लेखित नहीं था कि निविदा की अंतिम तिथि से पहले उद्धृत वस्तु पर अधिसूचित निकाय से सी.ई. मार्क होना चाहिए था। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निविदा विनिर्देशों में उल्लेख किया गया था कि उपकरण में अधिसूचित निकाय (ई.यू.) से यू.एस.एफ.डी.ए. या सी.ई. मार्क होना चाहिए था, जिसका अर्थ है कि बोली प्रस्तुत करने के समय फर्म के पास प्रमाण-पत्र होना चाहिए था।

²⁹ सी.ई. मार्किंग एक प्रमाणन चिह्न है जो यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के भीतर बेचे जाने वाले उत्पादों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण मानकों के अनुरूप है।

3.6.2.4 कीमत की अपर्याप्त तुलना के कारण अधिक व्यय

डी.जी.एच.एस. ने सितंबर 2015 में 19 सिंगल पंचर लेप्रोस्कोप³⁰ मशीनों के लिए इंडेंट भेजे और हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नवंबर 2015 में उसी के लिए दर निविदा के लिए खुली निविदा आमंत्रित की, परन्तु एकल निविदा प्राप्त होने के कारण खरीद को अंतिम रूप नहीं दिया गया। फरवरी 2017 में निविदाएं फिर से आमंत्रित की गईं। नई दिल्ली की केवल एक फर्म ने इस उत्पाद के लिए मार्च 2017 में अपनी बोली प्रस्तुत की। जून 2017 में दो वर्षों के लिए 21 मशीनों के लिए ₹ 12.90 लाख (5.25 प्रतिशत की दर से वैट को छोड़कर) प्रति मशीन की दर से आर.सी. प्रदान की गई।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पांच वर्ष के लिए एक ही बनावट और समान विनिर्देशों वाले व्यापक रख-रखाव अनुबंध (सी.एम.सी.) की दर से हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (₹ 16.76 लाख/मशीन की दर से) और पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन (पी.एच.एस.सी) (₹ 13.14 लाख प्रति मशीन की दर से) द्वारा भरे रेट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इस प्रस्ताव की तुलना की। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.एम.एस.सी.एल.) ने समान विनिर्देशों के साथ और उसी बनावट की मशीनें ₹ 6.95 लाख (2 प्रतिशत की दर से वैट को छोड़कर) की दर पर खरीदी थी और अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान इसकी आर.सी. वैध थी। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस मशीन के लिए निर्माता (कार्ल स्टॉरज़, जर्मनी) के साथ आर.एम.एस.सी.एल. के आर.सी. से भी अवगत थे। तथापि, हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दरों को अंतिम रूप देते समय आर.एम.एस.सी.एल. की दरों की तुलना नहीं की।

यह उल्लेख करना उचित है कि आर.एम.एस.सी.एल. के क्रय आदेश की प्रति उनके अभिलेख में थी तथा अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त करने के लिए दरों से तुलना की जानी चाहिए थी।

हरियाणा और राजस्थान में आपूर्ति किए गए पुर्जों सहित मशीन के विभिन्न घटकों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा विस्तृत तुलना भी की गई **(परिशिष्ट 3.16)**।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया (नवंबर 2018) कि पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन और एच.पी. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खरीदे गए उपकरण एक ही मॉडल के और एक ही विक्रेता से हाल ही में खरीदे गए थे तथा इसकी तुलना बोलीदाताओं की दरों में की गई थी। आगे, यह तर्क दिया कि हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निविदा दस्तावेजों की निबंधन और शर्तें आर.एम.एस.सी.एल. की तुलना में अधिक कड़ी थी। तथापि, यह तर्क भी सही नहीं था क्योंकि आर.एम.एस.सी.एल. के आर.सी. में तीन साल की गारंटी एवं पांच साल के व्यापक रख-रखाव अनुबंध (सी.एम.सी.) के विरुद्ध हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आर.सी. तीन साल की वारंटी एवं चार साल के सी.एम.सी. को कवर करता था। इस प्रकार, एकल टेंडर दरों को अंतिम रूप देते समय विवेक से काम नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 1.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

³⁰ जब टेलीस्कोप के माध्यम से पेट के अंदर देखने के लिए आपरेशन किया जाता है, तो इसे लेप्रोस्कोपी कहा जाता है।

3.6.2.5 ब्लैक लिस्टेड फर्मों से दवाओं की खरीद

दवा खरीद नीति 2015 के अनुच्छेद 1.5 के अनुसार, बोलीदाता बहिष्कार की अवधि के दौरान उस उत्पाद/उत्पादों के लिए बोली प्रस्तुत करने के योग्य नहीं थे जिसके लिए हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य/केंद्र सरकार के संगठन द्वारा फर्म/कंपनी को ब्लैकलिस्ट/बहिष्कृत किया गया था। अभिलेखों की जांच से पता चला है कि हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दो ब्लैकलिस्टेड फर्मों से ₹ 42.94 लाख की दवाएँ खरीदी थीं (परिशिष्ट 3.17)।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया (मई 2018) कि इसके द्वारा आर.सी. जारी होने के बाद यदि किसी फर्म को किसी अन्य संस्था द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है तो इसका आर.सी. पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ आर.सी. करने से पहले परिशिष्ट में सूचीबद्ध फर्मों को अन्य राज्यों द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को फर्मों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अन्य चिकित्सा निगमों/विभागों की वेबसाइट से आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति का सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।

3.6.2.6 दवाओं की आपूर्ति न करने पर जुर्माना नहीं लगाना

खरीद नीति (अप्रैल 2015) के अनुच्छेद 3.1 और 3.2 के अनुसार, सुपुर्दगी की अवधि 60 दिनों की होगी और निर्जीवाणुता परीक्षण की आवश्यकता वाली दवाइयों के मामले में, सुपुर्दगी की अवधि 75 दिन होगी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 3.4 से 3.6 यह अनुबंधित करता है सुपुर्दगी की अवधि के भीतर मांग की गई प्रमात्रा के 90 प्रतिशत से कम औषधियों की आपूर्ति के मामले में अनिष्पादित मूल्य का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त फर्म के जोखिम और लागत पर शेष मात्रा की खरीद की जाएगी।

2015-18 के दौरान दवाओं की आपूर्ति न होने से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि 146 मामले ऐसे थे जिनमें सुपुर्दगी का अधिकतम समय प्रदान करने के बाद भी आपूर्ति पूरी तरह से या आंशिक रूप से भी नहीं हुई थी। इन मामलों में, दवाओं की आपूर्ति में देरी सुपुर्दगी की अवधि से 68 और 464 दिनों³¹ के मध्य थी। इन मामलों में वसूल किए जाने वाले कुल जुर्माने की राशि ₹ 1.09 करोड़ (अनापूर्ति दवाओं का मूल्य ₹ 5.43 करोड़ का 20 प्रतिशत) परिकलित की गई, जो वसूल नहीं की गई थी। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया (नवंबर 2018) कि जुर्माना वसूल करने का मामला प्रक्रियाधीन था।

3.6.3 दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता और उपयोग

3.6.3.1 हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दवाओं की अपर्याप्त आपूर्ति

आवश्यक दवाओं की सूची (आवश्यक दवाओं) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए न्यूनतम आवश्यक दवाओं की सूची है, जिसमें प्राथमिकता वाली स्थितियों के लिए सबसे प्रभावी,

³¹ 68-100 दिन: 16 मामले, 100-200 दिन: 64 मामले, 200-300 दिन: 37 मामले और 300-464 दिन: 29 मामले


सुरक्षित और कम लागत वाली दवाओं की सूची होती है। महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा, ने आवश्यक दवाओं के अंतर्गत 790 दवाओं/उपभोग्य सामग्रियों को शामिल किया था। मई 2018 तक, हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने केवल 426 (53.92 प्रतिशत) आवश्यक दवाओं के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दिया था, जिसमें से केवल 299 रेट कॉन्ट्रैक्ट दवाओं के लिए थे। हिसार, अंबाला और गुरुग्राम में नमूना-जांच किए गए गोदामों में क्रमशः केवल 271 (232 दवाएं), 299 (257 दवाएं) और 296 (221 दवाएं) वस्तुएं उपलब्ध थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनुच्छेद 3.6.2.6 के अनुसार अनुबंधित समय के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं, जो आवश्यक औषधि (आवश्यक दवाओं) की आपूर्ति निर्धारित अवधि के भीतर करने में विफल रहे, के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की थी।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने उत्तर (नवंबर 2018) में बताया कि 790 मर्चों में से केवल 357 दवाइयां थीं और 80 प्रतिशत दवाओं के लिए दर अनुबंध उपलब्ध था। यह भी बताया गया कि 249 दवाएं हैं (जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, अमोक्सिसिलिन, आदि) जो विभिन्न क्षमता और खुराक के साथ विभिन्न 357 घटक बनाती हैं, जो उद्देश्य पूरा करती हैं।

ये सभी 790 दवाएं/उपभोग्य वस्तुएं राज्य सरकार द्वारा घोषित आवश्यक दवाओं का हिस्सा थीं और उन्हें चिकित्सा केंद्रों पर उपलब्ध कराना हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जिम्मेदारी थी।

3.6.3.2 चिकित्सा केंद्रों में आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता

159 जिला अस्पतालों/उप मंडल अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यक दवाओं (हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गई और साथ ही स्थानीय खरीद) की उपलब्धता की ऑनलाइन ड्रग इन्वेंटरी और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली से जांच की गई (जून 2018) और उसकी स्थिति नीचे ग्राफ में दी गई है:



जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, केवल दो चिकित्सा केंद्रों (कुराली और तोशाम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) में 60 प्रतिशत से जरा सा अधिक आवश्यक दवाएं थीं। 126 चिकित्सा केंद्रों में, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता 30 से 60 प्रतिशत तक थी। सात³² चिकित्सा केंद्रों के मामले में,

³² (i) उप-जिला अस्पताल, बल्लभगढ़, (ii) के.एल. जालान आई हॉस्पिटल, भिवानी, (iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सोंध, (iv) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औरंगाबाद, (v) उप-जिला अस्पताल, नरवाना, (vi) उप-जिला अस्पताल, हांसी और (vii) उप-जिला अस्पताल, कोसली।

आवश्यक दवाओं की उपलब्धता 10-20 प्रतिशत के मध्य थी।

नमूना-जांच किए गए 15 चिकित्सा केंद्रों में, दवाओं की उपलब्धता 20-55³³ प्रतिशत के मध्य थी। चार अस्पतालों में दवा काउंटर पर यादृच्छिक रूप से ओ.पी.डी. पर्ची/पर्चे के संयुक्त सत्यापन से सामने आया कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई कई आवश्यक दवाएं उनके स्टॉक में उपलब्ध नहीं थीं, जैसा कि तालिका 3.6 में विवरण है।

तालिका 3.6: संयुक्त सत्यापन के दौरान अनुपलब्ध पाई गई दवाओं का विवरण

क्र. सं.	चिकित्सा सुविधाएं	सत्यापित पर्चे की संख्या	लिखी गई दवाओं की संख्या	दवाओं की संख्या उपलब्ध नहीं है (प्रतिशत)
1	डी.एच. अंबाला कैंट	107	382	84 (22)
2	डी.एच. पलवल	60	169	21(12)
3	डी.एच. गुरुग्राम	44	159	69(43)
4	उप मंडल अस्पताल नारायणगढ़	52	169	7(4)

(स्रोत: ओपीडी पर्चे के संयुक्त सत्यापन के आधार पर संकलित डाटा)

ऊपरोक्त से यह स्पष्ट था कि नमूना-जांच किए गए चिकित्सा केंद्रों में 4 से 43 प्रतिशत तक लिखी गई दवाएं उपलब्ध नहीं थीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि दवाओं की अनुपलब्धता के लिए मुख्य कारणों में सभी आवश्यक दवाओं को आपूर्ति करने में हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से विफलता, स्थानीय खरीद करने में जिला अस्पतालों की विफलता, क्योंकि स्थानीय आर.सी. में सभी आवश्यक दवाओं को कवर नहीं किया गया था और स्थानीय खरीद के लिए अपर्याप्त बजट (अंबाला के मामले में) शामिल था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मामले में डाक्टरों की कमी, भंडार में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाएं नहीं रखने के कारणों में से एक थी।

3.6.3.3 दवाओं की स्थानीय खरीद में एकरूपता का अभाव

अस्पतालों को हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोदाम में अनुपलब्ध दवाओं/उपभोग्य सामग्रियों की स्थानीय खरीद करने की अनुमति है। नमूना-जांच किए गए सुविधा केंद्रों में ₹ 30.23 करोड़ की आवश्यक दवाओं की कुल खरीद में से, स्थानीय खरीद ₹ 7.24 करोड़ की थी, जो आवश्यक दवाओं की कुल खरीद का 24 प्रतिशत (परिशिष्ट 3.18) था।

चयनित चिकित्सा केंद्रों में कुल खरीद (हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी की गई दवाओं सहित) के लिए स्थानीय खरीद का प्रतिशत चार (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फारुखनगर) और 44 प्रतिशत (उप मंडल अस्पताल टोहाना) के मध्य है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दवाओं की स्थानीय खरीद के लिए कोई निश्चित नीति नहीं थी। दवाओं की खरीद के लिए विभिन्न चिकित्सा केंद्र विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे जैसा कि तालिका 3.7 में दर्शाया गया है:

³³ (i) उप-जिला अस्पताल हांसी - 20 प्रतिशत और (ii) जिला अस्पताल हिसार - 55 प्रतिशत।

तालिका 3.7: दवाओं की खरीद के लिए विभिन्न जिलों में अपनाई गई प्रक्रिया

क्रम सं.	जिला	अपनाई गई खरीद प्रक्रिया
1	हिसार तथा पलवल	स्थानीय खरीद कोटेशन के साथ या कोटेशन के बिना की जा रही थी। तथापि, 2015-16 के लिए हिसार जिले में दर अनुबंध था।
2	गुरुग्राम तथा अंबाला	केवल डी.एच. अंबाला सिटी और डी.एच. गुरुग्राम ने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया था। अन्य केंद्र कोटेशन के साथ या कोटेशन के बिना स्थानीय खरीद कर रहे थे।
2	फतेहाबाद	2015-18 के दौरान सिविल सर्जन ने हर साल आर.सी. को अंतिम रूप दिया था, जो जिले में सभी चिकित्सा केंद्रों के लिए लागू थे।

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

डी.एच. हिसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरवाला और उप मंडल अस्पतालों हांसी की स्थानीय खरीद की दरों की तुलना नजदीक के जिला फतेहाबाद के रेट कॉन्ट्रैक्ट से करने से पाया कि बाद वाले की दरें कम थीं, और कुछ मामलों में, यह हिसार जिले की दर से आधी थी। उदाहरण के लिए, 2015-16 के दौरान, डी.एच. हिसार ने सिप्रोफ्लोक्सासिन ड्रॉप्स, इंजेक्शन वैंकोमाइसिन 250 और हीमोग्लोबिन (एच.बी.) ट्यूब की खरीद प्रति यूनिट क्रमशः ₹ 11.70, ₹ 237 और ₹ 110 की दर से की थी जबकि फतेहाबाद जिले में इन वस्तुओं को क्रमशः ₹ 4.30, ₹ 90 और ₹ 25 प्रति यूनिट की दर से खरीदा गया था। तथापि, फतेहाबाद जिले के अधिकांश आपूर्तिकर्ता हिसार के थे।

आस-पास के जिलों/चिकित्सा केंद्रों में दरों में अंतर के परिणामस्वरूप दवाओं की खरीद ₹ 27.15 लाख³⁴ की अधिक कीमत पर की गई थी।

डी.जी.एच.एस. ने बताया (दिसंबर 2018) कि जिला स्तर पर सभी सिविल सर्जन और पी.एम.ओ. को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आर.सी. करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे (दिसंबर 2018)।

3.6.3.4 उपकरणों का उपयोग न करना

₹ 1.81 करोड़ (परिशिष्ट 3.19) मूल्य की फेको इमल्सीफिकेशन मशीन, एक्स-रे मशीन, ऑर्थो ड्रिल, डेंटल चेयर इत्यादि जैसे उपकरण प्रशिक्षित/पेशेवर मानव शक्ति की अनुपलब्धता के कारण अप्रयुक्त पड़े हुए थे। उदाहरण के लिए, मशीनों की स्थापना के बाद भी छः चिकित्सा केंद्रों³⁵ पर पिछले 7 से 45 महीनों तक एक्स-रे मशीनों के संचालन के लिए रेडियोग्राफर तैनात नहीं थे। इस प्रकार, रेडियोग्राफरों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही मशीनों की आपूर्ति की गई थी। इसी प्रकार, सितंबर 2017 में डी.एच. हिसार में प्राप्त आठ इंटेंसिव केयर यूनिट (आई.सी.यू.) बेड बेकार पड़े थे, क्योंकि कोई आई.सी.यू. प्रस्थापित नहीं था (मार्च 2018)। इसके अतिरिक्त, डी.एच. फतेहाबाद और डी.एच. पलवल में बिना किसी मांग के इम्पेडेस मीटर, ऑडियोमीटर, बी.ई.आर.ए. और ओ.ए.ई. जैसे उपकरणों की आपूर्ति की गई। जून 2017 में उप मंडल अस्पताल हांसी में एक फेको इमल्सीफिकेशन मशीन प्राप्त हुई थी, लेकिन ऑपथेल्मिस्ट का पद जुलाई 2016 से रिक्त

³⁴ हांसी- ₹ 0.38 लाख, बरवाला- ₹ 1.34 लाख, हिसार- ₹ 14.13 लाख, अंबाला कैंट- ₹ 4.81 लाख, नारायणगढ़- ₹ 1.52 लाख और पलवल - ₹ 4.97 लाख।

³⁵ यू.एच.सी. सूर्यनगर हिसार, पॉलीक्लिनिक हुडा फतेहाबाद, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुलाना, जिला अस्पताल गुरुग्राम, उप-जिला अस्पताल हेल्लीमंडी और पॉलीक्लिनिक, सेक्टर 31, गुरुग्राम।

पड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त, मशीन को शिफ्ट करने के लिए या पूर्णकालिक/अंशकालिक ऑपथेल्मिस्ट तैनात करके इसके अनुप्रयोग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया गया था। डी.एच. अंबाला में लेप्रोस्कोप सर्जरी सेट अनुपयोगी पड़ा हुआ था क्योंकि मशीन को संचालित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, पर्याप्त मानव शक्ति/बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना उपकरणों की मांग/आपूर्ति की जा रही थी। कर्मचारियों/डॉक्टरों को अतिरिक्त प्रभार के साथ तैनात करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था जिससे अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपकरणों का उपयोग किया जा सके। उपकरणों का उपयोग न करने की जिम्मेदारी संबंधित सिविल सर्जनों पर है क्योंकि मांग उनके द्वारा डी.जी.एच.एस. को भेजी जा रही थी। इसके अतिरिक्त, कई मामलों में उपकरणों की वारंटी अवधि भी उपकरण के उपयोग के बिना ही समाप्त हो गई थी। हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त उपकरणों के मामले में, अस्पतालों/डिस्पेंसरियों ने किसी भी उपकरण के निवारक त्रैमासिक रख-रखाव से संबंधित, यदि कोई हो, कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया था, यद्यपि आपूर्ति आदेशों के निबंधनों अनुसार उपकरणों का त्रैमासिक रख-रखाव आवश्यक था।

डी.जी.एच.एस. ने बताया (दिसंबर 2018) कि चिकित्सा उपकरणों की मांग भेजने से पहले स्थान, मानव शक्ति और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी सिविल सर्जन और पी.एम.ओ., को निर्देश जारी किए गए थे (दिसंबर 2018)। यह भी बताया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों से उन उपकरणों की उपलब्धता के बारे में जानकारी भी मांगी गई थी जो उपयोग में नहीं थे, ताकि उन्हें अन्य जिलों में उपयोग में लाया जा सके।

चिकित्सा उपकरण तथा पैरा चिकित्सा स्टाफ के अभाव में जन साधारण को उचित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

3.6.4 आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

3.6.4.1 भंडार प्रबंधन

दवाओं का सुरक्षित और उचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए, क्षति और अनाधिकृत निष्कासन से सुरक्षा और सही समय और सही जगह पर सही मात्रा में दवाओं को जारी करना सुनिश्चित करने के लिए के लिए कुशल भंडार प्रबंधन आवश्यक है। डब्ल्यू.एच.ओ. के दिशानिर्देशों के अनुसार, भंडारण स्थान के साथ-साथ भंडारण की स्थिति पर्याप्त/वैज्ञानिक³⁶ होनी चाहिए। गोदाम क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान, भंडार प्रबंधन में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- पर्याप्त संख्या में रैक या पैलेट उपलब्ध नहीं थे। चयनित गोदामों³⁷ में 413 पैलेट और 80 रैक की कमी थी। पर्याप्त पैलेट्स और रैक की अनुपस्थिति में, दवाइयों के बक्सों के ढेर फर्श पर पड़े थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

³⁶ पर्याप्त भंडारण स्थान, स्वच्छ और स्वच्छ भंडारण की स्थिति, क्षतिग्रस्त और खराब हुए उत्पादों को अलग करना, आदि।

³⁷ पैलेट्स: हिसार- 40, अंबाला- 130, गुरुग्राम- 243; रैक: हिसार- 21, अंबाला- 11 और गुरुग्राम- 48

	
<p>हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड भंडारण- अंबाला</p>	<p>हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड भंडारण- हिसार</p>

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया (नवंबर 2018) कि अतिरिक्त रैक और पैलेट की खरीद प्रगति पर थी।

- हिसार, अंबाला और गुरुग्राम में गोदामों में आवश्यक दवाओं के क्रमशः 60, 18 और 162 बैचों को नॉन-पास³⁸ क्षेत्र में संग्रहित किया गया था तथा 127³⁹ बैच दो से 17 महीनों से खराब हो चुके थे।
- ₹ 1.24 करोड़ मूल्य के खराब हो चुके/बदले नहीं गए/उठाए नहीं गए स्टॉक एक वर्ष से अधिक समय से गोदामों में पड़ा था। उचित समय के बाद आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्टॉक नहीं उठाने पर उनके विरुद्ध जुर्माना लगाने का प्रावधान होना चाहिए।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया (नवंबर 2018) कि लेखापरीक्षा के सुझावों से निदेशक मंडल को अवगत कराया जाएगा।

अस्पतालों के भंडार प्रबंधन में निम्नलिखित कमियों को देखा गया:

- जिला स्वास्थ्य. में ऐसा कोई रजिस्टर/अभिलेख नहीं था, जो बी.पी. उपकरण, स्टेथोस्कोप, सक्शन मशीन, ई.सी.जी. मॉनीटर, लिनन आदि जैसे उपकरणों का पिछला शेष, वर्ष के दौरान बढ़ोतरी, वर्ष के दौरान जारी और अंतिम शेष दिखा रहा था। हरियाणा द्वारा यथा अपनाए गए पंजाब वित्तीय नियम (खंड-1) यथा नियम 15.16 की अपेक्षितानुसार इन वस्तुओं का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (दिसंबर 2018) कि सभी सिविल सर्जन और पी.एम.ओ. को इस तरह के अभिलेख रखने के निर्देश जारी किए गए थे।

- यह भी देखा गया कि दवाओं/उपभोग्य सामग्रियों को मुख्य भंडार से विभिन्न वार्डों जैसे कैजुअल्टी, मैटरनिटी, इमरजेंसी, फार्मैसी आदि के लिए जारी किया गया था। इन वस्तुओं

³⁸ नॉन-पास क्षेत्र का अर्थ है, वह क्षेत्र जहां दवाओं/उपभोग्य को गुणवत्ता की मंजूरी तक रखा जाता है।

³⁹ हिसार - 51, अंबाला - 17 और गुरुग्राम - 59

की वास्तविक खपत इन वार्डों/विंगों द्वारा बनाए रजिस्टर में दर्ज की जा रही थी। तथापि, नर्सिंग स्टाफ द्वारा की गई खपत की प्रविष्टियों की जांच करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके अलावा, भौतिक सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था। इस तरह के आंतरिक नियंत्रण के अभाव में, इन वस्तुओं के चोरी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया (दिसंबर 2018) कि सभी सिविल सर्जन और पी.एम.ओ. को इस तरह के रजिस्ट्रों को बनाने और उपभोग की प्रविष्टियों की जांच के लिए प्रणाली विकसित करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।


- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतिया में हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोदाम से प्राप्त कुल दवाओं, वार्डों को जारी की गई दवाओं, शेष राशि, आदि के बारे में, फार्मासिस्ट ने कोई विवरण नहीं रखे थे। यह जानकारी अन्य सभी अस्पतालों में रखी जा रही थी। 2014-18 के दौरान, हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोदाम से प्राप्त दवाओं/ उपभोग्य सामग्रियों का मूल्य ₹ 82.02 लाख था और इसके बाद ₹ 9.82 लाख की स्थानीय खरीद की गई थी, जिसका कोई विवरण नहीं रखा गया था। विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

3.6.4.2 गुणवत्ता नियंत्रण- प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त करने में देरी

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नीति के अनुसार, पैनल में शामिल प्रयोगशालाओं द्वारा खरीदी गई औषधि के सभी बैचों का गुणवत्ता परीक्षण किया जाना चाहिए था। प्रयोगशालाओं को नमूनों की प्राप्ति के 8 और 21 दिनों के भीतर क्रमशः निर्जीवाणुता और जीवाणुता⁴⁰ की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। अवमानक गुणवत्ता घोषित हो चुकी दवाओं को पूर्ण रूप से रोक लेना चाहिए था और स्वास्थ्य संस्थानों को जारी नहीं किया जाना था।

2015-18 (07 फरवरी 2018 तक) के दौरान हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं में औषधियों के 5,133 बैच भेजे। तथापि, प्रयोगशालाएं 5,133 बैचों में से 1,949 बैचों की नमूना-जांच रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने में विफल रही तथा विलंब 22 और 506 दिनों की सीमा में थे, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

⁴⁰ जीवाणुहीन उत्पाद उन उत्पादों को कहते हैं जो सूक्ष्म जीवों से मुक्त होते हैं उदाहरणार्थ, इंजेक्शन, टांके आदि।



लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नमूना-जांच किए गए 43 बैचों में से, परीक्षण प्रक्रिया में असाधारण देरी के कारण नौ बैच 20 से 69 प्रतिशत खराब हो चुके थे।

हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया (नवंबर 2018) कि नमूनों के परीक्षण में देरी से बचने के लिए सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई की जाएगी।

3.6.5 निष्कर्ष

यद्यपि केंद्रीकृत खरीद के कारण दवाओं और उपकरणों की खरीद में सुधार हुआ था, लेकिन सिस्टम में कुछ कमियां थीं जैसे कि इंडेंट के प्रक्रियाकरण में देरी, अयोग्य फर्मों को रेट कांट्रैक्ट की प्रदानगी, बहिष्कृत फर्मों से खरीद, अपर्याप्त मूल्य तुलना जिससे अतिरिक्त व्यय हुआ और दवाओं की अनापूर्ति/विलंबित आपूर्ति के लिए ₹ 1.09 करोड़ का जुर्माना वसूल नहीं किया गया था। चिकित्सा केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता अपर्याप्त थी। स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा दवाओं की स्थानीय खरीद के लिए अनुसरित प्रक्रिया समान और पारदर्शी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, केंद्रों में ₹ 1.81 करोड़ मूल्य के उपकरण अप्रयुक्त पड़े थे। लोगों को प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन मुद्दों पर समाधान करने की आवश्यकता है।

इन बिंदुओं को जुलाई 2018 में सरकार को संदर्भित किया गया था और आगामी स्मरण-पत्र जनवरी 2019 में जारी किया गया; उनका उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (मई 2019)।

गृह व न्याय प्रशासन विभाग

3.7 वेतन एवं भत्तों पर निष्फल व्यय

राज्य सरकार अगस्त 2013 से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप प्राधिकरण अकार्यात्मक रहा और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा नहीं किया जा सका। इसमें तैनात कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.24 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा।

एक कुशल, पेशेवर, प्रभावी, जवाबदेही, लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार और उत्तरदायी पुलिस प्रदान करने के उद्देश्य के साथ हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम) को जून 2008 में अधिसूचित किया गया था। अधिनियम की धारा 59 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन महीने के भीतर राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (प्राधिकरण) की स्थापना की जाए और जब भी आवश्यकता हो तो प्रत्येक जिले के लिए जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण हो। अधिनियम की धारा 66 के अनुसार, प्राधिकरण के पास नागरिक अदालत की सभी शक्तियां होंगी, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत गवाहों को बुलाने/गवाहों की उपस्थिति और शपथ पर उनको जांचने के लिए मुकद्दमा चलाया जायेगा।

प्राधिकरण पुलिस कर्मियों के विरुद्ध गंभीर दुराचार के आरोपों की घटनाएं जैसे मौत, गंभीर चोट, पुलिस हिरासत में बलात्कार, आदि की जांच करने के लिए था। प्राधिकरण के निष्कर्षों और सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए विचार किया जाना वांछित था।

सरकार ने प्राधिकरण का गठन किया तथा सितंबर 2010 में एक अध्यक्ष को नियुक्त किया। अध्यक्ष का कार्यकाल अगस्त 2013 में समाप्त हो गया था। सितंबर 2010 से अगस्त 2013 के मध्य 410 शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें से 232 शिकायतों का निपटान कर दिया गया था, 96 शिकायतें प्राधिकरण से संबंधित नहीं थीं और 82 शिकायतें लंबित थीं। प्राधिकरण को एक बहु-सदस्यीय संस्था बनाने के लिए अधिनियम को संशोधित (अप्रैल 2014) किया गया था। तथापि जुलाई 2018 तक सरकार द्वारा अध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्यों को नियुक्त नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 59 (2)(सी) के अंतर्गत मुख्यमंत्री के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए नामों के प्रस्ताव के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाना अपेक्षित था। इस समिति का भी गठन नहीं किया गया है। अगस्त 2013 से प्राधिकरण को 681 शिकायतें मिलीं, लेकिन प्राधिकरण के अध्यक्ष/ सदस्यों की नियुक्ति नहीं होने के कारण किसी भी शिकायत का निपटारा नहीं किया जा सका। अगस्त 2013 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान 18 पदों की संस्वीकृत संख्या के विरुद्ध तीन⁴¹ व्यक्ति प्राधिकरण में तैनात रहे। इस अवधि के दौरान इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर ₹ 1.24 करोड़ का व्यय किया गया।

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने (नवंबर 2017) तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि शिकायतों का निपटारा नहीं किया जा सका क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण शिकायतकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा सका था। यह भी कहा गया कि अगस्त 2013 और जून 2018 की अवधि के मध्य प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित मामला सरकार के साथ उठाया गया था, लेकिन वह सरकार के पास लंबित रहा। इस प्रकार, चार साल से अधिक होने पर भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई और प्राधिकरण अकार्यात्मक रहा। **परिणामस्वरूप, प्राधिकरण को प्रस्थापित करने के लिए विधायी उद्देश्य समाप्त हो गया है, और प्राधिकरण अपने अधिदेश को पूर्ण करने में असमर्थ रहा। आगे, प्राधिकरण में तैनात कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर किए गए ₹ 1.24 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया है।**

⁴¹ सहायक जिला अटॉर्नी, इंस्पेक्टर और कांस्टेबल।

मामला (मार्च 2018) सरकार को भेजा गया था और आगामी स्मरण-पत्र मई 2018 में जारी किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

**आवास विभाग
(हाउसिंग बोर्ड हरियाणा)**

3.8 परित्यक्त आवास परियोजना पर परिहार्य व्यय

रोहतक में हाउसिंग बोर्ड द्वारा वर्धित लागतों के लिए आबंटियों की सहमति तथा परियोजना की व्यवहार्यता निश्चित किए बिना फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू करने के परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹ 8.98 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जिसे अंत में परित्यक्त कर दिया गया।

बोर्ड ऑफ मॅबर्स (बी.ओ.एम.), हाउसिंग बोर्ड हरियाणा (एच.बी.एच.) ने जींद रोड, रोहतक में 878⁴² बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया (अप्रैल 2012)। मार्च और अप्रैल 2013 के मध्य एच.बी.एच. ने फ्लैट की संभावित लागत का 10 प्रतिशत के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किये जिसके विरुद्ध 4,570⁴³ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने इन फ्लैटों के निर्माण के लिए मई 2013 में ₹ 151 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया। नवंबर 2013 में फ्लैटों की लॉटरी का ड्रॉ आयोजित किया गया था और सभी सफल आवेदकों को फ्लैट की संभावित लागत का 15 प्रतिशत जमा करने के लिए मांग-पत्र जारी किए गए।

फरवरी और जून 2014 के मध्य फ्लैटों को 11 समूहों में विभाजित करके सभी 686 टाइप ए, बी और सी फ्लैटों (192 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों को छोड़कर) के निर्माण के लिए ₹ 170.97 करोड़ की कुल अनुमानित राशि के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। परन्तु, पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त न होने के कारण कार्य का आबंटन नहीं किया गया, पर्यावरण क्लीयरेंस मार्च 2015 में प्राप्त हुई। इस मध्य, महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित, आर्किटेक्चरल ड्राइंग के आधार पर एच.बी.एच. ने (मार्च 2015) टाइप ए, बी और सी फ्लैटों⁴⁴ के कवर क्षेत्र में वृद्धि, सभी श्रेणियों में स्टिल्ट पार्किंग के लिए प्रावधान और भूमि लागत पर ब्याज के कारण फ्लैटों की लागत में वृद्धि कर दी। ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों की लागत में संशोधन लंबित रखा गया। आबंटियों ने मई 2015 तक परियोजना में रुचि खोना शुरू कर दिया, क्योंकि 'ए' 'बी' और 'सी' श्रेणी के 686 आबंटियों में से 173 ने अपने फ्लैटों को सरेंडर कर दिया और 48 आबंटों 15 प्रतिशत राशि जमा करने में विफल रहे। एच.बी.एच. ने सरेंडर किए फ्लैटों के लिए मार्च

⁴² टाइप-ए (1,750 वर्ग फुट): 48, टाइप-बी (1,450 वर्गफुट): 126 और टाइप-सी (1,200 वर्गफुट): 512 फ्लैट हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, इसके बोर्ड और निगम के लिए और 192 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट (370 वर्गफुट) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए (ई.डब्ल्यू.एस.) और एक पुरातात्विक स्थल खोखराकोट (रोहतक) के अनधिकृत रहने वालों के पुनर्वास के लिए।

⁴³ टाइप-ए: 143, टाइप-बी: 574, टाइप-सी: 3,467 और ई.डब्ल्यू.एस. 386

⁴⁴ टाइप-ए - 1,750 वर्गफुट से 1,945 वर्गफुट: लागत ₹ 41.20 लाख से ₹ 55.60 लाख (34.95 प्रतिशत) टाइप-बी - 1,450 वर्गफुट से 1,524 वर्गफुट लागत ₹ 33.30 लाख से ₹ 43.20 लाख (29.73 प्रतिशत); और टाइप -1 सी - 1,200 वर्गफुट से 1,212 वर्गफुट लागत ₹ 27.80 लाख से ₹ 37.30 लाख (34.17 प्रतिशत)।

2015 के दौरान, संशोधित संभावित लागत के साथ आवेदन पुनः आमंत्रित किए। इसके उत्तर में, केवल छः आवेदन प्राप्त हुए। यह इंगित करता है कि फ्लैटों के लिए पर्याप्त मांग का अभाव था। मुख्य अभियंता, एच.बी.एच., ने फ्लैटों की लागत में वृद्धि के लिए आबंटियों की सहमति प्राप्त किए बिना, 428⁴⁵ फ्लैटों का निर्माण अनुमोदित किया (सितंबर 2015)। ई.ई., एच.बी.एच., रोहतक ने फरवरी और जून 2014 में प्राप्त निविदाओं के विरुद्ध सितंबर-अक्टूबर 2015 में ₹ 120.56 करोड़ की अनुबंध राशि के लिए 428 फ्लैटों के निर्माण के लिए 11 निर्माण कार्य प्रदान किए। परन्तु, आवास मंत्री (मई 2016) ने साइट पर काम को रोकने के आदेश दिए और फ्लैटों की संशोधित लागत के बारे में आबंटियों को सूचित करने के निर्देश दिए। तदनुसार, शेष आबंटियों को संशोधित लागत के लिए अपनी सहमति देने के लिए अनुरोध किया गया (नवंबर 2016)। जवाब में, 177 और आबंटियों ने धन को लौटाने का अनुरोध किया। दिसंबर 2016 तक, 686 मूल आबंटियों में से केवल 182⁴⁶ आबंटी ही शेष रह गए। मुख्य प्रशासक, एच.बी.एच. ने निर्णय लिया (दिसंबर 2016) कि जिन आबंटियों ने आबंटन से अपने नाम वापस ले लिए थे, उन्हें जमा राशि प्रति वर्ष 5.5 प्रतिशत⁴⁷ की दर के साथ वापस कर दी जाए। बी.ओ.एम. ने परियोजना को बंद करने का फैसला किया (अक्टूबर 2017) और उसके बाद जनवरी 2018 में ई.ई. ने सभी 11 अनुबंधों को समयपूर्व ही बंद कर दिया। आंशिक रूप से निर्मित ढांचे पर ₹ 8.98 करोड़ व्यय किया गया था जो बाद में परित्यक्त कर दिया गया।

मुख्य प्रशासक, एच.बी.एच. ने बताया (नवंबर 2018) कि फ्लैटों का निर्माण शुरू करने का निर्णय जुलाई 2015 में इस विचार के बाद लिया गया था, कि योजना के ब्रोशर में यह खंड था कि न्यायालय की मध्यस्थता/निर्णय या सरकार द्वारा टैक्स के कारण, यदि फ्लैटों की कीमत बढ़ती है तो आबंटी फ्लैटों की बढ़ी हुई लागत का भुगतान करने के लिए बाध्य थे। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एच.बी.एच. ने फ्लैटों के आकार को बढ़ाकर, स्टिल्ट पार्किंग प्रदान करके और भूमि की लागत पर ब्याज भारित करके फ्लैटों की लागत को संशोधित किया था। आगे यह जानने के बावजूद कि मई 2015 में ही 686 आबंटियों में से 173 आबंटियों ने पहले ही अपने फ्लैटों को सरेंडर कर दिया था, निर्माण कार्य प्रदान किए गए। एच.बी.एच. को काम प्रदान करने से पहले और किसी भी प्रकार का व्यय करने से पहले आबंटियों की सहमति लेनी चाहिए थी।

इस प्रकार, बढ़ी हुई लागत के लिए आबंटियों की सहमति और परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाए बिना फ्लैटों का निर्माण शुरू करने में, विशेष रूप से ऐसे परिदृश्य में जहां आवेदक लगातार अपने आवेदन वापस ले रहे थे, परियोजना पर ₹ 8.98 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया, अंत में जिसका परित्याग कर दिया गया था।

सरकार ढांचों के अर्थपूर्ण प्रयोग के लिए परियोजना की समीक्षा कर सकती है।

⁴⁵ टाइप-ए: 24, टाइप-बी: 84 और टाइप-सी: 320

⁴⁶ टाइप-ए: 11, टाइप-बी: 43 और टाइप-सी: 128

⁴⁷ यह ब्याज असफल आवेदकों के लिए छः महीने से अधिक रिफंड में देरी के लिए था। अलॉटियों को वापस करने के लिए रिफंड के लिए समान दर को अपनाया गया था।

मामला (मार्च 2018) सरकार को भेजा गया था और आगामी स्मरण-पत्र मई 2018 में जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

उद्योग और वाणिज्य विभाग

3.9 ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

डाटाबेस प्रशासक और सिस्टम प्रशासक के मध्य कर्तव्यों के अलग-अलग न होने के कारण राज्य में ई-प्रोक्योरमेंट डाटाबेस अवांछित हस्तक्षेप के जोखिम से भरा था। एक्सेस लॉग की पर्यवेक्षी समीक्षा नहीं की गई है और रिमोट लॉग सर्वर प्रदान नहीं किया गया है। डाटा प्रविष्ट करने के लिए वैधता जाँच अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप बोली प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय प्रदान किया जाना था, विक्रेताओं के कई पंजीकरण, निविदा बंद होने के बाद बोली को खोलना और वापस लेना, अमान्य जानकारी पर कब्जा करना, आदि था। पिछले लेन-देन की जाँच करने के लिए ऑडिट ट्रेल नहीं रखा गया था। निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान ने परिकल्पना के बावजूद अनुबंध और कैटलॉग प्रबंधन मॉड्यूल को लागू नहीं करवाया था और खरीद के आदेश ऑन-लाइन सृजित नहीं किए जा रहे थे।

3.9.1. प्रस्तावना

वर्ष 2008 के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा विकसित ई-टेंडरिंग पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन निविदा शुरू की। इसके बाद, निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, हरियाणा (डी.एस. एंड डी.) ने जनवरी 2014 में ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के विकास, कार्यान्वयन और प्रबंधन के उद्देश्य के समरूप पूर्ण ई-प्रोक्योरमेंट समाधान अर्थात् सभी खरीद प्रक्रियाओं जैसे कि इंडेंट/निविदा को तैयार करने से लेकर ठेकेदारों का अंतिम भुगतान करने तक तथा विभिन्न प्रकार की नीलामी करवाने हेतु मैसर्स नेक्स्टेंडर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अर्थात् प्रबंधकीय सेवा प्रदाता (एम.एस.पी.) के साथ एक अनुबंध किया। उद्देश्य छः मॉड्यूलों⁴⁸ के माध्यम से प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में एकरूपता और दक्षता प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को श्रेष्ठ बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, मांग एकत्रीकरण करके व्यय कम करना और प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में अधिकारियों की सहायता करना था।

यह ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली मई 2014 में शुरू की गई थी और एम.एस.पी. द्वारा संचालन और रख-रखाव के लिए अनुबंध की अवधि मई 2019 तक थी। प्रत्येक बोली के लिए एम.एस.पी. को ₹ 295.50 देय थे। जनवरी 2018 तक, इस पोर्टल पर 99 सरकारी विभागों/संगठनों/बोर्डों और निगमों को पंजीकृत किया गया था। 31 दिसंबर 2018 तक 1,92,782 बोलियों के लिए एम.एस.पी. को कुल ₹ 4.46 करोड़ का भुगतान किया गया था।

⁴⁸ (i) आपूर्तिकर्ता प्रबंधन, (ii) ई-निविदा, (iii) कैटलॉग प्रबंधन, (iv) ई-नीलामी, (v) रसीद प्रबंधन और (vi) अनुबंध प्रबंधन।

अक्टूबर 2014 से जनवरी 2018 की अवधि के ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के डाटा का विश्लेषण कंप्यूटर असिस्टेड लेखापरीक्षा तकनीकों की मदद से जनवरी से मई 2018 के दौरान इस उद्देश्य से किया गया था कि यह जांचा जा सके कि क्या सभी मॉड्यूल लागू किए गए थे और कार्यात्मक थे और मूल्यांकन करने के लिए कि क्या डाटा की स्थिरता, सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सामान्य और ऐप्लीकेशन कंट्रोल लगाए गए थे।

अस्वीकरण

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ओ.सी. एंड आई.टी.), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आऊटसोर्स परियोजनाओं में प्रणालीगत नियंत्रण के लिए नवंबर 2010 के मार्ग-निर्देशों में प्रावधान है कि एक परियोजना के एक विशिष्ट घटनाचक्र होता है जो परियोजना की संकल्पना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाना और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) बनाने से प्रारंभ हो कर नौ चरणों में चलती है। अगले चरण टेंडर आमंत्रित करना, बोलियों का मूल्यांकन एवं एम.एस.पी. का चयन हैं। डी.एस. एंड डी. ने कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं परिचालन आवश्यकताएं तैयार नहीं की थी तथा अन्य प्रदेशों में पहले से प्रयोग की जा रही ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली को त्रैमासिक बिलिंग आधार पर अनुबंधित किया गया था। अतः, लेखापरीक्षा ने टेंडरिंग की प्रक्रिया और ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के आबंटन की परीक्षा नहीं की।

परिसीमन:

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा डंप में खरीदारों और विक्रेताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज शामिल नहीं थे। केवल नवंबर 2017 और जनवरी 2018 की अवधि के लिए, एस.एम.एस. और ई-मेल के माध्यम से भेजी गयी चेतावनी की जानकारी डाटाबेस में उपलब्ध थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

सामान्य कमियां

3.9.2 क्रियात्मक और सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशों की तैयारी न करना

एम.ओ.सी. एंड आई.टी., भारत सरकार के मार्गनिर्देश (नवंबर 2010) में प्रावधान है कि आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं, मुख्य हिस्सेदारों, क्रियात्मक आवश्यकताओं (एफ.आर.एस.), सेवाओं और सेवाओं के स्तर, इत्यादि को परिभाषित करने वाली व्यापक परियोजना संकल्पना को तैयार करना अपेक्षित है। उसके पश्चात् सॉफ्टवेयर की अपेक्षित गुणवत्ता (एस.आर.एस.) के प्रलेखन की आवश्यकता है जो एफ.आर.एस., नियोजित आर्किटेक्चर जिसमें ऐप्लीकेशन आर्किटेक्चर, डाटाबेस आर्किटेक्चर, डाटाबेस नियंत्रण, नेटवर्क आर्किटेक्चर, यूजर एक्सेस राइट्स, क्रियात्मक मोड्यूल इत्यादि का संयोजन होना चाहिए।

राज्य सरकार ने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए विस्तृत एफ.आर.एस. तैयार किए बिना एम.एस.पी. को नियुक्त किया था। एम.एस.पी. से भी कोई एस.आर.एस. दस्तावेज प्राप्त नहीं किया गया। विस्तृत एफ.आर.एस. और एस.आर.एस. की अनुपस्थिति में डी.एस. एंड डी. यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में सभी सुविधाएं/प्रक्रियाएं शामिल की गई थी।

3.9.3 सुरक्षा परीक्षण न करना

एम.ओ.सी. एंड आई.टी., भारत सरकार ने ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की गुणवत्ता अपेक्षाओं की अनुपालना के लिए मार्गनिर्देश जारी किए (अगस्त 2011)। मार्गनिर्देशों के अनुसार, ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली से मुख्य अपेक्षाएं हैं कि यह सामान्य एवं वित्तीय नियमों की पालना, गोपनीयता और सूचना की सत्यनिष्ठा, सतर्कता, मार्गनिर्देशों की अनुपालना और अनुकूलन एवं आवश्यक बदलाव करने लायक हो। किसी भी सरकारी विभाग को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि जो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम वे प्रयोग करना चाहते हैं, वह सभी आवश्यक अपेक्षाओं के अनुकूल हो। इसके अतिरिक्त, एप्लीकेशन की ओ.डब्ल्यू.ए.एस.पी. द्वारा परिभाषित मुख्य 10 कमियों के लिए परीक्षा की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए प्रणाली की चार स्तरीय अर्थात डाटा, एप्लीकेशन, मूलभूत संरचना एवं प्रक्रिया का थर्ड पार्टी सुरक्षा परीक्षण अपेक्षित था। आर.एफ.पी. में यह प्रावधान भी था कि एम.एस.पी. निदेशक, एस.टी.क्यू.सी.⁴⁹, एम.ओ.सी. एंड आई.टी. के मार्गनिर्देशों के अनुरूप ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की अनुपालना सुनिश्चित करें।

विभाग द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम का सुरक्षा परीक्षण कभी नहीं करवाया गया। एक डाटा वाशआउट की घटना होने के बाद डी.एस. एंड डी. ने निदेशक एस.टी.जी.सी., एम.ओ.सी. एंड आई.टी., भारत सरकार को विस्तृत सुरक्षा परीक्षण और प्रणाली के गुणवत्ता परीक्षण करवाने के लिए अनुरोध किया था। परंतु अभी तक ऐसी कोई सुरक्षा परीक्षण नहीं किया गया।

3.9.4 कर्तव्य पृथक न होने के कारण जोखिम

डाटाबेस प्रशासक (डी.बी.ए.) डाटाबेस के निष्पादन, प्रमाणिकता और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। डी.बी.ए. को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्प डेस्क और डाटा एंट्री जैसी अन्य जिम्मेदारियां नहीं दी जानी चाहिए। डी.एस. एंड डी. द्वारा कर्तव्यों का पृथक्करण, एक्सेस लॉग और गतिविधियों की पर्यवेक्षी समीक्षा, रिमोट लॉग सर्वर के प्रावधान और डाटाबेस टूल के उपयोग पर अन्य डिटेक्टिव कंट्रोल के माध्यम से डाटाबेस प्रशासन पर नियंत्रण की आवश्यकता थी।

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि डाटाबेस के प्रत्येक टेबल में "आई.डी." नाम का फ़ील्ड होता है, जो कि सारणी में प्रत्येक अभिलेख के लिए निर्दिष्ट किया गया सिस्टम सृजित नंबर होता है। तालिका 3.8 में दिए अनुसार डाटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि 29 तालिकाओं में 91,35,291 रिकार्ड (आई.डी.) गायब (मिसिंग) थे:

⁴⁹ निदेशक, एस.टी.क्यू.सी. (मानकीकरण जांच एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण), एम.ओ.सी. एंड आई.टी., भारत सरकार।

तालिका 3.8 गायब रिकार्ड का विवरण

क्र. सं.	तालिका का नाम	तालिका में अंतिम आई.डी.	रिकार्ड की कुल संख्या	गायब रिकार्ड की संख्या
1	ra_tender_item_commercial_template_rows	1,13,38,332	62,60,673	50,77,659
2	ra_tender_item_template_vendor_technical_bids	49,15,933	35,76,307	13,39,626
3	ra_access_levels	1,409	1,407	2
4	ra_auction_bid_extensions	13,217	13,083	134
5	ra_auction_bids	1,34,362	1,27,966	6,396
6	ra_tender_item_commercial_template_columns	9,67,039	6,03,224	3,63,815
7	ra_auction_tender_opening_committees	1,03,941	76,020	27,921
8	ra_auction_user_payment_details	7,355	7,338	17
9	ra_itemwise_emd_amounts	11,938	10,159	1,779
10	ra_tender_commercial_docs	1,71,170	1,58,447	12,723
11	ra_tender_corrigendum_docs	15,481	14,012	1,469
12	ra_tender_dnit_docs	70,905	65,827	5,078
13	ra_tender_doc_fee_amount_details	2,19,182	2,15,931	3,251
14	ra_tender_emd_amount_details	1,76,145	1,75,769	376
15	ra_tender_item_technical_template_columns	2,76,686	2,12,573	64,113
16	ra_tender_item_technical_template_rows	20,39,411	14,85,580	5,53,831
17	ra_tender_supplier_task_trackers	1,53,077	1,52,903	174
18	ra_users	50,253	49,997	256
19	ra_auction_participants	2,26,022	46,762	1,79,260
20	ra_auction_items	13,072	12,664	408
21	ra_auction_users	2,37,471	2,37,426	45
22	ra_supplier_domains	37,64,995	22,80,537	14,84,458
23	ra_tender_open_trackers	43,641	43,625	16
24	ra_tender_service_fee_amount_details	57,486	48,634	8,852
25	ra_tender_vendor_participants	1,81,654	1,81,596	58
26	ra_user_certificate_details	74,664	74,393	271
27	ra_user_empanelment_details	2,415	2,386	29
28	ra_user_login_tracks	24,14,832	24,14,828	4
29	ra_vendor_itemwise_emd_payment_checks	1,81,004	1,77,734	3,270
	कुल	2,78,63,092	1,87,27,801	91,35,291

(स्रोत: ई-प्रोक्चोरमेंट डाटाबेस से प्राप्त सूचना)।

आगे, लेखापरीक्षा को दो अलग-अलग डाटा डंप (31 जुलाई 2017 और 28 जनवरी 2018 तक) दिए गए। इन दोनों डंपों में शामिल तालिकाओं की एक दूसरे के साथ तुलना की गई। इन दोनों डंपों के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चला कि पहले के डंप में दिखाए गए कुछ अभिलेख हटा दिए गए थे और लेखापरीक्षा को दिए गए अंतिम डाटा डंप में ये अभिलेख नहीं पाए गए। तालिकाओं और गायब रिकॉर्ड का विवरण तालिका 3.9 में दिया गया है:

तालिका 3.9 गायब रिकार्ड का विवरण

क्र. सं.	तालिका का नाम	पहले डाटा डम्प की आखिरी आई.डी.	आखिरी आई.टी. तक अभिलेख की पहली डाटा डंप की संख्या	पहले डाटा डम्प की तक आखिरी अभिलेख की दूसरी डाटा डम्प संख्या	गायब रिकॉर्ड की संख्या
1	ra_supplier_domains	29,64,171	17,67,282	16,96,866	70,416
2	ra_tender_item_template_vendor_commercial_bids	188,11,147	1,22,32,707	1,22,15,555	17,152
3	ra_tender_item_commercial_template_rows	84,26,456	47,36,723	47,19,582	17,141
4	ra_tender_item_template_vendor_temp_bids	2,86,513	2,19,695	2,14,115	5,580
5	ra_briefcase_docs	48,723	30,656	28,302	2,354
6	ra_tender_item_template_vendor_technical_bids	39,43,515	27,72,959	27,71,163	1,796
7	ra_tender_item_commercial_template_columns	7,36,818	4,60,109	4,59,276	833
8	ra_auction_tender_opening_committees	78,421	56,081	55,710	371
9	ra_tender_item_technical_template_rows	15,55,006	11,29,972	11,29,809	163
10	ra_tender_item_template_themes	1,33,058	99,519	99,416	103
11	ra_tender_technical_docs	4,69,786	4,38,768	4,38,673	95
12	ra_tender_item_pqq_template_rows	91,897	62,298	62,225	73
13	ra_auction_messages	3,38,735	3,09,617	309,545	72
14	ra_tender_item_templates	1,24,619	1,14,731	1,14,688	43
15	ra_tender_item_technical_template_columns	2,13,224	1,60,423	1,60,390	33
16	ra_tender_commercial_docs	1,28,254	1,18,467	1,18,438	29
17	ra_tenderwise_emd_amounts	77,674	45,928	45,901	27
18	ra_tender_item_pqq_template_columns	12,826	9,157	9,134	23
19	ra_tender_item_template_vendor_pqq_bids	2,56,804	1,41,413	1,41,392	21
20	ra_tender_dnit_docs	50,962	47,098	47,086	12
21	ra_tender_items	54,961	50,751	50,747	4
22	ra_user_certificate_details	59,198	58,947	58,943	4
23	ra_tender_corrigenum_docs	12,388	11,259	11,256	3
24	ra_tender_pqq_docs	16,262	14,705	14,702	3
25	ra_tender_emd_amount_details	1,37,365	1,37,040	1,37,038	2
	कुल		2,52,26,305	2,51,09,952	1,16,353

(स्रोत: ई-प्रोक्चोरमेंट डाटाबेस से प्राप्त सूचना)।

पहले डंप और दूसरे डंप के बीच गायब रिकार्ड स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि डाटाबेस प्रशासक (डी.बी.ए.) ने डाटाबेस के साथ पीछे से हस्तक्षेप किया है और सिस्टम की प्रमाणिकता के साथ समझौता किया गया है। विभिन्न तालिकाओं में गायब रिकार्ड के कारण होने वाली जोखिम **परिशिष्ट 3.20** में दिए गए हैं।

कार्यान्वयन के चार साल के बाद यह पाया गया कि, एम.एस.पी. सिस्टम प्रशासक और डाटाबेस प्रशासक दोनों के रूप में कार्य करता रहा। आगे, उपयोगकर्ताओं के प्रबंधन, हेल्प डेस्क और मास्टर डाटा प्रविष्टि जैसे कार्य भी एम.एस.पी./डी.बी.ए. द्वारा किए गए थे। सर्वर में उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को देखने के लिए लॉग भी एम.एस.पी. के नियंत्रण में रखे गए थे।

इसके अलावा, डी.बी.ए. की गतिविधियों और एक्सेस लॉग के लिए थर्ड पार्टी परीक्षण और पर्यवेक्षी समीक्षा का प्रबंध नहीं किया गया था। उपयोगकर्ता विभागों के साथ सिस्टम के लेनदेन का मिलान नहीं किया गया था। डी.बी.ए. की गतिविधियों को कैप्चर करने के लिए रिमोट लॉग सर्वर भी स्थापित नहीं किया गया था। यह डी.बी.ए. द्वारा पीछे से हस्तक्षेप के जोखिम से भरा था।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि एम.एस.पी. द्वारा बैकएंड गतिविधियां संबंधित एजेंसियों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर ही प्रारंभ की गई थी और ये बैकएंड गतिविधियां अब बंद कर दी गई हैं। गुम अभिलेखों के संबंध में, यह बताया गया कि किसी दस्तावेज में परिवर्तन या विवरणों में संशोधन नई आई.डी. के साथ नया अभिलेख सृजित करता है जिसके कारण तालिका में भिन्नताएं आती हैं। उत्तर स्वयं ही प्रमाणित करता है कि डी.बी.ए. बैकएंड से डाटाबेस के साथ हस्तक्षेप कर रहा था और यह दावा कि किसी दस्तावेज में परिवर्तन नई आई.डी. के साथ नया अभिलेख सृजित होता है सही नहीं था क्योंकि एक बार सृजित अभिलेख सिस्टम से हटाए नहीं जाने चाहिए जो लेखापरीक्षा ट्रेल में अंतर उत्पन्न कर सकते हैं।

सरकार इस मामले में जांच करवाने और यदि आवश्यक हो, पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करवाने के बारे में विचार करे।

इसके अतिरिक्त, सिस्टम की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम प्रशासन और डाटाबेस प्रशासन के कर्तव्यों के पृथक्करण को सुनिश्चित करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। डाटा की अखंडता को बनाए रखने के लिए एक्सेस लॉग की नियमित पर्यवेक्षीय समीक्षा और रिमोट लॉग सर्वर का प्रावधान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

प्रणाली की कमियां

डी.एस. एंड डी. ने ई-प्रोक्योरमेंट एप्लिकेशन की कोई पर्यवेक्षक समीक्षा नहीं की थी। डाटाबेस प्रशासक की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए डाटा डंप में लॉग उपलब्ध नहीं थे। विक्रेता से स्रोत कोड के साथ पूरी प्रणाली को संभालने के लिए केवल एक वर्ष शेष था, तब भी डी.एस. एंड डी. ने (मई 2019 तक) डाटाबेस प्रशासन और उपयोगकर्ता प्रबंधन को संभालने के लिए क्षमता निर्माण के लिए योजना नहीं बनाई थी।

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम का उद्देश्य मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम करना था ताकि एक पारदर्शी, जिम्मेवार और दक्ष प्रणाली विद्यमान रहे। निम्नलिखित प्रणालीगत कमियां दर्शाती हैं कि सिस्टम हस्तक्षेप अभेध नहीं हैं अतः मूल इरादे पूरे नहीं हुए।

3.9.5 अपर्याप्त वैधता जांच

यह सुनिश्चित करना नोडल विभाग की जिम्मेदारियों में से एक था कि विभिन्न निविदाओं और नीलामियों के संबंध में विभिन्न राज्य सरकार संस्थाओं के लिए लागू विभिन्न मानदंडों/नियमों/कानूनों का पालन करने के लिए एप्लीकेशन में पर्याप्त वैधता जांच शामिल होनी चाहिए। अपर्याप्त वैधता जांच के कारण निम्नलिखित अनियमितताएं घटित हुईं:

3.9.5.1 निविदा प्रस्तुत करने का अपर्याप्त समय

स्टोरों की आपूर्ति और निपटान के लिए डी.एस. एंड डी. मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रक्रिया में रखे गए प्रावधानों के अनुसार भण्डारों की खरीद के लिए इच्छित निविदादाताओं को निविदा लगाने के लिए कम से कम एक महीने की अवधि दी जानी चाहिए। सिविल निर्माण कार्य विभागों के लिए, जिनकी क्रमशः ₹ पांच लाख से कम और ₹ पांच लाख से अधिक अनुमानित लागत वाले निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित न्यूनतम समय क्रमशः एक और दो सप्ताह थी।

मूल्यांकन के लिए खोले गए 35,179 निविदाओं से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 10,922 (31 प्रतिशत) निविदाओं में, निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदादाताओं को लागू मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था, जिसका विवरण तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: निविदाओं का विवरण जहां पर्याप्त समय नहीं दिया गया था:

निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिए गए दिनों की संख्या	निविदाओं की कुल संख्या	अनुमानित लागत के साथ निविदाओं की संख्या			
		₹ पांच लाख तक	₹ पांच लाख से अधिक और ₹ 25 लाख से नीचे	₹ 25 लाख से अधिक और ₹ एक करोड़ से नीचे	₹ एक करोड़ से अधिक
एक से कम	29	14	8	5	2
दो से तीन	514	400	74	23	17
चार से सात	3,063	1,594	979	355	135
आठ से पंद्रह	6,194	879	3,416	1,318	581
15 से 29	1,122	485	265	169	203
पर्याप्त समय	24,257	10,473	7,767	3,529	2,488
कुल	35,179	13,845	12,509	5,399	3,426

(स्रोत: ई-प्रोक्योरमेंट डाटाबेस से प्राप्त सूचना)

निविदाओं का विभाग/संस्थावार विवरण, जहां बोलियां प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय अपर्याप्त था, तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: निविदाओं का विभागवार विवरण जहां पर्याप्त समय नहीं दिया गया था।

सरकारी विभाग/संगठन का नाम	अपलोड की गई कुल निविदाएं	अपर्याप्त समय में निविदाओं की संख्या	अपर्याप्त समय में निविदाओं का प्रतिशत
हरियाणा राज्य कृषि और विपणन बोर्ड	4,494	2,181	49
पंचायती राज संस्थाएं	5,376	1,581	29
पी.डब्ल्यू.डी. (भवन एवं सड़क) विभाग	6,095	1,436	24
हरियाणा शुगरफेड	1,812	1,383	76
जन-स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग	6,572	1,004	15
नगर निगम/समितियां	4,612	1,133	25
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	209	194	93
हैफेड	207	185	89
अन्य 58 संगठन	5,802	1,825	31
कुल	35,179	10,922	31

(स्रोत: ई-प्रोक्योरमेंट डाटाबेस से प्राप्त सूचना)

नीलामियों के मामले में, नीलामी के विवरण की जानकारी पूर्वावलोकन के लिए नीलामी की तारीख से पहले जनता को उपलब्ध कराए गए थे। जनवरी 2018 तक 6,959 नीलामी ईवेंट सृजित किए गए थे। पोर्टल पर नीलामी विवरण अपलोड करने और नीलामी आयोजित करने के बीच एक और 52 दिनों के मध्य की अलग-अलग समय अवधि दी गई थी। 6,792 नीलामी आयोजनों में तीन संस्थाओं द्वारा दिए गए समय का विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12 निविदा लगाने के लिए तीन संस्थाओं द्वारा समय की अनुमति

संगठन का नाम	अपलोड की गई कुल नीलामियां	दिए गए दिनों की संख्या				
		एक	दो से तीन	चार से सात	आठ से 15	15 से अधिक
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.)	6,506	18	58	439	2,198	3,795
हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम (एच.एस.आई. आई.डी.सी.)	153	4	53	41	14	41
हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड (कॉन्फेड)	133			0	25	108
अन्य संगठन	167	5	3	15	50	94
कुल	6,959	27	114	495	2,287	4,038

(स्रोत: ई-प्रोक्योरमेंट डाटाबेस से प्राप्त सूचना)

निर्धारित समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अंतर्निहित जाँच के अभाव में, विभागों ने लागू मानदंडों/नियमों का उल्लंघन करके कार्य का संचालन किया।

3.9.5.2 विक्रेताओं के एक से अधिक पंजीकरण

निविदा और नीलामी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी से पहले विक्रेताओं के पंजीकरण के समय विक्रेताओं के विवरणों की जानकारी, जैसे कि कंपनी का नाम/फर्म/व्यक्ति, पता, व्यवसाय की प्रकृति, वित्तीय जानकारी, यूजर नेम, पासवर्ड, पैन, ई-मेल आई.डी. इत्यादि लेने के लिए आपूर्तिकर्ता प्रबंधन मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया था। पंजीकरण प्रक्रिया के सफल समापन पर प्रत्येक विक्रेता को बैकएंड डाटाबेस में प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक यूनिक पहचान संख्या आबंटित की गई थी। डी.एस. एंड डी. ने अपनी कार्यात्मक आवश्यकता विनिर्देशन में एक ही वैध इकाई को एक से अधिक बार पंजीकृत करने से रोकने के लिए पर्याप्त वैधता नियंत्रण निर्धारित किए थे। पंजीकरण के समय आपूर्तिकर्ता की पहचान और पिछले अनुभव को स्थापित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड करने के लिए आर.एफ.पी. में भी प्रावधान किया गया था।

उपयोगकर्ताओं से संबंधित डाटा के विश्लेषण से प्रकट हुआ है कि पोर्टल पर पंजीकृत 47,506 विक्रेताओं में से 5,359 विक्रेताओं⁵⁰ ने एक ही पैन के साथ एक से अधिक बार पोर्टल पर पंजीकरण किया था। यह भी पाया गया कि एक ही पैन नंबर पर 149 विक्रेताओं को पंजीकृत

⁵⁰ 12,776 यूनिक आई.डी. सहित।

किया गया था। एक ही इकाई के कई पंजीकरण को प्रतिबंधित करने और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए नियंत्रणों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप एक ही इकाई का पंजीकरण एक से अधिक बार हुआ। टेंडर की प्रक्रिया में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं की भागीदारी की प्रमाणिकता स्वयं ही प्रश्नात्मक है।

आगे के विश्लेषण से पता चला है कि एक ही पैन के विरुद्ध कई यूजर आई.डी. वाले 919 विक्रेताओं ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया था और यूजर आई.डी. के माध्यम से 2,048 मामलों में अपनी निविदा सफलतापूर्वक प्रस्तुत की थीं। 200 मामलों में, इन विक्रेताओं ने अलग-अलग यूजर आई.डी. के साथ एक ही निविदा के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत की थी।

नोडल विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर सहमति व्यक्त करते हुए स्वीकार किया (फरवरी 2019) कि सिस्टम में पैन की विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए कोई रोकथाम नहीं थी और आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में कार्यात्मकता को शामिल किया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2019)।

3.9.5.3 निविदाएँ बंद होने के बाद निविदा भरना और संशोधन के लिए निविदा वापस लेना

आर.एफ.पी. के अनुसार, निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय समाप्त होने के बाद निविदा प्रस्तुत करने या निविदा में संशोधन करने को प्रतिबंधित के लिए कार्यात्मकता को शामिल किया जाना था।

डाटाबेस के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि नौ घटनाएं रिकार्ड की गईं, जहां निविदा प्रस्तुत करने की तारीख/समय के समाप्त होने पर निविदा प्रस्तुत की गई थीं और 70 घटनाओं में निविदा प्रस्तुत करने की तारीख/समय के समाप्त होने के बाद संशोधन के लिए निविदा वापस ली गई थीं।

3.9.5.4 निविदाएं रद्द होने के बाद निविदा का खोला जाना

विद्यमान नियम के अनुसार, निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिए गए समय की समाप्ति पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा खोली जानी चाहिए। तथापि, खरीददार/इंडेंटर निविदा प्रस्तुत करने के चरण के दौरान या निविदा खोलने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले किसी ईवेंट को रद्द/निलंबित कर सकता है। एक बार निविदाएं रद्द होने के बाद निविदा खोलने के लिए सिस्टम को प्रतिबंधित करना चाहिए।

आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि कुल 61,558 निविदाओं में से 8,844 निविदाओं को रद्द कर दिया गया था। इन रद्द निविदाओं के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 66 मामलों में निविदाएं रद्द करने के बाद भी निविदा खोली गईं। निविदाओं को रद्द करने के बाद निविदा खोलना उद्धृत दरों की प्रवृत्ति को प्रकट कर सकती है, जो पुनः निविदा प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं।

डी.एस. एंड डी. ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि रद्द करने की तिथि एम.एस.पी. द्वारा गलत रिकार्ड की गई थी। तथापि, टेंडर के अंतिमकरण से पहले किसी भी चरण पर टेंडर की निरस्तगी की क्रियात्मकता टेंडरिंग विभागों को भविष्य में फ्रंट एंड पर दी जाएगी। अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

3.9.5.5 निविदा खोलने वाली समिति की स्वीकृति के बिना निविदाएं खोली गईं

(क) ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में टेंडरिंग प्रक्रिया की कार्यप्रगति के अनुसार, निविदा की तैयारी के चरण पर निविदा खोलने के लिए अधिकृत सदस्यों की सूची को चुना जाएगा। सिस्टम द्वारा निविदा खोलने की प्रक्रिया जैसे कि निविदा दस्तावेज शुल्क/ई.एम.डी. भुगतान की जांच और निविदा के लिफाफे खोलने शुरू करने की अनुमति निविदा खोलने के लिए अधिकृत समिति के अनुमोदन के बाद देनी चाहिए।

सिस्टम डाटाबेस में टेंडर खोलने के अनुमोदन इवेंट के विवरण को कैप्चर करता है। आंकड़ों की संवीक्षा के दौरान, यह अवलोकित हुआ कि 90 मामलों में, निविदा खोलने की समिति की स्वीकृति डाटाबेस में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन निविदा लिफाफे खोले गए थे। 254 मामलों में, निविदा खोलने की प्रक्रिया को निविदा खोलने वाली समिति के लिए नामित सदस्य के अलावा किसी अन्य उपयोगकर्ता द्वारा अनुमोदित किया गया था। तथापि, 67 इवेंट्स में, यद्यपि, स्टेटस को "APPROVE BY ALL = Y" खोलने के रूप में अपडेट किया गया था, लेकिन उस प्राधिकरण के बारे में जिसने निविदा खोलने की प्रक्रिया अनुमोदित की थी या जब अनुमोदन प्रदान किया गया की जानकारी नहीं मिली।

(ख) भंडार खरीद नियमावली के नियम 8(vi) के अनुसार, तीन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निविदाएं खोली जाएंगी। प्रणाली के विश्लेषण से पता चला कि प्रणाली ने निविदाओं को खोलने का सत्यापन तब भी किया था जब इस शर्त को पूरा नहीं किया गया था। अक्टूबर 2014 से जनवरी 2018 की अवधि में खुली कुल 35,358 निविदाओं में से, 32,195 मामलों में एकल सदस्य ने निविदाएं खोली थीं। दो सदस्यों ने 1,191 मामलों में निविदाएं खोली थीं और शेष निविदाएं तीन से 19 सदस्यों द्वारा खोली गई थीं।

डी.एस. एंड डी. ने स्वीकार किया (मई 2018) कि चूंकि यह आर.एफ.पी. का हिस्सा था, इसलिए ऐप्लिकेशन के अद्यतित स्वरूप में व्यवहारिकता बनाई जाएगी।

3.9.5.6 अमान्य जानकारी को कैप्चर करना

एम.एस.पी. को यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन नियंत्रण को शामिल करना चाहिए कि पोर्टल पर पंजीकरण करते समय अपूर्तिकर्ता ने कुछ जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की थी। डाटा के विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि सिस्टम में अपर्याप्त इनपुट सत्यापन नियंत्रण के परिणामस्वरूप डाटाबेस में निम्न प्रकार की विसंगतियां थीं:

- 72 मामलों में, पैन को कैप्चर करने के लिए फील्ड को या तो खाली छोड़ दिया गया था या सिस्टम द्वारा अमान्य पैन स्वीकार किया गया था।
- 2,288 मामलों में, शहर के नाम कैप्चर करने का फील्ड खाली छोड़ दिया गया था, जबकि यह उपयोगकर्ताओं द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत की जाने वाली एक अनिवार्य सूचना थी।
- पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को जानकारी भेजने या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. भेजने के लिए सिस्टम को डिज़ाइन किया गया था। आठ

मामलों में ई-मेल फ़िल्ड को खाली छोड़ दिया गया था और 72 मामलों में, एक से अधिक उपयोगकर्ता के लिए एक ही ई-मेल आई. डी. थी।

- 18 मामलों में दिनांक 01-01-1970 को निविदाओं की शुरुआत/समाप्ति की तिथि के रूप में कैप्चर किया गया।

इन कमियों के कारण **संस्थाओं की विशिष्टता डाटाबेस में स्थापित नहीं की जा सकी, ई-मेल और एस.एम.एस. चेतावनी सभी पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को नहीं भेजे जा सके और तिथि बाध्य कार्यों को सत्यापित नहीं किया जा सका।**

डी.एस. एंड डी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और बताया (फरवरी 2019) कि इस क्रियात्मकता को निकट भविष्य में सिस्टम में शामिल किया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2019)।

3.9.5.7 अविद्यमान उपयोगकर्ताओं को सौंपे गए कार्य

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम खरीददार संस्थाओं के लिए विभिन्न कार्यों के साथ कई उपयोगकर्ताओं के सृजन की सुविधा प्रदान करता है। कुल 27 कार्यों में से, उपयोगकर्ताओं को ऐप्लीकेशन में सौंपे गए कार्यों को करने के लिए डाटाबेस में एक या एक से अधिक विशिष्ट कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे कि, इंडेंट तैयारी, इंडेंट ऑथराइजेशन, वेंडर अप्रूवल, टेंडर रिलीज़, टेंडर संशोधन, आदि। वर्कफ्लो के अनुसार, उपयोगकर्ताओं के क्रिएशन के बाद ही कार्य सौंपे जा सकते हैं।

उपयोगकर्ताओं की मास्टर तालिका के अनुसार, 2,085 उपयोगकर्ता (खरीदार) पोर्टल के साथ पंजीकृत थे, जिनको सिस्टम में विभिन्न कार्य सौंपे गए थे। इसमें से 1,694 उपयोगकर्ता सक्रिय थे। वर्कफ्लो के अनुसार, सभी सक्रिय उपयोगकर्ताओं को कार्य सौंपे जाने चाहिए। तथापि, 15 सक्रिय उपयोगकर्ताओं के लिए कोई कार्य परिभाषित नहीं किया गया था। 177 मामलों में यद्यपि, सिस्टम में कार्य को परिभाषित किया गया था, लेकिन ये उपयोगकर्ता उपयोगकर्ताओं की मास्टर तालिका में मौजूद नहीं थे, जो दर्शाता है कि कार्य परिभाषित करने के बाद उपयोगकर्ताओं को हटा दिया गया था। हटाने से पहले इन उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों को सिस्टम में ट्रैक नहीं किया जा सका था।

मास्टर तालिका में परिभाषित कार्य वाले उपयोगकर्ताओं का न होना और बिना किसी परिभाषित कार्य वाले खरीदारों का होना सिस्टम की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है।

3.9.5.8 मास्टर और लेन-देन तालिका के मध्य अपर्याप्त वैधकरण

पोर्टल के साथ पंजीकृत सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं को सिस्टम में उनके कार्यों के अनुसार सात विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। **तालिका 3.13क** के अनुसार ये श्रेणियां

डाटाबेस में पहचान योग्य यूनिक कोड (1 से 7) के आधार पर प्रत्येक श्रेणी को सौंपी गई हैं।

तालिका 3.13 (क एवं ख) उपयोगकर्ता कोड की अपर्याप्त वैधता का विवरण

तालिका 3.13क	
उपयोगकर्ता प्रकार	विवरण
1	SuperAdmin
2	PortalAdmin
3	DivisionalAdmin
4	Buyer
5	Buyer 1
6	Buyer 2
7	Vendor

तालिका 3.13ख	
कोड कैप्चरड	रिकार्डस की संख्या
0	10
40	3
70	1
700	6
7000	16
70000	10
700000	2
कुल	48

(स्रोत: ई-प्रोक्योरमेंट डाटाबेस से प्राप्त सूचना)

डाटाबेस के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 48 उपयोगकर्ताओं (तालिका 3.13ख) के संबंध में उपयोगकर्ताओं के प्रकारों के लिए कैप्चर किए गए कोड मास्टर तालिका में उपलब्ध उपयोगकर्ता कोड से अलग थे।

खरीद प्रक्रिया में सरकारी विभागों द्वारा विद्यमान नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली के सत्यापन नियंत्रण को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

डी.एस. एंड डी. ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि लेखापरीक्षा अभियुक्ति में उल्लिखित 48 उपयोगकर्ता निष्क्रिय उपयोगकर्ता थे और उन्हें भविष्य में डाटाबेस में 13 का यूनिक कोड दिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि कोई नया user_type कोड दिया जाएगा तो इन उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ी कोई ऐतिहासिक लेन देन का पुनः सृजन संभव नहीं होगा। सिस्टम द्वारा मास्टर तालिका में दिए गए कोड के अलावा अन्य कोई user_type कोड ग्रहण नहीं करना चाहिए।

3.9.6 अपर्याप्त लेखापरीक्षा ट्रेल

लेखापरीक्षा ट्रेल साक्ष्य प्रदान करता है कि एक विशिष्ट लेनदेन को कैसे शुरू, संसाधित और संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। लेन-देन के इतिहास, सिस्टम की कमियों, गलत लेनदेन, डाटा में बदलाव/संशोधन आदि को ट्रैक करने के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल आवश्यक है। निविदा प्रक्रिया के दौरान होने वाले प्रत्येक ईवेंट की तारीख और समय के साथ विभिन्न घटनाओं के लॉग को रिकॉर्ड करने में सिस्टम सक्षम है। तथापि, निम्नलिखित कमियों को देखा गया:

3.9.6.1 पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के संबंध में लॉग की अनुपस्थिति

डाटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि 49,997 उपयोगकर्ता पोर्टल पर पंजीकृत थे। उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण से संबंधित लॉग ईवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए डिज़ाइन की गई तालिका के विश्लेषण से पता चला कि 49,997 उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण के विरुद्ध, केवल 46,915 उपयोगकर्ताओं के लिए लॉग दर्ज किए गए थे और शेष 3,082 उपयोगकर्ताओं के

पंजीकरण के लिए डाटाबेस में लॉग दर्ज नहीं किए गए थे। इन लॉग्स की अनुपस्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये उपयोगकर्ता पोर्टल के साथ कैसे पंजीकृत हुए हैं।

डी.एस. एंड डी. ने इसके उत्तर में बताया (फरवरी 2019) कि एम.एस.पी. ने कुछ परिचालन बैकएंड से किए हैं क्योंकि फ्रंट एंड पर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए कोई लॉग रिकार्ड नहीं किए गए थे। उत्तर केवल लेखापरीक्षा अभियुक्त को दोहराता है कि उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण के लिए डाटाबेस में बड़ी संख्या में लॉग रिकार्ड नहीं किए गए जो डाटाबेस की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है।

3.9.6.2 उपयोगकर्ताओं की प्रोफाइल के बारे में ऐतिहासिक जानकारी न रखना

एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में, जहां मास्टर डाटा की एडिटिंग होती है, एक लॉग बनाया जाए जो यह बताए कि किस डाटा को किसने, कितना और कब बदला है। एम.एस.पी. द्वारा प्रस्तुत सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्देशन (एस.आर.एस.) के अनुसार, पोर्टल पर अपने पंजीकरण के लिए उपयोगकर्ताओं को पोर्टल पर कुछ अनिवार्य और वैकल्पिक जानकारी प्रस्तुत करनी थी। उपयोगकर्ताओं की प्रोफाइल एडिटिंग विंडो के विश्लेषण से पता चला कि पोर्टल के साथ पंजीकरण के बाद, विक्रेताओं को *user_name*, *email_id*, *Company's Name*, *Company Address*, *Vendor Category*, *First Name*, *Last Name* and *Middle Name* एडिट करने का विशेषाधिकार नहीं था। जैसा कि एस.आर.एस. में बताया गया है, इस जानकारी में कोई भी एडिटिंग करने के लिए विक्रेता, इंडेंटिंग संगठनों के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। तथापि, अन्य जानकारी जैसे कि द्वितीय ई-मेल, पासवर्ड, पैन आदि को उपयोगकर्ता द्वारा ही एडिट किया जा सकता है।

यह देखा गया कि 14,709 उपयोगकर्ताओं (विक्रेताओं) के खाते का विवरण बदला गया था। यद्यपि, सिस्टम यह रिकॉर्डिंग करने में सक्षम था कि कब बदलाव किए गए और किसके बारे में बदलाव किये गए, लेकिन सिस्टम में यह सूचना कैप्चर नहीं हुई कि क्या बदलाव किये गए थे और किसने किये थे।

3.9.6.3 संस्पैंड प्रकरण के लिए मिसिंग लॉगज

यदि कोई निविदा रद्द कर दी जाती है, तो सिस्टम में गतिविधि लॉग में इवेंट कैप्चर किया जाता है। इस प्रकार, रद्द करने की तारीख और गतिविधि लॉग के सृजन की तारीख एक ही होनी चाहिए। पोर्टल पर दर्ज 61,558 निविदाओं में से 8,844 निविदाएं रद्द कर दी गईं। परन्तु, लॉग के अंतर्गत 3,616 रद्द निविदाओं के संबंध में निविदा को रद्द करने की तिथि/समय और निविदा रद्द करने वाले उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी दर्ज नहीं की गई थी। डाटाबेस के विश्लेषण से यह भी पता लगा कि 131 निविदाओं में, रद्द करने की तारीख, निरस्तगी के लिए सृजित इवेंट में दर्ज की गई तारीख से अलग थी।

डी.एस. एंड डी. ने उत्तर में बताया कि सिस्टम सामान्यतः टैपलेट का पिछला रिकार्ड हटा देता है और नई वर्धित आई. डी. के साथ नया रिकार्ड सिस्टम में आ जाता है। तथापि, अब डाटाबेस में कम से कम पांच लेनदेन दर्ज रखने का निर्णय लिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि गायब लॉग या नई आई. डी. के साथ रिकार्ड रखना लेखापरीक्षा ट्रेल को बाधित करता है और केवल पिछले पांच लेनदेनों को रखने से भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

3.9.6.4 डिलीट की गई ईवेंट के लिए लॉग दर्ज नहीं करना

डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 70,841 इवेंट (61,558 निविदाएं और 9,283 नीलामियां) सिस्टम के माध्यम से जनरेट हुए थे। डाटाबेस में दर्ज स्थिति के अनुसार, 4,138 निविदाएं और 520 नीलामियां डिलीट कर दी गईं। संबंधित तालिका के विश्लेषण से पता चला है कि 520 नीलामियों और 31 निविदाओं के संबंध में लॉग टेबल में डिलीट की गई कार्रवाई दर्ज नहीं की गई थी। इन लॉग की अनुपस्थिति में, यह पता नहीं लगाया जा सका कि ईवेंट किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही हटाया गया था।

डी.एस. एंड डी. ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि एम.एस.पी. ने टेंडर करने वाले संगठनों के अनुरोध पर, कुछ इवेंट बैकएंड से हटा दिए थे। इन गतिविधियों के लिए कोई लॉग सृजित नहीं किए गए थे। तथापि, अब सभी बैकएंड गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। उत्तर पूर्ण नहीं है क्योंकि एक इवेंट को हटाने की सुविधा टेंडर करने वाली संस्था को फ्रंट एंड पर दी जानी चाहिए थी।

3.9.6.5 निविदा पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अपूर्ण लेखापरीक्षा ट्रेल

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम निविदादाताओं को निविदा को फिर से तैयार करने (संपादित) की सुविधा देता है। वर्कफ्लो के अनुसार, निविदा लगाने वाले को पहले उस निविदा का चयन करना होगा जिसे वह एडिट करने का इरादा रखता है। "रिवर्क निविदा" विकल्प का चयन करके निविदादाता अपनी निविदा की समीक्षा/एडिट कर सकता है। सिस्टम में, प्रत्येक निविदा और निविदादाता को टेंडर_आई.डी. और यूजर_आई.डी. के आधार पर पहचाना जाता है।

तालिका में संग्रहीत डाटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि निविदा एडिटिंग के 76,700 ईवेंट्स कैप्चर किये गए थे। इन ईवेंट्स के विश्लेषण से पता चला है कि 323 अभिलेखों में टेंडर आई.डी. '0' कैप्चर किया गया था अर्थात् टेंडर आई.डी. का चयन नहीं किया गया था। इन लेन देनों में टेंडर आई.डी. कैप्चर न करना, सिस्टम की प्रमाणिकता के बारे में संदेह पैदा करता है।

डी.एस. एंड डी. ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2019) और उत्तर दिया कि कुछ टेंडर्स में रेंडम विहेवियर ऐप्लीकेशन में बग के कारण ऐसा हुआ था। अब बग को हटा दिया गया है और रिकार्ड्स को अद्यतन किया गया है। उत्तर केवल यही संकेत देता है कि विभाग ने स्वयं सिस्टम की समीक्षा नहीं की थी और बग की पहचान केवल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितता के बाद ही हुई थी।

3.9.6.6 डिजिटल प्रमाण-पत्र के उपयोग के लिए लॉग की अपूर्ण रिकॉर्डिंग

निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, प्रत्येक उपयोगकर्ता को साइन-इन प्रमाण-पत्र (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का हिस्सा) लोड करके सिस्टम में साइन-इन करना आवश्यक था। इसी तरह, निविदा प्रस्तुत करने से पहले, उपयोगकर्ताओं के पास एन्क्रिप्टिंग बोलियों के लिए

एन्क्रिप्शन प्रमाण-पत्र का उपयोग करने का विकल्प होता है। इन प्रमाणपत्रों को लोड करने और हटाने के लिए सिस्टम लॉग कैप्चर करता है। इस प्रकार, प्रमाण-पत्र को हटाने की ईवेंट में कॉर्रिस्पॉन्डिंग लोडिंग ईवेंट होनी चाहिए।

लॉग टेबल के विश्लेषण से पता चला कि 167 प्रकरणों के विरुद्ध लोडिंग के प्रमाण पत्रों में साइन हटाने के 12,765 उदाहरण थे। इसके अलावा, एन्क्रिप्शन प्रमाण-पत्र के संदर्भ में, 150 लोडिंग के विरुद्ध 13,798 हटाने वाले प्रकरण थे।

इस प्रकार, **प्रमाण-पत्र को लोड करने और हटाने के लिए लॉग रखने में प्रणाली अयोग्य थी।**

डी.एस. एंड डी. ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि उल्लिखित मामलों में डिजीटल प्रमाण-पत्र टैंडर की प्रक्रिया के भीतर एक्सपायर हो गए। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि हटाने वाले मामले लोड करने वालों से अधिक थे जो केवल यह इंगित करता है कि उल्लिखित मामलों में डिजीटल प्रमाण-पत्रों के प्रयोग के लिए लॉगज कैप्चर नहीं किये गए थे।

अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सिस्टम को पूर्ण लेखापरीक्षा ट्रेल कैप्चर करने के लिए सक्षम बनाया जाना चाहिए।

3.9.7 सिस्टम की अन्य कमियां

3.9.7.1 पोर्टल पर ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को ब्लैकलिस्ट करने की सुविधा का अभाव

मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर फॉर सप्लाइ एंड डिस्पॉजल ऑफ स्टोर्स के पैरा 14.19 में प्रावधान है कि एक फर्म के साथ व्यापार को प्रतिबंधित/निषेध करने वाला आदेश संबंधित विभाग द्वारा सरकार की सभी संस्थाओं को परिचालित किया जाना चाहिए। इस तरह का आदेश जारी करने के बाद, कोई भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बोर्ड आदि ऐसी फर्म के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं कर सकते। आर.एफ.पी. के अनुसार, यह सुविधा उपयोगकर्ता विभागों को किसी ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को प्रतिबंधित/रद्द/निलंबित करने के लिए थी ताकि प्रतिबंधित ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा सके।

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि **किसी फर्म/आपूर्तिकर्ता को प्रतिबंधित श्रेणी में अद्यतित करने की सुविधा ऐप्लीकेशन में उपलब्ध नहीं थी। इस सुविधा के अभाव में, प्रतिबंधित फर्म/आपूर्तिकर्ता को आपूर्तियां अथवा निर्माण कार्य आबंटन का जोखिम था।**

डी.एस. एंड डी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के साथ सहमति व्यक्त (फरवरी 2019) करते हुए आश्वासन दिया कि इस सुविधा को निकट भविष्य में शामिल कर लिया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2019)।

3.9.7.2 ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के माध्यम से वित्तीय निविदा का मूल्यांकन न होना

आर.एफ.पी. के अनुसार, सिस्टम द्वारा तकनीकी निविदा के साथ-साथ वाणिज्यिक निविदा के तुलनात्मक विवरण तैयार करने की सुविधा देनी थी। तकनीकी और वाणिज्यिक निविदा के लिए परिभाषित मानदंडों के आधार पर निविदादाताओं की स्वचालित रैंकिंग (एल₁, एल₂, एल₃.....) को भी आर.एफ.पी. में परिकल्पित किया गया था।

प्रबंधन सूचना प्रणाली की रिपोर्टों के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि प्रणाली के माध्यम से वाणिज्यिक निविदा के लिए तुलनात्मक विवरणियां सृजित की गई थी, लेकिन **बोलीदाताओं की स्वचालित रैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।**

डी.एस. एंड डी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के साथ सहमति व्यक्त की (फरवरी 2019) और आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में सुविधा को शामिल कर लिया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2019)।

3.9.7.3 निविदा अस्वीकृति के विस्तृत कारणों को सिस्टम में कैप्चर नहीं किया गया

आर.एफ.पी. में प्रत्येक निविदा के लिए निविदा मूल्यांकन समिति के सदस्यों की सूची को कैप्चर करने की सुविधा को शामिल करना निर्धारित किया था। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निविदा मूल्यांकन चक्र के किसी भी स्तर पर अस्वीकृत/स्वीकृत बोलियों के लिए निविदा मूल्यांकन समिति की विस्तृत टिप्पणी को कैप्चर करने के लिए भी प्रणाली तैयार की गई थी। ये परिणाम संबंधित निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता भी देख सकते थे।

दो स्तरीय निविदाओं के 21,041 मामलों में, तकनीकी निविदा मूल्यांकन के दौरान निविदादाताओं को अयोग्य घोषित किया गया था और उनकी वाणिज्यिक निविदा नहीं खोली गई थीं। **लेकिन 15,276 मामलों में, अस्वीकृति के विस्तृत कारणों को दर्ज नहीं किया गया था। प्रत्येक निविदा मूल्यांकन समिति के लिए सदस्यों को नामांकित करने का भी प्रावधान नहीं किया गया था। इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य प्रभावित हुआ।**

राज्य सरकार ने जुलाई 2016 में निविदादाताओं को तकनीकी निविदा की अस्वीकृति के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए पांच कार्य दिवस का समय प्रदान करके एक शिकायत निवारण व्यवस्था को भी प्रारंभ किया था। तथापि, डाटा विश्लेषण से पता चला कि 2,400 अस्वीकृत तकनीकी निविदा में से, 1,769 मामलों में, वाणिज्यिक निविदा पांच दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले ही खोल ली गई।

डी.एस. एंड डी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के साथ सहमति व्यक्त की (फरवरी 2019) और आश्वासन दिया कि इस सुविधा को निकट भविष्य में शामिल कर लिया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2019)।

3.9.7.4 खरीददार/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ डिजिटल हस्ताक्षर संलग्न नहीं

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों⁵¹ (2011) के अनुसार, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी टेंडर दस्तावेज और शुद्धिपत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने चाहिए (परिशिष्ट-1 के पैरा 6.1)। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए भी आर.एफ.पी. में उल्लेख किया गया था।

पोर्टल के अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि निविदा आमंत्रण प्राधिकरण द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज और शुद्धिपत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं थे। इसी तरह, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को भी डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। ये या तो पोर्टल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट (पी.डी.एफ.) या इमेज फाइलें थीं जो डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नहीं थीं। इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी और वे अनधिकृत हस्तक्षेप के प्रति प्रवृत्त थे।

डी.एस. एंड डी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के साथ सहमति व्यक्त की (फरवरी 2019) और आश्वासन दिया कि इस सुविधा को निकट भविष्य में शामिल कर लिया जाएगा। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2019)।

3.9.7.5 आपूर्तिकर्ताओं/निविदादाताओं से पर्याप्त संपर्क न होना

खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य के लिए, एस.एम.एस./ई-मेल के माध्यम से संबंधित आपूर्तिकर्ताओं को सूचना भेजने के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया को ऐप्लीकेशन में शामिल किया गया था। उन निविदादाताओं को एस.एम.एस./ई-मेल के माध्यम से सूचना भेजने का प्रावधान किया गया था जिन्होंने शुद्धिपत्र जारी करने से पहले तकनीकी/ वाणिज्यिक निविदा प्रस्तुत कर दी थी।

केवल 16 नवंबर 2017 से 28 जनवरी 2018 तक की अवधि के लिए पोर्टल के साझेदारों को भेजे गए ई-मेल सूचना का विवरण उपलब्ध था। डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि विभिन्न निविदादाताओं को ई-मेल से सूचना नहीं भेजी गयी थी, जैसा कि तालिका 3.14 में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.14 निविदादाताओं को न भेजी गई ई-मेल का विवरण

ईवेंट	निविदाओं की संख्या	बोलियां की संख्या	निविदादाताओं की संख्या जिन्हें ई-मेल नहीं भेजा गया	प्रतिशत
तकनीकी ओपनिंग	3,594	10,227	7,164	70
वाणिज्यिक ओपनिंग	3,864	12,577	8,887	71
शुद्धिपत्र जारी करना	229	318	196	62

(स्रोत: ई-प्रोक्योरमेंट डाटाबेस से प्राप्त सूचना)

⁵¹ ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश।

यद्यपि, सिस्टम के माध्यम से तकनीकी और वाणिज्यिक निविदा खोलने के लिए एस.एम.एस. सृजित किए गए थे, लेकिन इन एस.एम.एस. को संबंधित निविदादाताओं को नहीं भेजा गया था।

डी.एस. एंड डी. ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि आपूर्तिकर्ताओं/निविदाकर्ताओं को संचारण के संबंध में डाटा केवल 45 दिनों तक रखा जाता था और अब सभी हिस्सेदारों को प्रेषित सभी ई-मेल सूचनाओं का रिकार्ड एक तिमाही तक पार्टल पर रखने का निर्णय लिया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने पिछले 15 दिनों में रिकार्ड किए गए ईवेंटज का विश्लेषण किया जिनके लिए ई-मेल सूचना के संबंध में डाटा उपलब्ध था और पाया कि ई-मेल सूचना निविदाकर्ताओं को निविदा खोलने और शुद्धिपत्र के लिए नहीं भेजे गए थे।

3.9.8 परिकल्पित मॉड्यूल को कार्यान्वित न करना

अनुबंध के अनुसार, एम.एस.पी. को 1 अप्रैल 2014 तक सभी छः परिकल्पित मॉड्यूल को लागू करना था। तथापि, इन छः मॉड्यूलों में से दो मॉड्यूल अभी भी लागू नहीं किए गए थे:

प्रयोजन	कार्यान्वयन न होने का प्रभाव
अनुबंध प्रबंधन	
मॉड्यूल को आपूर्ति/कार्य आदेश जारी करने और आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के बिलों के अंतिम भुगतान की मध्यावधि में शामिल प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए परिकल्पित किया गया था। इस मॉड्यूल के कार्यान्वयन से सरकार को आपूर्ति/कार्य की प्रगति की निगरानी करने और सूचनाओं का संग्रहण करने में मदद मिलती, जो आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के कार्य निष्पादन को मापने के लिए उपयोग किया जा सकता है।	इस मॉड्यूल की अनुपस्थिति में, सरकार संबंधित आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों द्वारा की गई आपूर्ति/कार्य की प्रगति की निगरानी नहीं कर सकती है। समय सीमा और गुणवत्ता आदि के संदर्भ में आपूर्तिकर्ता के कार्य करने की क्षमता को सिस्टम के माध्यम से मॉनिटर नहीं किया जा सकता है।
कैटलॉग प्रबंधन	
ई-प्रोक्योरमेंट में कैटलॉग प्रबंधन मॉड्यूल को सभी संस्थाओं में वस्तुओं और सेवाओं की उचित कीमत सुनिश्चित करना है, ताकि प्रत्येक मद को सौंपे गए कोड, खरीद मूल्य, खरीदी गई मात्रा और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के साथ वस्तुओं का विवरण प्राप्त करके आंतरिक मध्यस्थता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।	कैटलॉग प्रबंधन मॉड्यूल की अनुपस्थिति में, सरकार समय-समय पर खरीदी गई मदों, उनके खरीद मूल्य, उन मदों के पूरे विवरण के साथ खरीदी गई मात्रा के साथ साथ संभावित आपूर्तिकर्ताओं के बारे में ऐताहासिक सूचना से पूर्ण सूचना बैंक सृजित नहीं कर सकती। इस प्रकार, विभिन्न विभागों में समान मदों के मूल्य के अंतर की पहचान नहीं की जा सकती।
इंडेंट मैनेजमेंट और परचेज ऑर्डर सुविधाएं	
ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली में राज्य सरकार की संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए डी.एस. एंड डी. को स्टोर आवश्यकताओं के इंडेंट प्रस्तुत करने के लिए एक सुविधा प्रदान की गई थी। सिस्टम डी.एस. एंड डी. को प्राप्त इंडेंट के आधार पर एक टैंडर तैयार करने की सुविधा भी देता है। आगे, प्रणाली में ई-मेल के रूप में स्वचालित खरीद आदेश प्रस्तुत करने के लिए सुविधा थी।	इन सुविधाओं का किसी भी स्टॉक होल्डर द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा था और नोडल विभाग खरीद आदेश का विवरण अपलोड करके पोर्टल खरीदार संस्थाओं पर खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और खरीद प्रक्रिया को अंतिम चरण तक लाने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के जवाब में, डी.एस. एंड डी. ने कहा (फरवरी 2019) कि इन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जाएंगे। अंतिम कार्रवाई प्रतीक्षित थी (मार्च 2019)।

3.9.9 निष्कर्ष

इस प्रकार, प्रवर्तन के चार साल बाद भी, राज्य में ई-प्रोक्योरमेंट की दोहरी प्रणाली संचालित थी। ई-प्रोक्योरमेंट डाटाबेस में कर्तव्यों के पृथक्करण नहीं होने के कारण बैकएंड से एम.एस.पी./डी.बी.ए. द्वारा हस्तक्षेप का जोखिम था। अपर्याप्त सत्यापन जांचों के कारण निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय, विक्रेताओं के कई पंजीकरण, निविदा बंद होने के बाद निविदा को खोलने और वापस लेने, अमान्य जानकारी को कैप्चर करने, आदि के उदाहरण थे। लेनदेन के इतिहास को ट्रैक करने के लिए पूर्ण लेखापरीक्षा ट्रेल को व्यवस्थित नहीं रखा गया। सिस्टम द्वारा वित्तीय निविदा आटो-रैंक नहीं की गई और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंधित करने की सुविधा सिस्टम में उपलब्ध नहीं थी। तकनीकी बोलियों को अस्वीकृत करने के विस्तृत कारणों को कैप्चर नहीं किया गया और बिना डिजिटल हस्ताक्षर के दस्तावेज अपलोड किए गए। अनुबंध और कैटलॉग प्रबंधन मॉड्यूल अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। उपयोगकर्ता विभागों द्वारा इंडेंट प्रबंधन और ऑन-लाइन खरीद आदेशों के तैयारी जैसी सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जा रहा है। सिस्टम के माध्यम से क्रय आदेश तैयार नहीं किए गए थे। डी.एस. एंड डी. ने डाटाबेस के प्रशासन और उपयोगकर्ता प्रबंधन आहरित करने के लिए क्षमता निर्माण के लिए योजना नहीं बनाई थी, जबकि सिस्टम को स्रोत कोड सहित आहरित करने के लिए केवल एक वर्ष (मई 2019 तक) का समय बचा था।

अतः एम.एस.पी./डी.बी.ए. द्वारा बैकएंड पर हस्तक्षेप और लेखापरीक्षा ट्रेल को न रखने से सिस्टम को अपारदर्शी बना दिया और प्रतियोगी ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया में हस्तक्षेप का जोखिम रख दिया था। सिस्टम छेड़छाड़ प्रतिरोधी नहीं था और एक पारदर्शी, दक्ष और कुशल ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम रखने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

मामला जुलाई 2018 में राज्य सरकार को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2019)।

3.10 बायलर के निरीक्षण शुल्क की कम वसूली

भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप बायलरों के लिए संशोधित निरीक्षण शुल्क लगाने में अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ की कम वसूली हुई।

भारत सरकार, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय (भा.स.) ने भारतीय बायलर (संशोधन) अधिनियम, 2007 के माध्यम से भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 29 (1) (एफ) की धारा के अंतर्गत पुराने बायलरों⁵² के निरीक्षण और जांच के लिए देय शुल्क को निर्धारित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति वापस ले ली (दिसंबर 2007)। धारा 28 (1) (ई.डी.) के अंतर्गत निरीक्षण शुल्क को निर्धारित करने की शक्ति केंद्रीय बायलर बोर्ड (सी.बी.बी.) को प्रदान की गई।

⁵² किसी भी बंद पोत की क्षमता 22.75 लीटर से अधिक है जो दबाव में भाप उत्पन्न करने के लिए स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाता है और इस तरह के पोत से जुड़ी किसी भी बढ़ते और अन्य फिटिंग शामिल है।

भारत सरकार (अगस्त 2015) ने नवंबर 2006 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पिछली दरों को औसतन 2.19 गुना बढ़ाकर बायलरों के लिए निरीक्षण शुल्क की दरों को संशोधित किया। अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र (अर्थात 26 अगस्त 2015) में प्रकाशन की तारीख से लागू थी।

बायलरों के मुख्य निरीक्षक, हरियाणा, चण्डीगढ़ (सी.आई.बी.) के कार्यालय में अभिलेखों (फरवरी 2018) की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सी.आई.बी. ने अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार को आगे प्रस्तुत करने के लिए निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, हरियाणा (डी.आई.सी.) को बायलरों के संशोधित निरीक्षण शुल्क निर्धारित करने के प्रस्ताव भेजा (अगस्त 2015)। राज्य सरकार द्वारा निरीक्षण शुल्क के संशोधन के लिए कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तत्रैव अधिनियम की धारा 28 (1) (ई.डी.) के अनुसार सी.बी.बी. के पास निरीक्षण शुल्क निर्धारित करने की शक्ति निहित थी। इसकी बजाए, 26 अगस्त 2015 से संशोधित दरों को अपनाने के लिए विभाग द्वारा फील्ड कार्यालयों को निर्देश जारी किए जाने चाहिए थे। सी.आई.बी. ने फील्ड कार्यालयों को केवल जुलाई 2017 में निर्देश जारी किए कि अगस्त 2015 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जुलाई 2017 से प्रभावी संशोधित निरीक्षण शुल्क एकत्र किए जाए। अगस्त 2015 से जून 2017 के दौरान विभाग ने पुरानी दरों पर निरीक्षण शुल्क के रूप में ₹ 1.22 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.45⁵³ करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

उद्योग और वाणिज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (अगस्त 2018) कि बायलर इकाइयों के मालिकों से अंतरीय राशि की वसूली के लिए बायलर के मुख्य निरीक्षक को निर्देश जारी किए गए थे और चूककर्ता अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई थी। तथापि, बायलर निरीक्षण शुल्क ₹ 1.45 करोड़ की अंतिम वसूली अभी (अगस्त 2018) की जानी थी।

विभाग भारत सरकार की अधिसूचना के विलंबित अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारी/अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के बारे में विचार करे, जिसके परिणामस्वरूप बायलरों से निरीक्षण शुल्क के रूप में ₹ 1.45 करोड़ की कम वसूली हुई।

⁵³ (₹1.22 करोड़ * 2.19) - ₹ 1.22 करोड़ = ₹ 1.45 करोड़ ।

सिंचाई और जल संसाधन विभाग

3.11 अधूरी सिंचाई परियोजना

अनुचित प्रबंधन और महत्वपूर्ण गतिविधियों के निष्पादन में देरी के कारण परियोजना पूर्णता की निर्धारित तिथि से एक वर्ष से अधिक समय तक अपूर्ण रही तथा ₹ 40.14 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 16.37.1 में यह प्रावधान है कि समय-सीमा अधिक होने से बचने के लिए दिशानिर्देशों का अनुसरण होना चाहिए। यह प्रावधान करता है कि सर्वेक्षण का काम पूरी तरह से होना चाहिए, सरकारी विभागों और वैधानिक निकायों से अनुमोदन उचित समय के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए और कोई गतिविधि जो समस्त परियोजना के पूरा करने के लिए प्रासंगिक हो, को समयानुसार करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने फरवरी 2013 में ₹ 47.22 करोड़⁵⁴ (अक्टूबर 2015 में संशोधित ₹ 59.93 करोड़⁵⁵) के लिए एक परियोजना अनुमोदित की, जिसका उद्देश्य सिरसा जिले के 22 गांवों, जहां बारिश कम होती थी और भू-जल खारा था, के 29,511 एकड़ के क्षेत्र में सिंचाई कवरेज बढ़ाने और भू-जल स्तर में सुधार करना था। परियोजना की पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मार्च 2017 थी तथा इसके निम्नलिखित घटक थे:


- (i) घग्गर नदी से निकलने वाली घग्गर बानी सादेवा एम.एम.के. लिंक चैनल (जी.बी.एस.एम.)⁵⁶ की क्षमता 253 क्यूसेक से 851 क्यूसेक तक बढ़ाने के लिए 6.71 किलोमीटर लंबाई की रिमोडलिंग करना।
- (ii) जी.बी.एस.एम. लिंक चैनल से 281 क्यूसेक क्षमता वाली 15.54 किलोमीटर लम्बी नाईवाला खरीफ चैनल (एन.के.सी.) का निर्माण।
- (iii) 41.61 क्यूसेक क्षमता वाली 3.81 कि.मी. लंबी बालासर खरीफ चैनल (बी.के.सी.) और 32.33 क्यूसेक क्षमता वाली 2.87 कि.मी. लंबी कुसार खरीफ चैनल (के.के.सी.) का निर्माण।

⁵⁴ ₹ 20.95 करोड़ के लिए भूमि अधिग्रहण 96.98 एकड़ और ₹ 26.27 करोड़ के लिए चैनलों, पुलों, हेड रेगुलेटर, आदि का निर्माण।

⁵⁵ भूमि अधिग्रहण: ₹ 29.70 करोड़ और ₹ 30.23 करोड़ के लिए चैनल, पुल, हेड रेगुलेटर, आदि का निर्माण।

⁵⁶ घग्गर नदी से जी.बी.एस.एम. लिंक चैनल आर.डी. 29000-आर से निकलती है। जी.बी.एस.एम. लिंक चैनल की कुल लंबाई 79,217 फीट है और जिसकी क्षमता 253 क्यूसेक है। तीन खरीफ चैनलों जैसे कि 54.77 क्यूसेक की क्षमता वाली सादेवा समानांतर चैनल, 24.39 क्यूसेक की क्षमता वाली भागसार माइनर और 26.31 क्यूसेक की क्षमता वाली धोतर माइनर का निर्माण पहले ही जी.बी.एस.एम. लिंक चैनल से किया जा चुका है।

परियोजना का एक प्रतिरूप ले-आउट नीचे दर्शाया गया है:



सिंचाई विभाग ने जनवरी 2018 तक परियोजना पर ₹ 40.14 करोड़⁵⁷ का व्यय किया था। इस परियोजना को विभाग के दो मंडलों⁵⁸ द्वारा निष्पादित किया गया था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया:

- जी.बी.एस.एम. लिंक चैनल की रिमोडलिंग का काम तीन चैनलों अर्थात् एन.के.सी. (मार्च 2014 में), बी.के.सी. और के.के.सी. (जून 2015 में) के कामों को शुरू करने से पहले किया जाना चाहिए था, क्योंकि जी.बी.एस.एम. लिंक चैनल घग्गर नदी से अतिरिक्त पानी ले जाने के लिए अन्य चैनलों के लिए फीडर चैनल है। तथापि, कार्यकारी अभियंता, सिरसा जल सेवाएं मंडल द्वारा जी.बी.एस.एम. लिंक चैनल की विभिन्न संरचनाओं की वास्तुशिल्प ड्राइंग जैसे कि एक्वाडक्ट्स, हेड रेगुलेटर और पुलों को नवंबर 2017 में ही अंतिम रूप दिया गया था और दिसंबर 2017 में जी.बी.एस.एम. लिंक चैनल को बनाने के लिए ₹ 9.78 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया था। यह कार्य मई 2018 में 18 महीने (नवंबर 2019) की समयावधि के साथ एक एजेंसी को आबंटित किया गया था। इस प्रकार मूल परियोजना पूर्ण होने की तारीख (मार्च 2017) ढाई साल पीछे हो गई।
- एन.के.सी. के निर्माण का कार्य मार्च 2014 में बारह महीने की समय-सीमा के साथ ₹ 8.71 करोड़ में आबंटित किया गया था। एजेंसी ने जनवरी 2018 तक ₹ 6.35 करोड़ के काम का निष्पादन किया। तथापि, काम अधूरा रह गया। पूरे प्रोजेक्ट के लिए 96.98 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। हालांकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2012 में शुरू हुई थी, लेकिन अधिग्रहित भूमि (91.02 एकड़) पर संरचनाओं के मुआवजे का भुगतान अक्टूबर 2014 तक किया गया था, यानी काम के शुरू होने के सात महीने बाद। इस कार्य में वन विभाग से क्लीयरेंस भी लेनी थी, जिसे विभाग ने अत्यधिक देरी से अगस्त 2015 में शुरू किया। वन विभाग से स्वीकृति ढाई साल बाद जनवरी 2018 में

⁵⁷ भूमि अधिग्रहण: ₹ 31.51 करोड़; एन.के.सी. का निर्माण: ₹ 6.35 करोड़; कुसार खैर चैनल का निर्माण: ₹ 0.76 करोड़; बी.के.सी. का निर्माण: ₹ 0.54 करोड़; वन विभाग को भुगतान: ₹ 0.60 करोड़; और डी.एच.बी.वी.एन. को भुगतान: ₹ 0.38 करोड़।

⁵⁸ सिरसा जल सेवा मण्डल, सिरसा और घग्गर जल सेवा मण्डल, सिरसा।

मिली थी, क्योंकि सिंचाई विभाग ने गिराए जाने वाले पेड़ों को चिन्हित नहीं किया था। वन विभाग के साथ मामला उठाने से पहले पेड़ों को चिन्हित किया जाना चाहिए था। इस कारण एन.के.सी. के निर्माण में तीन साल की देरी हुई।

- जून 2015 में बी.के.सी. का काम आठ महीनों की समय-सीमा के साथ ₹ 1.69 करोड़ के लिए एक एजेंसी को प्रदान किया गया। इस कार्य पर ₹ 0.54 करोड़ का व्यय हुआ और नवंबर 2017 के पश्चात कार्य पर कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण करने की आवश्यकता थी। परियोजना का अनुमान बनाते समय चैनल के अलाइनमेंट का सही आंकलन नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप बाद में अतिरिक्त 2.525 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया मार्च 2017 में शुरू हुई और अप्रैल 2018 में पूरी हुई। इस चैनल पर काम पुनः आरंभ नहीं किया गया (मई 2018)।

इंगित किए जाने पर, मुख्य अभियंता ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2018) कि साइट की क्लीयरेंस न होने और बिजली के खंभे न हटाने के कारण परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी। इस प्रकार, जिस परियोजना की मार्च 2017 तक पूरी होने की परिकल्पना की गई थी, वह ऊपर बताए गए विभिन्न कारणों से ढाई साल की देरी से अर्थात् नवंबर 2019 तक पूरी होगी। परियोजना पर किया गया ₹ 40.14 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

विभाग परियोजना की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ करे।

मामला राज्य सरकार को भेजा गया था (मार्च 2018) और स्मरण-पत्र जून 2018 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.12 अधूरी सीवरेज योजना

अधूरे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर व्यय किया गया ₹ 13.11 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ क्योंकि अनुपचारित सीवेज निस्तारित किया जा रहा था जो कि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का उल्लंघन था।

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 3ए, की अनुसूची-VI में यह प्रावधान है कि अंतर्स्थलीय सतह के पानी में प्रदूषित पानी छोड़ने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) 30 मि.ग्रा. प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। हरियाणा लोक निर्माण विभाग संहिता के पैरा 10.13.1 में प्रावधान है कि किसी भी सीवरेज निपटान प्रस्ताव का उद्देश्य इसे ठीक से इकट्ठा करना, उसे कुशलता से परिवहन करना और स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों को पैदा किए बिना अंतिम निपटान से पहले आवश्यक मानकों के अनुरूप निपटान करना चाहिए।

राज्य सेनेटरी बोर्ड ने (जुलाई 2005) मास्टर सीवरेज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) से ऋण प्राप्त करके रोहतक शहर के लिए ₹ 44.25 करोड़ का अनुमान अनुमोदित किया। इस परियोजना में 11 नई अनुमोदित कालोनियों में 43 कि.मी. सीवरेज पाइप बिछाने, नेहरू कॉलोनी में 0.94 लाख की आबादी के लिए प्रति दिन 10 मिलियन लीटर (एम.एल.डी.) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) और 3.39 लाख की आबादी की सेवा के लिए भिवानी रोड पर ग्रेन मार्केट के पास 40 एम.एल.डी. का अन्य एस.टी.पी. को बिछाने का काम शामिल था। 40 एम.एल.डी. एस.टी.पी. को छोड़कर ₹ 28.39 करोड़⁵⁹ की लागत पर सभी कार्य जनवरी 2012 तक पूरे कर लिए गए थे।

कार्यकारी अभियंता जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल-3 रोहतक कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया (अक्टूबर 2017) कि मेन पंपिंग स्टेशन (एम.पी.एस.) के साथ 40 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का निर्माण कार्य टर्नकी आधार पर, 12 महीने की समय-सीमा के साथ फरवरी 2009 में एक एजेंसी को ₹ 20.16 करोड़⁶⁰, पर आबंटित किया गया था। कार्य की धीमी प्रगति और निर्धारित तिथि तक काम पूरा करने में विफलता के बावजूद, विभाग ने ठेकेदार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया। कार्यकारी अभियंता द्वारा मार्च 2015 में ठेकेदार पर ₹ 2.02 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। यह भी अधीक्षक अभियंता द्वारा 12 जनवरी 2016 को 31 जनवरी 2016 तक का समय विस्तार देने के कारण माफ कर दिया गया था। हालांकि, एस.टी.पी. के ढांचे का निर्माण कर लिया गया था (जनवरी 2016), कुछ कार्य अभी भी ऐसे थे जिन्हें पूरा⁶¹ किया जाना बाकी था। इस बारे में एन.सी.आर.पी.बी. टीम और विभागीय अधिकारियों द्वारा मई/जून 2016 में परियोजना प्रगति निरीक्षण के दौरान इंगित किया गया था। इन कमियों के कारण, एस.टी.पी. काम नहीं कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप बार-बार रुकावटें आ रही थीं और इनलेट चैनल का अतिप्रवाह हो रहा था। एस.टी.पी. से संबंधित कार्य के लिए ₹ 14.52 करोड़ की अनुबंध राशि के विरुद्ध, ₹ 13.11 करोड़ का भुगतान ठेकेदार (जनवरी 2016) को कर दिया गया था।

कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदार को पाई गई कमियों को सुधारने के निर्देश के साथ डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि को 31 अगस्त 2017 तक बढ़ाया (मार्च 2017)। तथापि, काम पूरा नहीं हुआ और कार्यकारी अभियंता ने अनुबंध को रद्द कर दिया (दिसंबर 2017)। **ठेकेदार के जोखिम और लागत पर काम पूरा करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एस.टी.पी. पूर्णता की**

⁵⁹ ₹ 28.39 करोड़ = ₹ 17.30 करोड़ (सीवर लाइने बिछाने) + ₹ 0.56 करोड़ (राहर जोड़ में निपटान कार्य) + ₹ 10.53 करोड़ (10 एम.एल.डी. एस.टी.पी.)।

⁶⁰ एस.टी.पी. - ₹ 14.52 करोड़, एम.पी.एस. - ₹ 2.99 करोड़, संचालन और रख-रखाव - ₹ 0.36 करोड़ और आंतरिक सड़कें और पाइप - ₹ 2.29 करोड़।

⁶¹ मैकेनिकल स्क्रीन, मैकेनिकल डिग्रिटर, इनलेट सिस्टम और कीचड़ सुखाने वाले बेड नहीं बनाये गए, अंतिम पॉलिशिंग पॉन्ड कभी भी डी-सिल्ट नहीं किये गए, कार्यालय और प्रयोगशाला, गैस धारक और गैस बर्नर का निर्माण नहीं किया गया, डी.जी. सेट, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आदि स्थापित नहीं किए गए।

निर्धारित तिथि के आठ साल पूरे होने के बाद भी कार्यात्मक नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप अनुपचारित सीवेज को नाले में बहाया जा रहा था।

भौतिक सत्यापन (2018), के दौरान पाया गया कि कचरा संग्रहण टैंक और कचरा सम्पवैल के बीच मैकेनिकल स्क्रीन, कनेक्टविटी, रिएक्टर के आसपास प्लिन्थ सुरक्षा का निर्माण नहीं किया गया था। सीवरेज बह रहा था और अनुपचारित सीवेज का नाले में निर्वहन किया जा रहा था।

अपूर्ण एस.टी.पी. पर किया गया ₹ 13.11 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि अनुपचारित सीवेज का पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का उल्लंघन कर निर्वहन किया जा रहा था।

मामला राज्य सरकार को भेजा गया था (अप्रैल 2018) और आगामी स्मरण-पत्र जून 2018 में जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

3.13 अपूर्ण कार्यों पर निष्फल व्यय

नहरी जल के स्रोत के समुचित मूल्यांकन के बिना दो जल आपूर्ति स्कीमों की शुरुआत करने तथा परियोजनाएं पूर्ण करने में लापरवाहीपूर्ण रवैये के कारण स्कीमों पर किया गया ₹ 10.47 करोड़ (₹ 9.01 करोड़ + ₹ 1.46 करोड़) का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त लोगों को पीने के पानी से वंचित रखा गया।

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का पैरा 16.37.1 परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब से बचने के लिए दिशानिर्देश देता है क्योंकि विलम्ब परियोजना लागत बढ़ने, अनुबंध संबंधी दावे, सुविधाओं के उपयोग में देरी और राजस्व की संभावित हानि होने का कारण हो सकता है। सभी परियोजनाओं के लिए पहले सर्वेक्षण कार्य किया जाना चाहिए, सरकारी विभागों और वैधानिक निकायों से क्लीयरेंस प्राप्त की जानी चाहिए, विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री की समय पर खरीद और परियोजना अविलम्ब पूरी हो इसके लिए सभी गतिविधियों को पूरा कर लिया जाना चाहिए। संहिता के अनुच्छेद 10.12.2 (ख) में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि जल आपूर्ति परियोजना के लिए अनुमान में पानी के स्रोत की जांच, इसकी क्षमता और उपलब्ध होने की संभावना के साथ पानी की आश्वासित मात्रा और गुणवत्ता का आकलन करना चाहिए।

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत ₹ 3.15 करोड़⁶² में ग्राम मातानी (जिला भिवानी) के लिए जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, हरियाणा (बोर्ड) ने (अप्रैल 2012) एक नहरी जल आधारित जलापूर्ति स्कीम अनुमोदित की। सिंचाई और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों के अधीक्षण अभियंताओं की एक समिति (समिति) ने ईशरवाल डिस्ट्रीब्यूटरी से नहर का पानी प्राप्त करने का निर्णय लिया। वाटर वर्क्स संरचना और पाइप वितरण प्रणाली के निर्माण कार्य, जनवरी 2013 में निविदाओं को आमंत्रित करने के बाद, कार्यकारी अभियंता, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, सिवानी ने मार्च 2013 में एक वर्ष की समयावधि के साथ (मार्च 2014 तक)

⁶² जिसमें शामिल थे, सिविल कार्य - ₹ 0.85 करोड़; नहर का पानी लाने और वितरण के लिए पाइपलाइन - ₹ 2.03 करोड़; मशीनरी - ₹ 0.15 करोड़; और अन्य विविध वस्तुएं - ₹ 0.12 करोड़।

₹ एक करोड़ की अनुबंधित राशि के लिए न्यूनतम निविदाकर्ता आबंटित कर दिया गया। विभाग द्वारा ₹ 1.87 करोड़ के डी.आई. पाइप प्रदान किए जाने थे। मतानी वाटर वर्क्स की संरचनाओं के निर्माण पर विभाग द्वारा ₹ 1.38 करोड़ का व्यय किया गया था।

काम के निष्पादन के दौरान, निर्धारित स्रोत (ईशरवाल डिस्ट्रीब्यूटरी) में पानी की उपलब्धता अपर्याप्त पाई गई। इसलिए बोर्ड ने सिवानी नहर पर एक पंप हाउस बनाकर तीन गांवों मतानी, मिथि और मोर्कन को नहर का पानी उपलब्ध कराने के लिए सिवानी नहर से 33 किलोमीटर डी.आई. पाइपलाइन बिछाने के लिए, राज्य के वित्तों से पोषित परियोजना में ₹ 18.75 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अगस्त 2013)। कार्य का तकनीकी अनुमान ₹ 15.90 करोड़⁶³ के लिए अनुमोदित किया गया। विभाग द्वारा मार्च 2014 में ₹ 1.12 करोड़ के लिए नौ महीने की अवधि यानी दिसंबर 2014 तक पंप हाउस और पाइपलाइन के निर्माण कार्य को आबंटित किया गया था। इसमें विभाग द्वारा ₹ 14.32 करोड़ मूल्य के डी.आई. पाइप उपलब्ध करवाए जाने थे।

एजेंसी ने 33 कि.मी. की अनुमानित लम्बाई के विरुद्ध केवल 6.3 कि.मी. की डी.आई. पाइपलाइन बिछाई (दिसंबर 2015) जिसकी कीमत ₹ 1.64 करोड़ थी और एजेंसी को ₹ 0.10 करोड़ का भुगतान किया गया। विभाग ने डी.आई. पाइप की शेष लंबाई की खरीद के लिए 2015-16 और 2016-17 के दौरान बोर्ड से निधि की मांग नहीं की थी। परिणामस्वरूप, पाइपों की खरीद नहीं की जा सकी और दो साल तक काम परित्यक्त पड़ा रहा। विभाग ने 2017-18 में मांग की जिससे ₹ 8.35 करोड़ की निधि आबंटित हुई, जिसमें से सितंबर 2017 में ₹ 5.73 करोड़ के पाइप खरीदे गए, जो अभी तक अप्रयुक्त पड़े थे (दिसंबर 2017)।

सिंचाई विभाग की भूमि पर सिवानी नहर के पास पंप हाउस का निर्माण किया जाना था। तथापि, कार्यकारी अभियंता द्वारा सिंचाई विभाग के साथ भूमि के हस्तांतरण का अनुरोध अत्यधिक देरी से मई 2017 अर्थात् पंप हाउस के काम के आबंटन के तीन वर्ष बाद किया गया था। इस कार्य पर दिसंबर 2017 तक ₹ 7.63 करोड़⁶⁴ का व्यय किया गया था। कार्य⁶⁵ के दोनों भागों पर ₹ 9.01 करोड़ का कुल व्यय निष्फल रहा क्योंकि परियोजना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है।

कार्यकारी अभियंता ने सूचित किया (अक्टूबर 2018) कि 450 मि.मी. की 16.18 कि.मी. की पाइप साइट पर बिछाई गई थी। सिवानी नहर पर पंप हाउस निर्माणाधीन है। परियोजना अपूर्ण रही (मई 2019)।

⁶³ सिविल कार्य - ₹ 0.26 करोड़; राइजिंग मेन - ₹ 14.38 करोड़; पंपिंग मशीनरी - ₹ 1.03 करोड़ और आकस्मिक व्यय - ₹ 0.23 करोड़।

⁶⁴ बिछाई गई पाइपों की लागत - ₹ 1.64 करोड़, सितंबर 2017 में खरीदे गए पाइपों की लागत - ₹ 5.73 करोड़ और ठेकेदार का भुगतान और अन्य व्यय - ₹ 0.26 करोड़।

⁶⁵ मतानी वाटर वर्क्स - ₹ 1.38 करोड़ + नहर के पानी के लिए राइजिंग मेन - ₹ 7.63 करोड़।

(ख) खोरदा, गोबिंदपुर और बेरला गांवों में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए, बोर्ड ने 7.64 करोड़ की जलापूर्ति स्कीम को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 2013)। समिति ने पानी के स्रोत के रूप में लोहारू फीडर नहर की पहचान की थी (फरवरी 2013)। स्कीम में ₹ 1.24 करोड़ की लागत से गांव खोरदा में स्वतंत्र वाटर वर्क्स⁶⁶ और ₹ 6.29 करोड़ की अनुमानित लागत पर लोहारू फीडर नहर के पास ग्राम बेरला में पंप हाउस के निर्माण और वहां से तीनों गांवों को नहरी पानी की आपूर्ति डी.आई. पाइप राईजिंग मेन के माध्यम से करने का प्रावधान था।

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल, चरखी दादरी के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ (दिसंबर 2017) कि ग्राम खोरदा में एक एजेंसी को 12 महीने की समय-सीमा के साथ ₹ 1.32 करोड़ की लागत से वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य आबंटित किया गया (दिसंबर 2013)। कार्य पूरा हो चुका था और उपरोक्त कार्य पर ₹ 1.46 करोड़⁶⁷ का व्यय किया गया था (अप्रैल 2018)। तथापि, परियोजना कार्यात्मक नहीं हुई है क्योंकि विभाग ने लोहारू फीडर नहर में आउटलेट के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग से अनुमोदन नहीं लिया।

इंगित किए जाने पर, कार्यकारी अभियंता ने पुष्टि की (अप्रैल 2018) कि लोहारू फीडर में आउटलेट के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त किए बिना काम शुरू किया गया था। आगे सूचित किया (अक्टूबर 2018) कि पानी के स्रोत को सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी में बदल दिया गया था। हालांकि, अगस्त 2018 में सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी से 0.51 क्यूसेक की आवश्यकता के स्थान पर केवल 0.26 क्यूसेक नहरी पानी लेने की अनुमति प्राप्त की गई थी।

इस प्रकार, नहरी पानी के स्रोत को सुनिश्चित किए बिना स्कीम शुरू करने और विभाग के लापरवाहीपूर्ण रवैये के परिणामस्वरूप ग्राम मतानी और खोरदा में पांच साल की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी स्कीम अपूर्ण रही जिससे ₹ 9.01 करोड़ और ₹ 1.46 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त, गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य अप्राप्त रह गया।

विभाग दो जल आपूर्ति स्कीमों की शीघ्र पूर्णता सुनिश्चित करे तथा जहाँ अन्य विभागों से अनुमोदन/क्लीयरेंस की आवश्यकता होती है, वहाँ निष्पादन में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अपनी योजना एवं मॉनिटरिंग यंत्रावली को मजबूत करे।

मामलों को फरवरी 2018 और मई 2018 में सरकार को भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2019)।

⁶⁶ (i) स्टोरेज और सेडिमेंटेशन (एस.एस.) टैंक (ii) हाई लेवल टैंक (एच.एल.टी.) (iii) क्लियर वॉटर टैंक (सी.डब्ल्यू.टी.) (iv) सक्शन एंड स्कोर वेल (v) फिल्टर बेड (vi) पंपिंग मशीनरी (vii) बाउंड्री वॉल आदि।

⁶⁷ ठेकेदार का भुगतान - एस.एस. टैंक, फिल्टर बेड, पंप चैंबर, साफ पानी की टंकी के निर्माण के लिए ₹ 0.66 करोड़, भंडार से जारी पाइप- ₹ 0.42 करोड़ और अन्य विविध व्यय - ₹ 0.38 करोड़।

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

3.14 निधि के विलंब से जमा होने के कारण परिहार्य व्यय

रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भू-स्वामियों को अधिग्रहण के लिए भुगतान करने के लिए निधियां जमा करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 26.24 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भुगतान किया गया।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (अधिनियम) की धारा 23 (1क) के अनुसार धारा 4 (1)⁶⁸ के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से कलेक्टर द्वारा अर्वाइ की तिथि तक या जमीन पर कब्जा लेने की तिथि, जो भी पहले हो तक भूमि के बाजार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है। इसलिए, अधिसूचना और अर्वाइ की तिथि के मध्य की अवधि को कम करके ब्याज के भुगतान को कम से कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

रेल मंत्रालय, भारत सरकार ने 2012-13 में रोहतक-महम-हांसी में नई रेलवे लाइन के निर्माण को अनुमोदित किया, इसमें शर्त थी कि राज्य सरकार इस कार्य के लिए रेलवे को निःशुल्क में जमीन उपलब्ध कराएगी। दिसंबर 2013 और जून 2014 में राज्य सरकार द्वारा क्रमशः धारा 4 (1) और धारा 6⁶⁹ के अंतर्गत ₹ 157.14 करोड़ मूल्य की 7,124 कनाल और 10 मरला भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई थीं। 27 नवंबर 2014 को, जिला राजस्व अधिकारी सह भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, रोहतक (डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी.) ने 20 नवंबर 2014 तक ब्याज की गणना करके भूमि मालिकों को भूमि मुआवजे के भुगतान के लिए ₹ 330.20 करोड़⁷⁰ की मांग पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को प्रस्तुत की।

कार्यकारी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) डिवीजन नंबर 1, रोहतक, के कार्यालय में अभिलेखों की समीक्षा (दिसंबर 2016 और जनवरी 2017) से पता चला है कि डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी., रोहतक से मांग प्राप्त होने के बाद अधीक्षक अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) सर्कल, रोहतक ने 28 अगस्त 2014 को राज्य सरकार से निधियों की व्यवस्था के लिए प्रमुख अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) को मांग सौंपी। इसके बाद प्रमुख अभियंता ने 05 मार्च

⁶⁸ जब भी ऐसा लगता है कि किसी भी इलाके में भूमि की आवश्यकता है या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक होने की संभावना है, तो इस आशय की एक अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए और कलेक्टर उक्त इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर दिए जाने वाले ऐसे अधिसूचना के सार की सार्वजनिक सूचना देगा।

⁶⁹ धारा 4(1) अधिसूचना जारी होने के बाद, धारा 5-ए भूमि/संपत्ति के मालिकों द्वारा दायर आपत्तियों की जांच पर विचार करता है। यदि जांच के बाद, सरकार अधिग्रहण के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है, तो उसे अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा करनी होगी जो इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगा कि सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि/संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है।

⁷⁰ भूमि मुआवजा: ₹ 157.14 करोड़ + सौ प्रतिशत सॉलिटियम: ₹ 157.14 करोड़ और अक्टूबर 2014 तक भूमि मुआवजा पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज: ₹ 15.92 करोड़।

2015 को अर्थात् 189 दिनों की देरी के बाद निधि की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को मामला प्रस्तुत किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सरकार को निधि की मांग भेजने में विलंब के लिए अभिलेख में कोई स्पष्ट कारण नहीं थे।

मुख्यमंत्री ने 25 मार्च 2015 को यह प्रस्ताव अनुमोदित किया और निर्देशित किया कि निधियों का उपलब्ध न होना अवार्ड घोषित करने में रूकावट का कारण नहीं बनना चाहिए तथा अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस., बी. एंड आर.) को प्रधान सचिव, वित्त विभाग के साथ मामले को व्यक्तिगत रूप से उठाने का निर्देश दिया। परन्तु प्रमुख अभियंता ने आगे इसे वित्त विभाग को संदर्भित करने के लिए मामले को ए.सी.एस., बी. एंड आर. को 1 जून 2015 को, अर्थात् 67 दिनों के विलंब से प्रस्तुत किया जबकि मामला 26 मार्च 2015 को ए.सी.एस., बी. एंड आर. से वापस प्राप्त कर लिया गया था। पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा 256 दिनों के विलंब के कारण कुल ₹ 13.22⁷¹ करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान करने पड़े।

प्रमुख अभियंता ने 9 फरवरी 2016 को 252 दिनों के अंतराल के बाद वित्त विभाग के साथ फिर से मामला उठाया। ₹ 330.20 करोड़ की निधियां (20 नवंबर 2014 तक की ब्याज राशि सहित) मंडल को आबंटित (मार्च 2016) कर दी गई और इसे भूमि मालिकों को भुगतान के लिए डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी. के पास (मार्च 2016) जमा किया गया था। इस समय 21 नवंबर 2014 से जून 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 36.54 करोड़ ब्याज के लगने के कारण डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी. की मांग बढ़कर ₹ 366.74 करोड़ हो गई। ₹ 36.54 करोड़ की ब्याज राशि अगस्त और सितंबर 2016⁷² में जमा कर दी गई थी। इसमें ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 13.02⁷³ करोड़ की राशि थी।

इस प्रकार विभाग ने अगस्त 2014 से सितंबर 2016 में डी.आर.ओ.-सह-एल.ए.सी. की पहली मांग की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक कुल 682 दिन (**परिशिष्ट 3.21**) लिए थे। इसमें से, 508 दिन (256 + 252) की देरी परिहार्य थी जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। इसके कारण इस अवधि के लिए ₹ 26.24⁷⁴ करोड़ का परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ। इससे रोहतक-महम-हांसी के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण में भी विलंब हुआ।

राज्य सरकार को यह मामला (मई 2018) भेजा गया था और आगामी स्मरण-पत्र जुलाई 2018 में जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2019)।

⁷¹ (₹ 157.14 करोड़ * 256 * 12)/365*100

⁷² ₹ 26.54 करोड़ (अगस्त 2016) + ₹ 10.00 करोड़ (सितंबर 2016)।

⁷³ (₹ 157.14 करोड़ * 252 * 12)/365*100

⁷⁴ (₹ 157.14 करोड़ * 508 * 12)/365*100

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग

3.15 क्षतिग्रस्त फसलों के लिए अमान्य मुआवजों का भुगतान

भारत सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण, क्षतिग्रस्त फसलों के लिए अधिक मुआवजे का भुगतान करने से राज्य सरकार को ₹ 3.07 करोड़ की हानि हुई।

गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी राज्य आपदा राहत कोष (एस.डी.आर.एफ.) से सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड जारी किए हैं (अप्रैल 2015), जो फरवरी/मार्च 2015 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए सहायता/मुआवजे के लिए भी लागू थे। सहायता प्रति किसान दो हेक्टेयर (यानी पांच एकड़) की सीमा के अधीन प्रदान की जानी थी। राज्य सरकार ने मार्च-अप्रैल 2015 के महीने में आयोजित गिरदावरी⁷⁵ के आधार पर प्रति किसान ₹ 60,000 (₹ पांच एकड़ तक ₹ 12,000 प्रति एकड़) का अधिकतम मुआवजा देने का फैसला किया (अप्रैल 2015)। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग (आर.डी.एम.) के स्थायी आदेश संख्या 72 (सितंबर 2013) के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुरूप सभी प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के सही वितरण के लिए उपायुक्त (डी.सी.) और उप मंडल अधिकारी (एस.डी.ओ.-सिविल) जिम्मेदार थे। मुआवजा हरियाणा सिविल सेवाएं (एच.सी.एस.) और संबंधित जिले में श्रेणी-1 के अधिकारियों की एक समिति की देखरेख में संवितरण किया जाना था। तहसील कार्यालयों में प्रभावित व्यक्ति का नाम, कुल प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित व्यक्तियों को वितरित की जाने वाली राशि आदि का विवरण रखने के लिए एक रजिस्टर रखा जाना था।

डी.सी., गुरुग्राम और सिरसा के कार्यालयों के अंतर्गत तहसीलदारों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए मानदंडों/निर्देशों के उल्लंघन में फरुखनगर (गुरुग्राम), सिरसा और रानिया (सिरसा) तहसीलों के संवितरण अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए 727 किसानों को ₹ 3.07 करोड़⁷⁶ का अमान्य भुगतान किया है। यह दर्शाता है कि डी.सी. और एस.डी.ओ.-सिविल के साथ-साथ संवितरण समिति, जिसे मानदंड के अनुसार मुआवजे का वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, द्वारा प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण की कमी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, डी.सी., गुरुग्राम ने उत्तर दिया (अप्रैल 2018) कि भूमि राजस्व के बकाया के रूप में मुआवजे के अधिक भुगतान की वसूली को प्रभावित करने के लिए फरुखनगर तहसील के तहसीलदार को निर्देश जारी किए गए थे। हरियाणा सरकार के अपर मुख्य सचिव, आर.डी.एम. विभाग के कार्यालय ने भी क्षेत्र कार्यालयों द्वारा संवितरण के मानदंडों का अनुसरण करने में विफलता को स्वीकार किया (मई 2018)।

⁷⁵ फसल निरीक्षण अर्थात् राजस्व अभिलेख में फसल/उपज से संबंधित सूचना का अभिलेख कटाई करने वाले व्यक्ति के नाम के साथ।

⁷⁶ अनुमेय सीमा से अधिक 22.68 एकड़ भूमि के लिए अतिरिक्त भुगतान।

इस प्रकार, मुआवजे का भुगतान करने के लिए तय मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण, तहसीलदारों ने किसानों को ₹ 3.07 करोड़ का अमान्य मुआवजा दिया।

यह मामला मई 2018 में राज्य सरकार को भेजा गया था और आगामी स्मरण-पत्र जुलाई 2018 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2019)।

विद्यालय शिक्षा विभाग
(हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद)

3.16 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा अपर्याप्त निगरानी के कारण निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी रही तथा भारत सरकार ने और निधियां जारी नहीं की। आवश्यकता का आकलन किए बिना निधियां जारी करने, चूककर्ताओं से वसूली न करना और संदिग्ध गबन के दृष्टांत थे। व्यावसायिक शिक्षा स्कीम के अंतर्गत, 2013-16 के दौरान 406 प्रयोगशालाओं के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल 194 प्रयोगशालाएं पूर्ण की गईं। ₹ 47.18 करोड़ की लागत पर निर्मित 29 कन्या छात्रावास खाली पड़े थे। राज्य में शिक्षकों की तैनाती सही अनुपात में नहीं थी, क्योंकि छात्र-शिक्षक अनुपात पिछड़े क्षेत्रों में अधिक और जिला/ ब्लॉक मुख्यालय के पास स्थित स्कूलों में कम था।

3.16.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (भा.स.) ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए मार्च 2009 में केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) शुरू किया। तत्पश्चात, स्कूलों में चल रही चार केंद्रीय स्कीम जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.), माध्यमिक चरण में दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.) और व्यावसायिक शिक्षा (वी.ई.) को 2013-14 में एकीकृत आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत शामिल किया गया था।



राज्य के 21 जिलों में से, चार जिलों, अल्पसंख्यक केंद्रित जिला मेवात और अनुसूचित जाति केंद्रित जिले अंबाला, सिरसा और फतेहाबाद को विशेष फोकस जिलों के रूप में माना गया।

इन स्कीमों को हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एच.एस.एस.पी.पी.)⁷⁷ द्वारा राज्य परियोजना निदेशक (एस.पी.डी.) की अध्यक्षता में कार्यान्वित किया जा रहा है। जिला स्तर पर, स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.सी.) जिम्मेदार थे। पिछले शेष सहित ₹ 1,263.97⁷⁸ करोड़ की निधि की उपलब्धता के विरुद्ध 2013-18 के दौरान ₹ 1,220.13 करोड़ व्यय किए गए।

इन स्कीमों के माध्यम से भौतिक और मानव संसाधनों के विकास का आकलन करने के लिए 2013-18 की अवधि के लिए पांच⁷⁹ जिलों के एच.एस.एस.पी.पी., डी.पी.सी. कार्यालयों, 10 ब्लॉक⁸⁰ (प्रत्येक जिले में दो) और 50 स्कूल (प्रत्येक ब्लॉक में पांच) (परिशिष्ट 3.22) के अभिलेखों की नमूना-जांच दिसंबर 2017-अप्रैल 2018 के दौरान की गई। चार जिलों का चयन स्तरीकृत रैंडम सैंपलिंग पद्धति⁸¹ को अपनाते हुए किया गया था, जबकि पंचकुला जिले को पायलट अध्ययन के अंतर्गत कवर किया गया था। नवंबर 2018 में राज्य परियोजना निदेशक, एच.एस.एस.पी.पी. के साथ एक एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिए गए हैं:

3.16.2 मूलभूत संरचना विकास

3.16.2.1 स्कूलों में बुनियादी ढांचे की स्थिति

आर.एम.एस.ए. ढांचे के अनुसार, सेकेन्ड्री और सीनियर सेकेन्ड्री विद्यालयों में पर्याप्त क्लास रूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, प्रधानाध्यापक/प्राचार्य कक्ष, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय, खेल के मैदान, चारदीवारी आदि होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, आई.ई.डी.एस.एस. स्कीम, सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए शौचालय तथा रैंप प्रदान करती है। राज्य में 3,276 सेकेन्ड्री और सीनियर सेकेन्ड्री विद्यालय थे। वर्ष 2017-18 के लिए यू.डी.आई.एस.ई. जानकारी के अनुसार, राज्य के सीनियर सेकेन्ड्री और उच्च विद्यालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति नीचे दर्शाए गए ग्राफ के अनुसार थी:


⁷⁷ पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एच.एस.एस.पी.पी. एक सोसायटी है जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

⁷⁸ आर.एम.एस.ए. ₹ 695.53 करोड़, वी.ई.: ₹ 237.97 करोड़, आई.सी.टी.: ₹ 235.98 करोड़, गर्ल्स हॉस्टल: ₹ 55.20 करोड़ और आई.आवश्यक दवाओंएस.एस.: ₹ 39.29 करोड़।

⁷⁹ (i) कैथल, (ii) नूंह, (iii) पंचकुला, (iv) सिरसा और (v) यमुनानगर।

⁸⁰ (i) कैथल (ii) राजौंद (iii) नूंह (iv) पुन्हाना (v) पिंजौर (vi) मोरनी (vii) सिरसा (viii) बारगुडा (ix) रादौर और (x) छछरौली।

⁸¹ जारी किए गए कुल धन और छात्रों के नामांकन के आधार पर जिलों को तीन समूहों में विभाजित किया गया था।



जैसा कि ऊपर के ग्राफ से स्पष्ट है, यद्यपि अधिकांश स्कूलों में उचित बुनियादी ढांचा था, तथापि कुछ स्कूलों में बुनियादी ढांचा कम था, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एच.एस.एस.पी.पी. ने बताया (जनवरी 2019) कि राज्य सरकार की मांग के अनुसार भारत सरकार द्वारा बजट का अनुमोदन न होने के कारण सभी स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

3.16.2.2 बुनियादी ढांचे के सृजन में धीमी प्रगति

आर.एम.एस.ए. के अंतर्गत महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक अतिरिक्त क्लास रूम (ए.सी.आर.), विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर कमरे, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय, आदि के निर्माण के माध्यम से वर्तमान माध्यमिक विद्यालयों को मजबूत करना था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के कार्यों का प्लान अनुमोदित करता है। आर.एम.एस.ए. ढांचे के अनुसार, स्वीकृत निधियां अंतिम तिमाही तक की गई भौतिक प्रगति के लिए व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद जारी की जा सकती हैं। पूर्ववर्ती वर्ष से 12 महीने के बाद, यदि उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तक निधियां जारी नहीं की जाएंगी।

2010-12 की अवधि के लिए पी.ए.बी. ने राज्य में ₹ 400.36 करोड़ की अनुमानित लागत पर 6,951 कार्य अनुमोदित किए। ये कार्य निधियों की प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर पूरे किए जाने थे। जून 2018 तक, इन कार्यों में से, 6,259⁸² कार्य पूरे हो गए, 654⁸³ अभी भी प्रगति पर थे और

⁸² मार्च 2013 तक-2,262 कार्य, मार्च 2014 तक-4,795 कार्य, मार्च 2015 तक- 5,618 कार्य, मार्च 2016 तक- 6,060 कार्य, मार्च 2017 तक-6,090 कार्य और मार्च 2018 तक-6,259 कार्य।

⁸³ स्कूलों का उन्नयन: 10, अतिरिक्त क्लास रूम: 68, विज्ञान प्रयोगशालाएं: 109, कंप्यूटर कमरे: 137, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम: 177, एजुसैट-कम-लाइब्रेरी: 145, शौचालय: 8.

38⁸⁴ शुरू भी नहीं किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.23** में दर्शाया गया है।

2013-18 की अवधि के लिए पी.ए.बी. ने राज्य में ₹ 204.66 करोड़ के लिए 2,471 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी (**परिशिष्ट 3.24**)। भारत सरकार द्वारा निधियों की निर्मुक्ति न किए जाने के कारण इनमें से केवल 205 कार्यों का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, 1,393 कार्य प्रगति पर थे तथा पी.ए.बी. के अनुमोदन के 24 से 48 मास बीतने के बाद भी 873 कार्य शुरू नहीं हुए थे (जून 2018)। भारत सरकार ने 2013-18 के दौरान अनुमोदित कार्यों के लिए निधियां जारी नहीं की, क्योंकि 2010-12 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं अधूरी थी या उनके काम शुरू भी नहीं हुए थे। तथापि, पी.ए.बी. की अनुमोदन प्राप्त किए बिना, 2010-12 के दौरान के कार्यों को पूरा करने के लिए अव्ययित निधि से 2013-18 के दौरान अनुमोदित कार्यों को एच.एस.एस.पी.पी. ने आरंभ किया।

एच.एस.एस.पी.पी. कार्यों की प्रगति की निगरानी नहीं कर रहा था तथा सिविल कार्यों को पूरा नहीं करने के कारण भी उनके अभिलेख में दर्ज नहीं थे। परिणामस्वरूप, पिछले छः से सात वर्षों से लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए उचित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी।

एच.एस.एस.पी.पी. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि मुख्य रूप से भारत सरकार से पर्याप्त निधियां न मिलने के कारण कार्यों की शुरुआत में देरी हुई। कुल 9,422 कार्यों में से, 6,433 कार्य पूर्ण हो चुके थे, 2,338 कार्य प्रगति पर थे और 651 कार्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण शुरू नहीं किए जा सके थे। बुनियादी ढांचे की आवश्यकता में कमी के कारण भी स्कूलों द्वारा कुछ निधियां अभ्यर्पित कर दी गई थी। इससे यह पता चलता है कि उचित मूल्यांकन के बिना ही निधियों की मांग की गई थी।

3.16.2.3 आवश्यकता का आकलन किए बिना निधियां जारी की गईं

जहां एक ओर निधियों की कमी के कारण कार्य पूर्ण नहीं करवाए जा सके, वहीं निधियों के अप्रयुक्त रहने के उदाहरण थे। तीन नमूना-जांच किए गए जिलों में निर्माण कार्यों के लिए मई 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए तीन⁸⁵ स्कूलों में 12 कार्यों⁸⁶ के निष्पादन के लिए ₹ 25.07 लाख की निधियां जारी की गई थी, जो भूमि की अनुपलब्धता के कारण निष्पादित नहीं किए जा सके थे। जनवरी 2014 और अगस्त 2016 के मध्य एच.एस.एस.पी.पी. को निधि रिफंड कर दी गई थी।

इसी प्रकार, नमूना-जांच किए गए तीन जिलों के आठ विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, अतिरिक्त कक्षा रूम, कला और शिल्प कक्षा इत्यादि के निर्माण के लिए जुलाई-अक्टूबर 2017 के दौरान ₹ 37.43 लाख की निधियां स्वीकृत की गई थी (**परिशिष्ट 3.25**)। यद्यपि ये सुविधाएं

⁸⁴ अतिरिक्त क्लास रूम: 16, विज्ञान प्रयोगशालाएं: 2, कंप्यूटर कमरे: 13, कला और शिल्प कमरे: 5, एडुसैट-सह-पुस्तकालय: 2.

⁸⁵ जी.जी.एच.एस. भाना (कैथल) ₹ 3.94 लाख, जी.एस.एस.एस. मोरनी ₹ 12.28 लाख, और जी.एच.एस., लोहिंगा कला (नूंह) ₹ 8.85 लाख।

⁸⁶ ये कार्य उन 38 कार्यों में से थे, जिन्हें अनुच्छेद 3.17.2.2 में उल्लिखित के अनुसार आरंभ नहीं किया गया था।

पहले से ही इन स्कूलों में मौजूद थीं, तथापि मुख्य अध्यापक/प्राचार्य ने इन सुविधाओं को यूनिफाइड-डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडी.आई.एस.ई.) के माध्यम से उपलब्ध कराने की मांग की। यह राशि मार्च 2018 तक इन स्कूलों/डी.पी.सी. के पास पड़ी थी। डी.पी.सी. ने भी निधियों के उपयोग की निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप कुप्रबंधन रहा तथा निधियों का अवरोधन हुआ।

एच.एस.एस.पी.पी. ने इस तथ्य (अक्टूबर 2018) को स्वीकार करते हुए बताया है कि इन घटकों की निधियों को ब्याज के साथ स्कूलों द्वारा वापस कर दिया गया था और सभी संबंधितों को निर्देश दिए गए थे कि भविष्य में वे कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय आदि की वास्तविक मांग भर्जें। चूंकि लेखापरीक्षा ने केवल नमूना-जांच की है, एच.एस.एस.पी.पी. को उन सभी मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जहां कार्य की स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्राप्त नहीं हुए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग को सभी स्वीकृत कार्यों का एक डाटाबेस रखना चाहिए और सभी कार्यों की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए। चूंकि बड़ी संख्या में कार्य होते हैं, इसलिए विभाग निधियों की ऑनलाइन निगरानी, निधियों के उपयोग, पूर्णता स्थिति और निधि के उपयोग की प्रगति करने पर विचार करे।

3.16.2.4 पूरे किए गए बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं करना

50 नमूना-जांच किए गए स्कूलों में आर.एम.एस. ए. के अंतर्गत 2010-18 के दौरान बनाए गए बुनियादी ढांचे के सत्यापन से पता चला कि जिस परियोजन के लिए बुनियादी ढांचे को बनाया गया था, उसका उपयोग सभी स्कूलों में नहीं किया जा रहा था। इसका विवरण **परिशिष्ट 3.26** में दिया गया है। परिशिष्ट के डाटा विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि:

- (i) कुल 34 अतिरिक्त कक्षाओं (ए.सी.आर.) का निर्माण किया गया, केवल 24 ए.सी.आर. का उपयोग शिक्षण के लिए किया गया तथा 10 ए.सी.आर. का उपयोग अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था।
- (ii) निर्मित 19 पुस्तकालय कक्षों में से केवल 14 कमरों का उपयोग पुस्तकालयों के रूप में किया जा रहा था और शेष पांचों का किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि इन कमरों में फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था, पंखे, आदि नहीं थे।
- (iii) निर्मित 15 विज्ञान प्रयोगशालाओं में से केवल 10 प्रयोगशालाओं का उपयोग किया गया था और पांच प्रयोगशालाएं खाली पड़ी थीं। इनमें से किसी भी प्रयोगशाला में स्लैब और अलमारी नहीं थे।
- (iv) निर्मित 22 कला और शिल्प कक्षों में से चार कमरों का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा था और वे खाली पड़े थे।

एच.एस.एस.पी.पी. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि ए.सी.आर. का निर्माण मानदंडों के अनुसार किया गया था, लेकिन शिक्षकों की कमी और छात्रों की भर्ती में कमी के कारण नमूना-जांच किए

गए स्कूलों में इनका उपयोग नहीं किया जा सका। पुस्तकालय कक्ष और विज्ञान प्रयोगशालाओं के कक्षों के उपयोग के संबंध में, यह बताया गया था कि फर्नीचर की अनुपलब्धता और शिक्षकों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण इन कमरों का उपयोग नहीं किया जा सका था। यह आगे बताया गया कि सभी संबंधितों को भविष्य में आवश्यकता के अनुसार बुनियादी ढांचे की मांग भेजने के निर्देश जारी किए गए थे। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, एस.पी.डी. ने एच.एस.एस.पी.पी. के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी स्कूलों में ऐसे मुद्दों की पहचान करें क्योंकि लेखापरीक्षा में केवल कुछ स्कूलों की नमूना-जांच की गई है। उत्तर यही दर्शाता है कि **मूलभूत संरचना वास्तविक अपेक्षिताएं निर्धारित किए बिना सृजित की गई परिणामतः मूलभूत संरचना का कम अनुप्रयोग हुआ।**

3.16.2.5 चूककर्ताओं से निधियों की वसूली न होना

वर्ष 2011-12 के दौरान जी.एस.एस.एस., मुस्तफाबाद (यमुनानगर) में 11 कमरों के निर्माण के लिए ₹ 38.24 लाख की निधियां जारी की गई थीं। प्रधानाचार्यों ने पूरी निधियां समाप्त कर दी तथा पूरी राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए परन्तु केवल छः कमरे पूर्ण किए गए। शेष पांच कमरे अपूर्ण रहे (फरवरी 2018) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



चूंकि सभी निधियों का उपयोग करने के बावजूद निर्माण कार्य अधूरे रहे, अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता वाली तकनीकी टीम द्वारा कार्य का मूल्यांकन किया गया (नवंबर 2015), जिसमें तत्कालीन प्रधानाचार्यों में से दो से ₹ 12.30 लाख की वसूली की सिफारिश की गई। जिला शिक्षा अधिकारी (डी.ई.ओ.) ने इन प्रधानाचार्यों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई थी तथा ए.सी.एस., स्कूल शिक्षा विभाग, एस.पी.डी., एच.एस.एस.पी.पी., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा और ए.डी.सी.-सह-अध्यक्ष एस.एस.ए./आर.एम.एस.ए. यमुनानगर के समक्ष समय-समय पर मामला लाने के बावजूद वसूली नहीं की गई थी (अप्रैल 2016-जून 2018)।

एच.एस.एस.पी.पी. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी को नियुक्त किया गया था और जांच रिपोर्ट मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए एक यंत्रावली विकसित करने पर विचार करें।

3.16.2.6 निधियों का संदिग्ध गबन

(i) जी.एस.एस.एस., जिला नूंह के पुन्हाना ब्लॉक में जेठाना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि शटरिंग सामग्री को किराए पर खरीदने के लिए एक ही बिल (संख्या 805) की फोटोकॉपी का उपयोग करके 1.49⁸⁷ लाख का भुगतान किया गया था। यह ₹ 1.49 लाख के संदिग्ध गबन के समान था।

एच.एस.एस.पी.पी. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से भुगतान किए गए हैं। एक बिल की फोटोकॉपी गलती से फाइलों में चिपका दी गई थी और यह भी आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान बिना सत्यापन के और मूल बिल प्रस्तुत किए बिना ही किया गया था।

(ii) डी.पी.सी., यमुनानगर के कार्यालय में, जुब्बल गांव, रादौर की ईट फर्म के मालिक को प्रधान जी.एस.एस.एस., मुस्तफाबाद द्वारा ईट की खरीद के लिए एक ही बिल संख्या 629 दिनांक 23 जनवरी 2013 के लिए वाउचर संख्या 134 और वाउचर संख्या 173 के द्वारा दोहरा भुगतान किया गया था। यह ₹ 54,000 के संदिग्ध गबन को दर्शाता है।

एच.एस.एस.पी.पी. ने कहा (अक्टूबर 2018) कि जांच अधिकारी को इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया था और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

राज्य सरकार निधियों के दुर्विनियोजन से बचाव के लिए वाउचरों के पुनः प्रयोग को रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित करने पर विचार करें।

3.16.2.7 व्यावसायिक शिक्षा स्कीम

हरियाणा में 8 जिलों⁸⁸ के 40 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एन.वी.ई.क्यू.एफ.) पर एक पायलट परियोजना आरंभ की गई थी (सितंबर 2012)। वर्ष 2017-18 तक इसे 3,276 स्कूलों में से 1,001 स्कूलों में कार्यान्वित किया गया था। स्कीम के उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और वैश्विक बाजार के लिए शिक्षित रोजगार परक और प्रतिस्पर्धी मानव संसाधनों को तैयार करना था।

पी.ए.बी. ने वी.ई. के अंतर्गत विभिन्न कौशल⁸⁹ के लिए 511 पृथक कार्यशाला/ प्रयोगशालाओं की स्थापना को अनुमोदित किया तथा 2012-16 की अवधि के दौरान 486 प्रयोगशालाओं के लिए ₹ 35.51 करोड़⁹⁰ की निधि प्राप्त हुई। वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान वी.ई. के अंतर्गत

⁸⁷ वाउचर संख्या 4 दिनांक 4 फरवरी 2015: ₹ 0.26 लाख; वाउचर संख्या 4 दिनांक 4 फरवरी 2015: ₹ 0.27 लाख और वाउचर संख्या 4 दिनांक 08 मई 2015: ₹ 0.96 लाख।

⁸⁸ गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, झज्जर, रोहतक, अंबाला और यमुनानगर।


⁸⁹ आई.टी./आई.टी.जी-103, रिटेल-18, सुरक्षा-17, ऑटोमोबाइल-44, रोगी देखभाल सहायता-141 और सौंदर्य और कल्याण-188

⁹⁰ जनवरी 2013 से जुलाई 2014 के दौरान 2012-13 के लिए ₹ 12.18 करोड़; जुलाई 2014 में 2013-14 के लिए ₹ 7.54 करोड़; अक्टूबर 2014 में 2014-15 के लिए ₹ 7.26 करोड़ और दिसंबर 2015 से सितंबर 2016 के दौरान 2015-16 के लिए ₹ 8.53 करोड़।

28 नमूना-जांच किए गए स्कूलों (50 में से) में, 56 कौशल⁹¹ (प्रत्येक स्कूल में दो) के पाठ्यक्रम आरंभ किए गए थे। तथापि, पहले से मौजूद आई.सी.टी. प्रयोगशालाओं के माध्यम से आई.टी./आई.टी.ई. में भर्ती छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

प्रयोगशालाओं के निर्माण और उपयोग में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियां अवलोकित की:

(i) **प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं के निर्माण कार्य को पूरा न करना:** वर्ष 2012-13 के दौरान स्वीकृत सभी 80 प्रयोगशालाएं पूरी हो गई थीं लेकिन बाद में स्वीकृत कार्यों की प्रगति बहुत धीमी थी। फरवरी 2018 तक वर्ष 2013-16 की अवधि के लिए प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं की वर्षवार स्थिति निम्नलिखित चार्ट में दी गई है:



जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, वर्ष 2013-16 के दौरान 406 प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं जिनके लिए निधियां प्राप्त हुई थी, उनमें से केवल 194 पूरे हुए थे, 72 का काम प्रगति पर था और 140 का काम शुरू भी नहीं हुआ था।

नमूना-जांच किए गए 28 (50 में से) स्कूलों में यह स्कीम प्रारंभ की गई थी तथा 15⁹² प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य अनुमोदित किया गया। इन 15 प्रयोगशालाओं में से 12 प्रयोगशालाओं के निर्माण कार्य पूरे हो चुके थे तथा तीन⁹³ प्रयोगशालाओं का काम शुरू नहीं हुआ था। 12 पूर्ण प्रयोगशालाओं में से, नौ प्रयोगशालाएं कार्यात्मक थीं और शेष तीन पूर्ण आई.टी./आई.टी.ई प्रयोगशालाएं कंप्यूटर की खरीद नहीं होने के कारण अभी तक कार्यात्मक नहीं की गई थीं।

⁹¹ आई.टी./आई.टी.ई-18, ऑटोमोबाइल-5, रिटेल-5, ब्यूटी एंड वेलनेस-5, एग्रीकल्चर-4, पेशेंट केयर असिस्टेंट-7, सिक्योरिटी-5, फिजिकल एजुकेशन-5, बैंकिंग-1, अपैरल फैशन डिजाइनर-1

⁹² आई.टी./आई.टी.ई.-4, रिटेल -01, ऑटोमोबाइल -02, ब्यूटी एंड वेलनेस -03, और पी.सी.ए. -05

⁹³ आई.टी./आई.टी.ई.-01 और पी.सी.ए -02

इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बावजूद तथा पी.ए.बी. के अनुमोदन के 24 से 48 महीने बीतने के बाद भी पृथक प्रयोगशालाएं/कार्यशालाएं सृजित करने की स्कीम का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

एच.एस.एस.पी.पी. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि जो प्रयोगशालाएं प्रगति पर हैं वे तीन माह के भीतर पूर्ण हो जाएंगी। 140 प्रयोगशालाएं, जिन्हें शुरू नहीं किया था के बारे में यह बताया गया कि 2015-16 में 85 प्रयोगशालाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, लेकिन कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई थी और शेष 55 प्रयोगशालाओं के लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों को (सितंबर 2017) प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए कहा गया। इस प्रकार निधियों की उपलब्धता के बावजूद विशेषज्ञ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार कार्यात्मक प्रयोगशालाएं बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया तीव्र करने पर विचार करे।

(ii) पूर्ण आई.टी./आई.टीईज प्रयोगशालाएं/कार्यशालाएं उपयोग में नहीं ली गई: वर्ष 2012-13 में जिन 80 प्रयोगशालाओं के लिए निधियां प्राप्त की गई थी, उनमें से 40 सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आई.टी./आई.टीईज) के लिए थीं। नवंबर 2014 में इन प्रयोगशालाओं का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। इन प्रयोगशालाओं को कंप्यूटर एवं संबंधित वस्तुएं प्रदान करके कार्यात्मक बनाने के लिए 2013-14 में उत्कर्ष⁹⁴ सोसायटी के माध्यम से 40 स्कूलों को ₹ 2.20 करोड़ की निधियां हस्तांतरित की गईं। बाद में सभी 40 स्कूलों ने इन निधियों को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हारट्रोन) को हस्तांतरित कर दिया (दिसंबर-2014-जनवरी 2015)। तत्पश्चात्, एच.एस.एस.पी.पी. ने प्रयोगशालाओं की संख्या को 40 से बढ़ाकर 182 कर दिया और फरवरी 2015 और अगस्त 2016 के मध्य हारट्रोन के पास ₹ 8.72 करोड़ की अतिरिक्त राशि जमा कर दी। ₹ 10.92 करोड़ की निधियां हारट्रोन के पास अप्रयुक्त पड़ी थीं। एच.एस.एस.पी.पी. ने अगस्त 2015 में और फिर दिसंबर 2017 में इंडेंटेड स्पेसिफिकेशंस को संशोधित किया। इसके बाद, एच.एस.एस.पी.पी. ने इस मामले का उचित रूप से अनुसरण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इन आई.टी./आई.टीईज प्रयोगशालाओं में कंप्यूटर प्रतिस्थापित नहीं किए जा सके और ₹ 10.92 करोड़ की निधियां हारट्रोन के पास अनुप्रयुक्त पड़ी थीं।

पी.ए.बी. के अनुमोदन (2012-13) के अनुसार, आई.टी. प्रयोगशालाओं को जेनरेटिंग सैट्स द्वारा संचालित किया जाना था। एच.एस.एस.पी.पी. ने निर्णय लिया (मई 2014) कि डीजल जेनरेटिंग सैट्स खरीदने के बजाय हरियाणा रिन्यूवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (हरेड़ा) से 'सौर पावर प्लांटस' खरीदे जाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए ₹ 80 लाख की निधियां (2013-14) उत्कर्ष सोसायटी को हस्तांतरित कर दी गईं। यह निधियां उत्कर्ष सोसायटी द्वारा एच.एस.एस.पी.पी. (दिसंबर

⁹⁴ हरियाणा में यूज ऑफ टेक्नोलोजी फॉर नॉलेज एडवांसमेंट और री-ओरिएंटेशन ऑफ स्टडीज के रूप में सोसाइटीज एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी।

2014) को यह बताते हुए वापस कर दी गई थी कि खरीद एच.एस.एस.पी.पी. द्वारा की जानी चाहिए। एच.एस.एस.पी.पी. ने 140 स्कूलों में सौर प्रणाली की प्रस्थापना के लिए फिर से जुलाई 2017 में ₹ 2.80 करोड़ (₹ 2 लाख प्रति स्कूल) उत्कर्ष सोसायटी को जमा किए। तत्पश्चात, सौर ऊर्जा संयंत्रों की खरीद के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था और ₹ 2.80 करोड़ की निधि उत्कर्ष सोसायटी के पास अप्रयुक्त पड़ी थी (दिसंबर 2018)।

इस प्रकार, प्रयोगशालाओं के निर्माण, प्रिंटर, कंप्यूटर टेबल और कुर्सियों और यूनिकोड सॉफ्टवेयर के निर्माण पर ₹ 4.99 करोड़⁹⁵ का भारी व्यय होने के बावजूद, कंप्यूटरों की खरीद न होने के कारण इनमें से किसी भी प्रयोगशाला का प्रयोग नहीं किया गया था और सामान बेकार पड़ा था।



इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए (मार्च 2011) निर्देशों के अनुसार, हार्ट्रोन और उत्कर्ष सोसायटी को अप्रयुक्त निधियों पर छमाही आधार पर प्रतिवर्ष छः प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना था। तथापि, दिसंबर 2018 तक न तो ₹ 2.35 करोड़⁹⁶ के ब्याज का भुगतान हार्ट्रोन और उत्कर्ष सोसायटी द्वारा किया गया था और न ही एच.एस.एस.पी.पी. द्वारा इसके लिए कोई मांग की गई थी।

एच.एस.एस.पी.पी. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि निदेशक, आपूर्ति और निपटान द्वारा दर अनुबंध को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप हार्ट्रोन द्वारा कंप्यूटर और संबंधित वस्तुओं को नहीं खरीदा जा सका।

यह इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि अंतिम रूप देने में विलंब, दिसंबर 2014 से एच.एस.एस.पी.पी. द्वारा बार-बार विनिर्देशों में परिवर्तन/दरों में संशोधन के कारण हुआ। उत्कर्ष सोसायटी के पास ₹ 2.80 करोड़ की बकाया राशि के संबंध में यह बताया गया था कि सोसायटी को ब्याज सहित राशि रिफंड करने के लिए कहा गया है।

परियोजना निष्पादन में बेहतर समन्वय के लिए टर्नकी आधार पर परियोजना के आबंटन पर सरकार विचार करे ताकि निर्मित प्रयोगशालाएं अविलंब सुसज्जित की जा सकें।

⁹⁵ प्रयोगशालाओं का निर्माण: ₹ 3.90 करोड़ (सितंबर 2014 से मई 2015), कंप्यूटर टेबल और कुर्सी की खरीद: ₹ 0.65 करोड़ (मार्च 2014) प्रिंटर: ₹ 0.09 करोड़ (दिसंबर 2014) और यूनिकोड सॉफ्टवेयर: ₹ 0.35 करोड़ (दिसंबर 2017)।

⁹⁶ हार्ट्रोन: ₹ 2.08 करोड़ और उत्कर्ष सोसायटी: ₹ 0.27 करोड़।

3.16.2.8 बालिका छात्रावासों का कार्यात्मक न होना

शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (ई.बी.बी.) में आवास और बोर्डिंग सुविधाओं के साथ छात्रावास प्रस्थापित करने के लिए भारत सरकार ने बालिका छात्रावास स्कीम शुरू की (2008-09)। राज्य में 36 ई.बी.बी. थे (परिशिष्ट 3.27)। भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 में 18 बालिका छात्रावासों तथा वर्ष 2014-15 में आरोही मॉडल स्कूल⁹⁷ में 18 और छात्रावासों का निर्माण अनुमोदित किया। मार्च 2018 तक, एच.एस.एस.पी.पी. ने जनवरी 2015 और अगस्त 2016 की अवधि के दौरान 36 बालिका छात्रावासों में से 31 को पूरा किया था। पूरे किए गए 31 छात्रावासों में से केवल दो छात्रावास अर्थात् जींद जिले में खीरी साफा और फुलिया खुर्द में कार्यात्मक बनाए गए। ₹ 47.18 करोड़ की लागत से निर्मित शेष 29 छात्रावास पूर्ण होने के 19-38 महीने बीतने के बाद भी कार्यात्मक नहीं थे। एच.एस.एस.पी.पी. फर्नीचर, रसोई के उपकरण, बिस्तर, चौकीदार, वार्डन आदि जैसी बुनियादी पूर्व-आवश्यकताएं प्रदान करने में विफल रहा। कैथल और सिरसा के नमूना-जांच किए गए जिलों में वर्ष 2016-17 में 327 लड़कियों ने और वर्ष 2017-18 में 318 लड़कियों ने छात्रावास में रहने के लिए इच्छा प्रस्तुत की थी, परन्तु ये लड़कियां स्कीम के लाभों से वंचित रह गईं।

एच.एस.एस.पी.पी. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि छात्रावास को कार्यात्मक बनाने में विलंब भारत सरकार द्वारा निधि जारी न करने के कारण हुआ। एच.एस.एस.पी.पी. ने आगे बताया कि 10 छात्रावासों के लिए अब फर्नीचर और साज-सज्जा प्रदान कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही चालू कर दिए जाएंगे तथा अन्य छात्रावासों को भी चरणबद्ध तरीके से कार्यात्मक बनाया जाएगा। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2014-15 के दौरान अनुमोदित 18 कन्या होस्टलों में निधियों की द्वितीय किश्त धीमी भौतिक प्रगति और पहले अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण निर्मुक्त नहीं की गई थी।

सरकार छात्राओं को रहने एवं खाद्य प्रदान करने के लिए फर्नीचर एवं सज्जा की खरीद की प्रक्रिया को तीव्र करने पर विचार करे।

3.16.2.9 आई.सी.टी. प्रयोगशालाओं की खराब/असंतोषजनक कार्यप्रणाली

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) (दिसंबर 2004 में शुरू की गई) स्कीम के अंतर्गत माध्यमिक चरण के छात्रों को आई.सी.टी. कौशल पर अपनी क्षमता बनाने तथा कंप्यूटर सहायतित सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से सिखाने के अवसर प्रदान किए जाने थे। हरियाणा में, 2,617 स्कूलों को आई.सी.टी. प्रयोगशालाएं प्रदान की गईं।

नमूना-जांच किए गए 42 (50 में से) स्कूलों में आई.सी.टी. प्रयोगशालाएं मौजूद थीं। केवल 14 (33 प्रतिशत) स्कूलों में प्रयोगशालाएं पूरी तरह कार्यात्मक थीं, तीन स्कूलों में प्रयोगशालाएं कार्यात्मक नहीं थीं और 25 स्कूलों में, ये आंशिक रूप से कार्यात्मक थीं, क्योंकि 829 कंप्यूटरों में

⁹⁷ प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, बाल केन्द्रित सह-शिक्षा विद्यालय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

से केवल 522 कंप्यूटर (परिशिष्ट 3.28) कार्यात्मक थे। जबकि, 42 जेनसेट्स में से 15 स्कूलों में जेनसेट्स कार्यात्मक थे और 27 स्कूलों में वे कार्यात्मक नहीं थे। इस प्रकार, इन स्कूलों के छात्र बिजली न होने की स्थिति में कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा से वंचित थे।

इसके अतिरिक्त, जनवरी/फरवरी 2017 में हारट्रोन द्वारा संचालित आई.सी.टी. स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए कंप्यूटर और संबद्ध वस्तुओं के तकनीकी मूल्यांकन से पता चला है कि राज्य के 427 स्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम कार्यशील नहीं थे। अकार्यशील कंप्यूटरों की मरम्मत करने या बदलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (जून 2018)।

एच.एस.एस.पी.पी. (अक्टूबर 2018) ने बताया कि 2,617 सरकारी हाई/सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में आई.सी.टी. प्रयोगशालाओं की आपूर्ति, प्रस्थापना और रख-रखाव से संबंधित कार्य एक कंपनी को आबंटित किया गया था, लेकिन सेवाओं में चूक के कारण, करार समाप्त कर दिया गया (अप्रैल 2014) तथा कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। कंपनी ने मई 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निरस्तगी और ब्लैकलिस्टिंग को चुनौती दी। माननीय न्यायालय ने आदेशों पर रोक लगा दी है। मामला उप-न्यायिक होने के कारण विभाग 2,617 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की मरम्मत और रख-रखाव करने में असमर्थ था।

लेखापरीक्षा का मत है कि चूंकि रोक फर्म की निरस्तगी और ब्लैकलिस्टिंग पर थी, इसलिए छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए अकार्यशील कंप्यूटरों की मरम्मत या बदलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

3.16.3 मानव संसाधन विकास

3.16.3.1 शिक्षकों की असमान तैनाती

मार्च 2018 तक, पी.जी.टी. के 37,691 स्वीकृत पदों में से, 14,280 पद (38 प्रतिशत) खाली थे। आर.एम.एस.ए. दिशानिर्देशों के अनुसार आदर्श छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 है। राज्य में छात्र-शिक्षक अनुपात 26.69:1 संतोषजनक था जो यह दर्शाता है कि भर्ती छात्रों के लिए शिक्षक पर्याप्त संख्या में थे।


स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने कर्मचारियों के मध्य नौकरी की संतुष्टि अधिकतम करने के लिए शिक्षकों/प्रमुखों का समान, मांग आधारित वितरण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक स्थानांतरण नीति -2016 लागू की। यद्यपि यह एक न्यायोचित और पारदर्शी नीति थी, फिर भी यह राज्य भर में शिक्षकों का समान वितरण सुनिश्चित नहीं कर सकी जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- जिलों में छात्र-शिक्षक अनुपात में भिन्नता थी जैसा कि परिशिष्ट 3.29 में दिया गया है। परिशिष्ट के आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि छात्र-शिक्षक अनुपात राज्य के पिछड़े क्षेत्रों, विशेष रूप से मेवात, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में बहुत (36.2 और 44 के मध्य) अधिक था,

जो कि आई.एम.एस.ए. के अंतर्गत विशेष ध्यान देने वाले जिले भी थे। दूसरी ओर, रोहतक, झज्जर और पंचकूला में यह कम (17.08 और 20.79 के मध्य) था, जो यह दर्शाता है कि शिक्षकों की तैनाती पिछड़े क्षेत्रों में आवश्यकता से कम और रोहतक, झज्जर और पंचकूला जिलों में आवश्यकता से अधिक थी।

पांच जिलों⁹⁸ में, 8,084 शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध, 4,013 शिक्षक तैनात थे और 4,071 पद (50 प्रतिशत) खाली थे। इन जिलों में रिक्ति की स्थिति अधिक थी अर्थात् राज्य में शिक्षकों की कुल रिक्ति 38 प्रतिशत के विरुद्ध 50 प्रतिशत थी।

• छात्र-शिक्षक अनुपात के स्कूल-वार विश्लेषण से प्रकट हुआ कि अनुपात में व्यापक भिन्नताएं प्रकट हुईं जैसा कि नीचे चार्ट में चित्रित है:



जैसा कि ऊपर देखा गया है, 325 स्कूलों (लगभग 10 प्रतिशत) में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक⁹⁹ तैनात नहीं किए गए थे। इन स्कूलों में पी.जी.टी. के 2,128 स्वीकृत पद थे।


77 स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 100 से अधिक था। विज्ञान विषयों में अर्थात् गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में 11,333 पदों की स्वीकृत पदों के विपरीत, 5,698 भरे गए थे और 5,635 (50 प्रतिशत) पद रिक्त थे। विज्ञान से संबंधित विषयों के शिक्षकों की जिलेवार रिक्ति की स्थिति एक मानचित्र (परिशिष्ट 3.30) में दर्शाई गई है।

जिलों में रिक्ति की स्थिति में व्यापक भिन्नताएं थीं, यह फतेहाबाद, नूंह (मेवात) और कैथल जिलों के पिछड़े क्षेत्रों में 71 से 85 प्रतिशत के मध्य था, जबकि रिक्ति की स्थिति पंचकूला, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में बहुत कम थी और राज्य में 50 प्रतिशत की औसत रिक्ति स्थिति के मुकाबले 21 से 34 प्रतिशत के मध्य थी।

⁹⁸ अंबाला, फतेहाबाद, मेवात, सिरसा और यमुनानगर।

⁹⁹ टी.जी.टी. (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) एक स्नातक है जो 10वीं कक्षा तक पढ़ाने में प्रशिक्षित है। पी.जी.टी. (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) एक पोस्ट ग्रेजुएट है जिसे 12वीं कक्षा तक पढ़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

10¹⁰⁰ ज़िलों में ज़िलों का क्षेत्र सात ज़ोन में विभाजित किया गया था अर्थात् ज़ोन-1 में जिला मुख्यालय (मुख्यालय) के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित स्कूल; ज़ोन -2: नगरपालिका क्षेत्र की बाहरी सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर स्थित; ज़ोन-3: ब्लॉक मुख्यालय में स्थित; ज़ोन-4: जिला मुख्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के बाहर 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के मध्य राज्य राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्कूल; ज़ोन-5: ब्लॉक मुख्यालय के पांच किलोमीटर के भीतर स्थित स्कूल; ज़ोन -6: ब्लॉक मुख्यालय के पांच से दस किलोमीटर के मध्य स्थित स्कूल; ज़ोन-7: सबसे दूर स्थित और उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न किए गए शेष सभी स्कूल। तथापि, शेष 11 जिलों में, जिलों को भी 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, लेकिन जिलेवार ज़ोनिंग मानदंड अलग थे (*परिशिष्ट 3.31*)। राज्य में क्षेत्रवार रिक्ति की स्थिति नीचे चार्ट में दी गई है:



जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, ज़ोन-1 से लेकर ज़ोन-7 के स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां आरोही क्रम में हैं जो दर्शाता है कि शिक्षकों को जिला और ब्लॉक मुख्यालयों के पास तैनात किया गया था और जिलों के सबसे दूर के क्षेत्रों में शिक्षकों की तैनाती बहुत कम थी।

इस प्रकार, शिक्षकों की तैनाती बेहद विषम थी, अधिकांश रिक्तियां पिछड़े जिलों में तथा जिला और ब्लॉक मुख्यालय से सबसे दूर के क्षेत्रों में थीं।

एच.एस.एस.पी.पी. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि पी.जी.टी. की भर्ती के लिए मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी और स्कूलों के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षकों की भर्ती/समायोजन के प्रयास किए जा रहे थे।

¹⁰⁰ (i) अंबाला (ii) जींद (iii) कैथल (iv) करनाल (v) कुरुक्षेत्र (vi) महेन्द्रगढ़ (vii) पलवल (viii) पंचकुला (ix) पानीपत तथा (x) रोहतक।

3.16.3.2 सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए विशेष शिक्षकों की कमी

आई.एस.एस. स्कीम माध्यमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) के लिए विशेष शिक्षकों के लिए प्रावधान करती है। पांच सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए एक विशेष शिक्षक प्रदान किया जाना था। विशेष शिक्षक द्वारा माता-पिता को परामर्श प्रदान करने, विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाने थे। यह स्कीम एक या एक से अधिक विकलांगता अर्थात् अंधापन, कम दृष्टि, उपचारित आदि कुष्ठ रोग, श्रवण दोष, लोकोमोटर, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, आत्मकेंद्रित, मस्तिष्क पक्षाघात वाले माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सम्मिलित करने के लिए थी। एक सामान्य स्कूल में विविधताओं की व्यापक देखभाल करने के लिए एकल विकलांगता में योग्यता वाले शिक्षक को अन्य विकलांगता क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए प्रोत्साहित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2013-18 के दौरान विभिन्न वर्षों में 4,483 और 6,952 के बीच सी.डब्ल्यू.एस.एन. छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की 897 से 1,390 की आवश्यकता के विरुद्ध पूरी अवधि के दौरान स्वीकृत पद 435 रहे, यह भी भरे नहीं गए थे। 224 और 111 के मध्य रिक्तियां बनी रहीं। 1:5 के आदर्श अनुपात के विपरीत, सी.डब्ल्यू.एस.एन. के लिए वर्ष 2013-18 के दौरान विशेष शिक्षकों का अनुपात 1:16 और 1:33 के मध्य रहा।

जहां स्कीम में वर्णित किसी भी विकलांगता वाले छात्रों को स्कूलों में भर्ती किया गया था, विशेष शिक्षकों को केवल तीन विकलांगताओं अर्थात् बहरे, दृष्टिहीन और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए भर्ती किया गया था, इसके अलावा, चयनित जिलों में अन्य विकलांगता वाले छात्रों को संभालने के लिए विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था।

एच.एस.एस.पी.पी. ने बताया (अक्टूबर 2018) कि स्कीम के अंतर्गत विशेष शिक्षकों की कमी होने के कारण, सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत काम करने वाले 147 विशेष शिक्षकों की सेवाएं भी दिसंबर 2012 से ले ली गई थीं। संसाधन केन्द्रों पर पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को ये संसाधन शिक्षक संसाधन संबल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2018-19 का बजट अनुमोदित करते हुए, भारत सरकार ने आई.ई.डी.-एस.एस. के अंतर्गत काम करने वाले विशेष शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना अनुमोदित किया है और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

सरकार शिक्षकों की पर्याप्त संख्या के बिना स्कूलों को कवर करने के लिए ऑन-लाइन शिक्षा तकनीक अपनाने पर विचार करे। सरकार सी.डब्ल्यू.एस.एन. को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी करे।

3.16.4 निष्कर्ष

कुछ स्कूलों में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता में कमी थी। एच.एस.एस.पी.पी. द्वारा कम निगरानी और भारत सरकार द्वारा निधियों की निर्मुक्ति न करने के कारण निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति हुई। 2013-16 के दौरान आवश्यकता का आकलन किए बिना निधियां जारी करने, चूककर्ताओं से वसूली न करने और संदिग्ध गबन के मामले थे। व्यावसायिक शिक्षा स्कीम के अंतर्गत, 2013-16 के दौरान 406 प्रयोगशालाओं के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल 194 को पूर्ण किया गया था। ₹ 10.92 करोड़ और ₹ 2.80 करोड़ की निधि क्रमशः कंप्यूटर और सौर प्रणाली की खरीद न होने के कारण हारट्रोन और उत्कर्ष सोसाइटी के पास अनुप्रयुक्त पड़ी थी, ₹ 47.18 करोड़ की लागत से निर्मित 29 गर्ल्स हॉस्टल अनुप्रयुक्त पड़े थे। राज्य में शिक्षकों की तैनाती समान नहीं थी, क्योंकि छात्र-शिक्षक अनुपात पिछड़े क्षेत्रों में अधिक था, जबकि यह जिला/ब्लॉक मुख्यालय के नजदीक स्थित स्कूलों में कम था।

इन बिंदुओं को जुलाई 2018 में राज्य सरकार को भेजा गया था; तथा आगामी स्मरण-पत्र जनवरी 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

3.17 वित्तीय पर्याप्तता का आकलन किए बिना लाइसेंस की प्रदानगी

वित्तीय पर्याप्तता का आकलन किए बिना दो कॉलोनाइजर को लाइसेंस प्रदान करने में अदेय लाभ के कारण ₹ 180.58 करोड़ के सरकारी प्राप्त्य धन लंबित रहे।

हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों के विनियमन अधिनियम, 1975 (अधिनियम) की धारा 3, महानिदेशक (डी.जी.), नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (टी.सी.पी.डी.) को कॉलोनियां विकसित करने के लिए कॉलोनाइजर्स को लाइसेंस देने के लिए अधिकृत करती है। टी.सी.पी.डी. दिशानिर्देश (अप्रैल 2012) के अनुसार, लाइसेंस प्रदानगी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, एक कॉलोनाइजर कंपनी (सहयोगी या अन्यथा) की भुगतान की गई प्रदत्त पूंजी संवीक्षा शुल्क¹⁰¹, रूपांतरण शुल्क¹⁰², लाइसेंस शुल्क और लागू क्षेत्र के लिए संपूर्ण मूलभूत संरचना विकास शुल्क (आई.डी.सी.) की 25 प्रतिशत राशि, के बराबर होनी चाहिए। नियम 10 के अंतर्गत लागू लाइसेंस शुल्क के शेष 75 प्रतिशत को लेटर आफ इंडेंट की प्रदानगी के बाद पूंजी के रूप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन लाइसेंस जारी करने से पहले। लाइसेंस जारी करने से पहले डी.जी., टी.सी.पी.डी. द्वारा कॉलोनाइजर्स की वित्तीय पर्याप्तता का आकलन करने की आवश्यकता होती है।

क. महानिदेशक, टी.सी.पी.डी. के कार्यालय में अभिलेखों के नमूना-जांच (जुलाई 2017) के दौरान यह पाया गया कि सेंट पेट्रिक्स रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) ने आवासीय प्लॉट

¹⁰¹ भूमि के स्वामित्व, कॉलोनी को विकसित करने की क्षमता और कॉलोनी के ले-आउट प्लान के लिए शुल्क के रूप में लाइसेंस आवेदन के साथ स्कूटनी शुल्क प्राप्त होता है।

¹⁰² रूपांतरण शुल्क कॉलोनी के विकास के लिए भूमि के मौजूदा उपयोग को बदलने की अनुमति देने के लिए शुल्क लिया जाता है।

कॉलोनी (आर.पी.सी.) 109.35 एकड़ के क्षेत्र में तथा जिला गुरुग्राम के धूनेला और बेरका गांवों में 10.93 एकड़ क्षेत्र में एक ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी (जी.एच.सी.) के विकास के लिए दो लाइसेंसों के लिए (नवंबर 2012) आवेदन किया था।

अप्रैल 2012 के दिशानिर्देशों और डी.जी., टी.सी.पी.डी. के आकलन के आधार पर, कंपनी के पास एल.ओ.आई. के लिए ₹ 34 करोड़ और लाइसेंस के लिए ₹ 45 करोड़¹⁰³ की प्रदत्त पूंजी होना आवश्यक था। लेकिन कंपनी के पास केवल ₹ एक लाख की प्रदत्त पूंजी थी। डी.जी., टी.सी.पी.डी. ने दिसंबर 2013 में ₹ 39 करोड़ पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर को प्रदत्त पूंजी मानकर एल.ओ.आई. जारी किए। तत्पश्चात् जून और अगस्त 2014 में ₹ 39 करोड़ की पहले की राशि में ₹ छः करोड़ ब्याज मुक्त असुरक्षित ऋणों को जोड़कर 2014 की लाइसेंस संख्या 54 और 84 जारी की। महानिदेशक, टी.सी.पी.डी. की कार्रवाई त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 यह प्रावधान करती है कि किसी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर पूंजी और वरीयता शेयर पूंजी शामिल है। पूरी तरह से परिवर्तनीय डिबेंचर और असुरक्षित ऋण देयताएं हैं और इन्हें पूर्व निर्धारित अवधि में भुनाया जाना आवश्यक है। अतः उन्हें किसी कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

मई 2015 के बाद, कंपनी बाहरी विकास शुल्क (ई.डी.सी.) के भुगतान में चूक गई। लेकिन आर.पी.सी. के विकास के लिए दिसंबर 2016 में एक और लाइसेंस (2016 का 28) प्रदान किया गया। अप्रैल 2018 तक, कंपनी के विरुद्ध ₹ 160.86 करोड़¹⁰⁴ बकाया था, लेकिन अधिनियम की धारा 8 (2) के अंतर्गत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में लाइसेंस रद्द करने और विभागीय शुल्कों की वसूली के लिए धारा 8 (1)¹⁰⁵ के अंतर्गत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। महानिदेशक, टी.सी.पी.डी. ने लेखापरीक्षा द्वारा मामले को इंगित किए जाने के बाद ही मई 2018 में अधिनियम की धारा 8 (1) के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया था।

ख. इसी प्रकार, गांव पटला और नांगल कलां, जिला सोनीपत में 10.02 एकड़ क्षेत्र में जी.एच.सी. प्रस्थापित करने के लिए एक अन्य कंपनी टी.डी.आई. मेंशन प्राइवेट लिमिटेड को

103

₹ करोड़ में

आवश्यक पूंजी का भुगतान	एल.ओ.आई. जारी करने से पहले					लाइसेंस से पहले	
	संवीक्षा शुल्क	लाइसेंस शुल्क का 25 प्रतिशत	रूपांतरण शुल्क	आई.डी.सी.	कुल	लाइसेंस शुल्क का 75 प्रतिशत	कुल
जी.एच.सी. (2014 का लाइसेंस नंबर 84) (10.93 एकड़)	0.08	0.42	0.57	3.57	4.64 (पूर्ण किया गया 5.00)	1.27	5.91 (पूर्ण किया गया 6.00)
आर.पी.सी. (2014 का लाइसेंस नंबर 54) (109.35 एकड़)	0.48	3.37	6.91	17.34	28.10 (पूर्ण किया गया 29.00)	10.11	38.21 (पूर्ण किया गया 39.00)

¹⁰⁴ लाइसेंस नंबर 54-ई.डी.सी.: ₹ 102.91 करोड़; लाइसेंस नंबर 84-ई.डी.सी.: ₹ 43.16 करोड़; लाइसेंस नंबर 28-ई.डी.सी.: ₹ 10.65 करोड़, आई.डी.सी.: ₹ 4.14 करोड़।

¹⁰⁵ यदि कॉलोनाइज़र लाइसेंस की शर्तों या अधिनियम या उसके प्रावधानों के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है; बशर्ते कि रद्द करने से पहले कॉलोनाइज़र को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

2016 की लाइसेंस संख्या 11 दी गई थी (अगस्त 2016)। महानिदेशक, टी.सी.पी.डी. ने अपेक्षित प्रदत्त पूंजी की गणना ₹ पांच करोड़ (कॉलोनाइजर कंपनी की वास्तविक प्रदत्त पूंजी के बराबर) की, जबकि अप्रैल 2012 के दिशानिर्देशों के अनुसार, लाइसेंस जारी करने के समय प्रदत्त पूंजी ₹ छः करोड़¹⁰⁶ होनी चाहिए थी। इस कॉलोनाइजर कंपनी के विरुद्ध ₹ 19.72 करोड़¹⁰⁷ का सरकारी बकाया था (अप्रैल 2018)। कॉलोनाइजर ने लाइसेंस प्राप्त होने के 20 महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी टी.सी.पी.डी. से कॉलोनी की सेवा योजना/अनुमान अनुमोदित नहीं करवाया। महानिदेशक, टी.सी.पी.डी. ने लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद ही मई 2018 में अधिनियम की धारा 8 (1) के अंतर्गत एक नोटिस जारी किया।

इस प्रकार, महानिदेशक, टी.सी.पी.डी. ने कॉलोनाइजरों को आवश्यक न्यूनतम प्रदत्त पूंजी मानदंड में छूट देकर लाइसेंस जारी करने में अनुचित लाभ प्रदान किया था, जिसके परिणामस्वरूप कॉलोनाइजरों द्वारा ई.डी.सी. के भुगतान पर ₹ 180.58 करोड़ की सीमा तक चूक थी। महानिदेशक, टी.सी.पी.डी. ने अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत लाइसेंस रद्द करने और विभागीय देयों की भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की थी।

संबंधित अधिकारी/अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए मामले की गहन जांच की आवश्यकता है।

मामला राज्य सरकार को मई, 2018 में भेजा गया था और आगामी स्मरण-पत्र जुलाई 2018 को जारी किया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2019)।

शहरी एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

3.18 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में राजस्व सृजन

चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ न करने, विकसित सैक्टरों में अनाबंटित संपदाओं की नीलामी के लिए अपर्याप्त प्रयासों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में राजस्व सृजन को बाधित किया। आबंटी लैंजरों का मिलान न होने से जालसाजी का पता नहीं चला, अधिग्रहित भूमि के समयबद्ध विकास के लिए परिपेक्ष्य स्कीम तैयार नहीं की गई। आगे, वर्धित भूमि मुआवजे की वसूली में विलंब, बाहरी विकास प्रभागों की वसूली न होना, पुनःगृहीत रखी गई संपत्तियों में व्यापार जारी रखना, पानी और सीवरेज प्रभागों की वसूली न होना और पेट्रोल पंप, शराब की दुकानों जैसी पट्टे की संपत्ति के संबंध में लंबित किराए ने एच.एस.वी.पी. में राजस्व सृजन को प्रभावित किया।

3.18.1 प्रस्तावना

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) का प्रतिस्थापन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों का एक स्कीमबद्ध तरीके से विकास के

¹⁰⁶ संवीक्षा फीस: ₹ 0.07 करोड़, लाइसेंस फीस: ₹ 1.96 करोड़, रूपांतरण प्रभार: ₹ 0.53 करोड़, आई.डी.सी.: ₹ 3.27 करोड़; अर्थात् कुल : ₹ 6.00 करोड़ (₹ 5.83 करोड़ से पूर्ण करने पर)

¹⁰⁷ लाइसेंस नंबर 11 - ई.डी.सी. ₹ 15.67 करोड़ और आई.डी.सी.: ₹ 4.05 करोड़।

लिए किया गया था। एच.एस.वी.पी. का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के विकास का प्रोत्साहन व सुरक्षा तथा आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा संस्थागत प्रयोजन से भूमि का अधिग्रहण, विकास और विक्रय करना है।

एच.एस.वी.पी. आवासीय प्लॉटों की बिक्री, वाणिज्यिक स्थलों और भवनों की नीलामी, कॉलोनाइजर से बाहरी विकास शुल्क की प्राप्ति आदि द्वारा पूंजीगत प्रकृति का राजस्व उत्पन्न करता है। राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटकों में भूमि और भवनों का किराया, जमाओं की जब्तगी, अनाधिकृत निर्माण/अनधिकृत रहने वाले, पर शुल्क और जुर्माना, बैंक जमा पर ब्याज, आदि हैं। मुख्य प्रशासक (सी.ए.) एच.एस.वी.पी. के समग्र प्रभारी हैं। वर्ष 2013-18 के दौरान एच.एस.वी.पी. की प्राप्ति और व्यय तालिका 3.15 में चित्रित है:

तालिका 3.15: वर्ष 2013-18 के दौरान एच.एस.वी.पी. की प्राप्ति और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्ति	व्यय	अधिशेष (+) / कमी (-)
2013-14	5,234	6,223	(-)989
2014-15	4,078	6,827	(-) 2,749
2015-16	3,432	4,483	(-)1,051
2016-17	3,177	3,909	(-) 732
2017-18	4,219	11,192	(-) 6,973
कुल	20,140	32,634	(-) 12,494

(स्रोत: एच.एस.वी.पी. द्वारा दी गई विवरणी)

₹ 20,140 करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध, वर्ष 2013-18 के दौरान ₹ 32,634 करोड़ का व्यय किया गया था। अंतर को बाजार ऋणों से पूरा किया जा रहा है।

मुख्य रूप से नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (टी.सी.पी.डी.) से बाहरी विकास शुल्क (ई.डी.सी.) की प्राप्ति में कमी भूमि के संवर्धित मुआवजे की वसूली में देरी, आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉटों की बिक्री की आय में कमी आदि के कारण वर्ष 2013-14 में प्राप्तियां ₹ 5,234 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹ 4,219 करोड़ हो गईं। जहां निजी बिल्डरों से ई.डी.सी. को टी.सी.पी.डी. द्वारा एकत्रित किया जा रहा था वहीं अन्य सभी राजस्व कमाने वाली स्ट्रीम एच.एस.वी.पी. द्वारा एकत्र की जा रही थी।

यह आकलन करने के लिए कि क्या वसूली योग्य राजस्व कुशलता से एकत्र किया जाता है तथा उचित तरीके से हिसाब में लिया जा रहा है, वर्ष 2015-18 की अवधि के लिए 18 में से पांच¹⁰⁸ संपदा कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा दिसंबर 2017 से अप्रैल 2018 के दौरान की गई, जिसमें लेखापरीक्षा का फोकस सीधे एच.एस.वी.पी. के नियंत्रण में राजस्व अर्जन स्ट्रीम पर था। लेखापरीक्षा ने प्लॉट और संपत्ति प्रबंधन (पी.पी.एम.)¹⁰⁹ सॉफ्टवेयर से (दिसंबर 2017 में प्राप्त) डाटा का उपयोग किया है, जिसका उपयोग एच.एस.वी.पी. के नियंत्रण में आने वाले प्लॉटों और संपत्ति के प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। मुख्य प्रशासक (सी.ए.),

¹⁰⁸ (i) अंबाला, (ii) फरीदाबाद, (iii) गुरुग्राम- II, (iv) सोनीपत और (v) पंचकुला


¹⁰⁹ यह एक आई.टी. मॉड्यूल है जहां प्रत्येक संपत्ति का विवरण दर्ज किया जाता है।

एच.एस.वी.पी. के साथ जुलाई 2018 में एक एक्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई थी। रिपोर्ट में एक्जिट कांफ्रेंस के विचार-विमर्श को भी शामिल किया गया है।

3.18.2 चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ न करना


प्लाट आबंटन के लिए, आवेदक को आवेदन जमा करने के समय प्लाट की लागत का 10 प्रतिशत और आबंटन पत्र जारी करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर 15 प्रतिशत और जमा करना होता है। इस प्रकार, प्लॉटों के आबंटन के लिए 25 प्रतिशत अनिवार्य था। शेष 75 प्रतिशत का भुगतान 60 दिनों की अवधि के भीतर एकमुश्त या छः वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित किया जा सकता है। किस्तों के भुगतान में चूक से बकाया राशि पर चूक की अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज¹¹⁰ देय होता है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) अधिनियम, 1977 की धारा 17 में संपदा कार्यालय को नीचे दिए गए अनुसार चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देता है:




पी.पी.एम. डाटा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि कुल 3,21,646 मामलों में से 3,177 मामलों में, प्लाट की लागत की 25 प्रतिशत अनिवार्य राशि जमा करने के बाद आबंटियों ने कोई किस्त जमा नहीं की। वर्तमान अनुदेशों के संदर्भ में, ये प्लाट पुनःग्रहण किए जाने चाहिए थे। 3,177 मामलों में से, बकाया राशि की वसूली करने या संपत्तियों के पुनःग्रहण के लिए हुडा अधिनियम, 1977 की धारा 17 के अनुसार 2,350 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इन 2350 आबंटियों के विरुद्ध ही कुल बकाया मूल राशि ₹ 601.17 करोड़ थी। इन प्लॉटों के आबंटन का वर्ष इस प्रकार है:

¹¹⁰ 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से (या समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है)।




जैसा कि ऊपर देखा गया है कि, एक लंबी अवधि बीतने के बावजूद, इन प्लेटों का पुनः ग्रहण शुरू नहीं किया गया था।

610 मामलों में प्लेटों की स्थिति को रद्द/निष्क्रिय के रूप में दिखाया गया था। इन 610 आबंटियों के विरुद्ध कुल बकाया मूल राशि ₹ 273.83 करोड़ थी। इन प्लेटों को पुनः ग्रहण की आवश्यकता थी। पी.पी.एम. डाटा के अनुसार शेष 217 प्लेटों को पुनःग्रहीत किया गया। यह विश्लेषण केवल उन प्लेटों के लिए है, जहां आबंटियों द्वारा केवल 25 प्रतिशत आबंटियों द्वारा जमा किया



गया था। ऐसे कई और चूककर्ता भी हो सकते हैं जो एक या अधिक किस्त या अन्य देय जमा करने में विफल रहे। उदाहरण के लिए, पी.पी.एम. से लेखापरीक्षा द्वारा सृजित रिपोर्ट के अनुसार, केवल पांच नमूना-जांच किए गए संपदा कार्यालयों में वाणिज्यिक प्लेटों के संबंध में चूककर्ताओं के विरुद्ध कुल बकाया ₹ 4,472.90 करोड़ था, जिसका विवरण निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है:



इससे एच.एस.वी.पी. के राजस्व सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेखापरीक्षा ने हुडा अधिनियम के संदर्भ में चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए वाणिज्यिक प्लेटों के चूककर्ताओं की कुछ फाइलों की भी नमूना-जांच की गई। यह अवलोकित किया गया कि यथा संदर्भित प्लेटों को पुनःग्रहण करने के लिए उचित प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। नमूना-जांच किए गए मामलों के विवरण तालिका 3.16 में चित्रित हैं

तालिका 3.16: उन मामलों का विवरण जिसमें प्लेटों को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी

संपदा अधिकारी	भौतिक रूप से जांची गई फाइलें	कोई कार्रवाई नहीं की गयी	धारा 17 (i) के अंतर्गत जारी किया गया नोटिस	धारा 17 (2) के अंतर्गत लगाया गया जुर्माना	धारा 17 (3) के अंतर्गत जारी किया गया नोटिस	धारा 17 (4) के अंतर्गत जारी आदेश
गुरुग्राम-II	11	2	6	3	-	-
फरीदाबाद	13	1	9	-	3	-
अंबाला	4	1	-	2	-	1
पंचकुला	11	2	-	4	-	5
सोनीपत	3	-	1	-	2	-
कुल	42	6	16	9	5	6

(स्रोत: विभागीय अभिलेख से प्राप्त सूचना)


जैसा ऊपर देखा गया है कि 42 मामलों में से 16 नमूना-जांच किए गए मामलों में, धारा 17 (i) के अंतर्गत नोटिस जारी करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, यद्यपि 1984 और 2014 के मध्य प्लेट आबंटित किए गए थे। चूककर्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए कोई निगरानी प्रणाली नहीं थी।

मुख्य प्रशासक ने एक्जिट कांफ्रेंस के दौरान आश्वासन दिया कि हुडा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नोटिस की स्वचालित सृजन की कार्यात्मकता को जोड़कर पी.पी.एम. प्रणाली को अद्यतित किया जाएगा तथा बेहतर निगरानी के लिए की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति पी.पी.एम. में दर्ज की जाएगी।


3.18.3 विकसित क्षेत्रों में मूल रूप से अनाबंटित संपत्तियों की नीलामी न करना

एक बार बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज, पार्क आदि को एक सेक्टर में पूर्ण कर दी जाती हैं, विकसित क्षेत्र में प्लानों के आबंटन की प्रक्रिया शुरू होती है। जिन प्लानों को एक विकसित क्षेत्र में आबंटित नहीं किया गया है, उन्हें पी.पी.एम. में "मूलरूप से अन-आबंटित (ओरुना)" के रूप में दिखाया गया है।

पी.पी.एम. के आंकड़ों के अनुसार, 1,15,17,497 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली 24,355 संपत्तियों में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ओरुना की स्थिति थी:



ये ओरुना प्लाट उन क्षेत्रों के हैं जो लंबे समय से विकसित किए गए थे जैसा कि नीचे दिए गए बार चार्ट में चित्रित है:



(स्रोत: पी.पी.एम. पहले प्लाट के आबंटन का वर्ष सैक्टरों के विकास के वर्ष के रूप में लिया गया है)

नोट: महेंद्रगढ़ के तीन सेक्टरों से संबंधित 104 प्लाटों के संबंध में विकास की तारीख उपलब्ध नहीं थी।

ओरुना संपत्तियों की स्थिति के मूल्यांकन के विचार से आगे भौतिक सत्यापन से लेखापरीक्षा ने अगस्त 2018 में एच.एस.वी.पी. के स्टाफ के साथ नमूना-जांच की गई शहरी संपदाओं में 452


ओरूना प्लॉटों का संयुक्त निरीक्षण किया। विवरण **परिशिष्ट 3.32** में दिए गए हैं। संयुक्त परीक्षण के परिणाम निम्नानुसार हैं:-

ओरूना प्लॉटों की स्थिति	प्लॉटों की संख्या
खाली पाए गए प्लॉट	385
अविद्यमान प्लॉट	25
पी.पी.एम. में दो बार दर्ज प्लॉट	3
आवासीय प्रयोजन के लिए निर्मित पाए गए प्लॉट	5
कुल	418

शेष 34 ओरूना प्लॉट आगे आबंटन के लिए एच.एस.वी.पी. द्वारा निर्मित वाणिज्यिक बूथ थे। भौतिक सत्यापन के दौरान, यह भी पाया गया कि वाणिज्यिक रूप से प्राइम लोकेशन में स्थित सैक्टरों में 192 अनाबंटित प्लॉट थे परंतु इन्हें पी.पी.एम.में दर्ज ही नहीं किया गया था। चूंकि ये प्लॉट डाटाबेस में दर्ज ही नहीं किए गए थे, एच.एस.वी.पी. ने इन प्लॉटों की नीलामी के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

3.18.4 वापस दिए गए प्लॉटों की नीलामी न होना

अनावंटित संपत्तियों के अलावा, 3,064¹¹¹ प्लॉटों को आबंटियों द्वारा वापस किया गया था। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान केवल 6,284 नीलामी इवेंट सृजित किए गए थे। नीलामी कार्यक्रम को समय विनिर्दिष्ट अंतराल पर नियमित रूप से आयोजित नहीं किया गया था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि नीलामी कार्यक्रमों की संख्या 138 (2016 का क्वार्टर) से 1,761 (2017 का क्वार्टर) में भिन्नता थी जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में चित्रित है:



इसके अतिरिक्त, जनवरी 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान उच्च आरक्षित मूल्य के कारण नीलामी इवेंट के प्रति प्रतिक्रिया में कमी के परिणामस्वरूप केवल 1,556¹¹² प्लॉटों को अंततः

¹¹¹ 01.01.2016 से पहले आबंटन तिथि के साथ आत्मसमर्पित किए गए आवंटन।

¹¹² 01.01.2016 के बाद सफलतापूर्वक नीलामी और आवंटित की गई। पी.पी.एम. से प्राप्त डेटा।

आबंटित किया जा सका। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर प्रत्येक 20 प्रतिशत अधिकतम नीलामी (अर्थात 4 लगातार असफल नीलामी तक) के असफल होने की स्थिति में आरक्षित मूल्य को पांच प्रतिशत से कम करने के लिए सक्षम थे। 4 असफल नीलामियों के बाद, आरक्षित मूल्य में और कमी का प्रस्ताव सी.ए., एच.एस.वी.पी. को भेजा जाता है। लेखापरीक्षा ने संपदा कार्यालय, अंबाला (जनवरी 2016 से जनवरी 2018) द्वारा ई-नीलामी में डाले गए वाणिज्यिक संपत्तियों के मामलों का विश्लेषण किया। अंबाला में 344 ओरुना वाणिज्यिक प्लॉट थे। ई-प्रोक्योरमेंट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 37 वाणिज्यिक प्लॉटों को आबंटन के लिए ई-नीलामी में रखा गया था, लेकिन वाणिज्यिक प्लॉटों में से कोई भी आबंटित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, विभाग ने तालिका 3.17 में दर्शाए अनुसार केवल 16 वाणिज्यिक प्लॉटों में आरक्षित मूल्य को कम किया।

तालिका 3.17: वाणिज्यिक प्लॉटों के आरक्षित मूल्य में कमी का विवरण

नीलामी के लिए प्लॉटों की कुल सं.	उन प्लॉटों की संख्या जिनमें आरक्षित मूल्य को कम नहीं किया गया था	प्लॉटों की संख्या जिसमें आरक्षित मूल्य घटाया गया है (एक बार)	प्लॉटों की संख्या जिसमें आरक्षित मूल्य घटाया गया है (दो गुना)
37	21	12	4

(स्रोत: विभागीय अभिलेख से प्राप्त जानकारी)

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, सी.ए. ने बताया कि जोनल प्रशासन को निर्देश जारी किए जाएंगे कि वे समयबद्ध तरीके से रिजर्व प्राइस की समीक्षा करें और अपनी संपत्तियों को नीलामी के लिए रखें।

ओरुना तथा वापस किए गए प्लॉट्स की नीलामी न होने के कारण एच.एस.वी.पी. राजस्व सृजन से वंचित रहा।

3.18.5 मिलान न होने से धोखाधड़ी का पता न लगना

पी.पी.एम. सिस्टम में आबंटियों के लैजर से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ₹ 67.99 करोड़ के 5,513 मामलों में आबंटियों द्वारा जमा किए गए एक ही चैक/ड्राफ्ट को एक ही आबंटियों के खातों में या किसी अन्य आबंटि के खाते में एक से अधिक बार क्रेडिट किया गया था। आबंटियों के लैजर में अतिरिक्त क्रेडिट की राशि 2,750 मामलों में ₹ 33.75 करोड़ परिकल्पित होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन सभी मामलों में चैक/रसीद संख्या के शुरू में शून्य या कुछ अन्य अंक डालकर नकली रसीदें तैयार की गई थीं, जिससे कि सिस्टम में पता न लगे। आबंटियों को दिए गए क्रेडिट की सत्यता की जांच करने के विचार से 52 जोड़े नकली प्रविष्टियों से संबंधित 104 भौतिक फाइलों (पंचकुला: 38, फरीदाबाद: 46 और अंबाला: 20) की संवीक्षा की गई। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 48 जोड़ी भौतिक फाइलों में कोई रसीद नहीं रखी गई थी, लेकिन पी.पी.एम. प्रणाली में क्रेडिट दिया गया था। शेष चार मामलों में डुप्लिकेट/फर्जी रसीदें धोखे से रखी गईं जैसा कि विवरण तालिका 3.18 में दिया गया है:

तालिका 3.18: धोखाधड़ी से रखी गई डुप्लिकेट/फर्जी रसीदों का विवरण

शहरी संपदा/ सेक्टर	प्लॉट नंबर	रसीद संख्या और दिनांक	राशि (लाख में)	टिप्पणी
पंचकुला/16	185 तथा 186	66669 दिनांक 12 अक्टूबर 2010 66668 दिनांक 12 अक्टूबर 2010	7.00 5.00	इन प्लॉटों का मालिक एक ही व्यक्ति था। ये रसीदें मूल रूप से प्लॉट संख्या 186 से संबंधित थीं। रसीद पर प्लॉट संख्या के साथ टेम्परिंग करके प्लॉट संख्या 185 के विरुद्ध उसी रसीद का इस्तेमाल किया गया था।
पंचकुला/27	67 तथा 68	627645 दिनांक 09 अक्टूबर 2003	0.91	इन दो प्लॉटों को दो अलग-अलग व्यक्तियों को आबंटित किया गया था। रसीद मूल रूप से प्लॉट नंबर 67 से संबंधित थी और उसी रसीद का इस्तेमाल प्लॉट संख्या 68 के विरुद्ध फाइल में रसीद की फोटोकॉपी डालकर किया गया था।
पंचकुला/6	35 तथा 36	209322 दिनांक 14 अगस्त 2004 243130 दिनांक 15 फरवरी 2005	1.92 1.83	ये रसीदें मूल रूप से प्लॉट संख्या 35 से संबंधित थीं। तथापि, रसीद की फोटोकॉपी फाइल में डालकर उसी रसीद का उपयोग प्लॉट संख्या 36 के विरुद्ध किया गया था।
अंबाला/9	548	5925 दिनांक 24 फरवरी 2010	0.52	मूल रसीद सेक्टर 9 के प्लॉट नंबर 548 के विरुद्ध थी। तथापि, सेक्टर 10 की प्लॉट संख्या 548 के विरुद्ध रसीद को टेम्परिंग करके उसे ही इस्तेमाल किया गया था।

संपदा अधिकारियों (ई.ओ.) ने बैंक खाताओं के संदर्भ में आबंटियों के बही खाता में जमा की गई राशि को समेकित नहीं किया था। यदि समेकन की यह व्यवस्था लागू होती, तो इन विसंगतियों का पता चल जाता और धोखाधड़ी को रोका जा सकता था।


ई.ओ., पंचकुला, ने बताया (अप्रैल 2018) कि आबंटियों से अधिक जमा राशि की वसूली ब्याज के साथ की जाएगी। इस प्रकार, मिलान न होने के कारण, इन विसंगतियों का पता नहीं चला। प्रणाली में जांच सुधारने और इस तरह की धोखाधड़ी पता लगाने की आवश्यकता है तथा चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध उत्तरदायिता तय करने के लिए व्यापक जांच की जाए।

सी.ए. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान मामले को गंभीरता से लिया और बताया कि मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक खाताओं में प्राप्त राशियों को आबंटियों के लेजर के साथ मिलान करने के लिए पी.पी.एम. में एक मॉड्यूल शामिल किया जाएगा।

यह सिफारिश की जाती है कि एफ.आई.आर. दर्ज करवानी चाहिए और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

3.18.6 अधिग्रहित भूमि के समयबद्ध विकास के लिए परिपेक्ष्य स्कीम का अभाव

अधिग्रहित भूमि को विकसित करने के बाद रिहाईशी, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं संस्थागत प्लॉट्स की बिक्री एच.एस.वी.पी. के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है। तथापि, एच.एस.वी.पी. ने अधिग्रहित भूमि के समयबद्ध विकास हेतु कोई नीति तैयार नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मार्च 1995 और फरवरी 2016 के मध्य विभिन्न शहरी संपदाओं में 49 सैक्टरों में अधिग्रहित 9,445.69 एकड़ भूमि विकसित नहीं की गई। किसी सैक्टर की विकास की स्कीम बनाते समय ले-आऊट प्लान तैयार करना और प्लॉटों काटना प्रथम चरण है। इसकी स्थिति फोटो चार्ट में दर्शाई गई है जबकि 5,956.03 एकड़ में ले-आऊट स्कीम अनुमोदित कर दी गई है। 1,555.30 एकड़ के लिए ले-आऊट स्कीम की तैयारी प्रक्रिया अधीन थी और 1,934.36 एकड़ भूमि के लिए ले-आऊट स्कीम की तैयारी प्रारंभ भी नहीं की गई थी (जनवरी 2018)।



इन सैक्टरों के विकास के लिए कोई परिपेक्ष्य स्कीम और समय-सीमा मौजूद नहीं थी। चूंकि अधिग्रहित भूमि विकसित नहीं की गई थी, उन्हें बिक्री के लिए नहीं रखा जा सका जिसका प्रभाव एच.एस.वी.पी. की राजस्व कमाई पर हुआ। केवल 5,956.03 एकड़ जिसके लिए ले-आऊट स्कीम तैयार की गई है में काटे गए रिहायशी प्लॉटों की रिजर्व कीमत ₹ 10,580.68¹¹³ करोड़ परिकलित हुई (परिशिष्ट 3.33)।

सी.ए. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि उन्होंने भूमि और नए सैक्टरों के विकास के लिए परिपेक्ष्य स्कीम एक चरणबद्ध तरीके से तैयार की है जिसे वित्त विभाग और शहर एवं ग्राम आयोजन विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

3.18.7 बाहरी विकास प्रभारों की वसूली न होना

(i) हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम 11 (सी) के अनुसार, कोलोनाईजरज़ को सरकार द्वारा नियत दरों पर ई.डी.सी. का भुगतान करेंगे। ई.डी.सी. टी.सी.पी.डी. द्वारा वसूल किया जाता है परंतु इसे मार्च 2017¹¹⁴ तक एच.एस.वी.पी. के साथ बजट से बाहर जमा करवाया जा रहा था। अप्रैल 2017 को ₹ 11,144.13 करोड़ विकासकों से वसूलनीय थे जिसे टी.सी.पी.डी. द्वारा वसूल किया जाना था और एच.एस.वी.पी. को हस्तांतरित किया जाना था।

¹¹³ वर्ष 2017-18 के लिए एच.एस.वी.पी. द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य पर काम किया गया।

¹¹⁴ स्वर्ण जयंती हरियाणा शहरी अधोसंरचना योजना अप्रैल 2017 से शुरू की गई थी जिसके तहत आवश्यक दवाओंसी. को सरकारी खाते में जमा करना आवश्यक था।

(ii) स्वामित्व वाली भूमि, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से निर्मुक्त की जाती है। यदि भूमि अधिग्रहण अधिसूचना से पहले कोई संरचना विद्यमान हो। इस मामले में, भू-स्वामी ई.डी.सी. का भुगतान करने के दायी हैं क्योंकि वे एच.एस.वी.पी. की सड़कों, जलापूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज पार्को इत्यादि जैसी सुविधाओं का लाभ भी उठाते हैं। निदेशक, शहरी संपदा एच.एस.वी.पी. के लिए भूमि अधिग्रहित करता है। इसके अभिलेखों के अनुसार, 2,959.22¹¹⁵ एकड़ भूमि 2004-18 के दौरान नमूना-जांच किए गए पांच संपदा कार्यालयों को अधिग्रहण प्रक्रिया से निर्मुक्त की गई।

जून 2015 में आयोजित एच.एस.वी.पी. अधिकारियों की समीक्षा बैठक में, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक संपदा कार्यालय में निर्मुक्त मामलों की सूची की पहचान की जाएगी और निजी भू-स्वामियों से बकाया ई.डी.सी. वसूल की जाएगी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नमूना-जांच की गई शहरी संपदाओं द्वारा निर्मुक्त भूमि का समुचित अभिलेख नहीं रखा गया। सोनीपत और फरीदाबाद के संपदा कार्यालयों के पास यह इंगित करने वाली विवरणी थी कि मार्च 2017 तक 145.70 एकड़¹¹⁶ निर्मुक्त भूमि के विरुद्ध ₹ 19.55¹¹⁷ करोड़ बकाया थे। तथापि, व्यक्तियों के मामलों में गणना-शीट उपलब्ध नहीं थी जिसके बिना लेखापरीक्षा विवरणी में उल्लिखित राशि की सत्यता निर्धारित नहीं कर सकी। शेष तीन संपदा कार्यालयों में न तो समुचित अभिलेख रखे गए और न ही वसूलनीय राशि परिगणित की गई। इस प्रकार, इस स्रोत से राजस्व के सृजन के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान मुख्य वित्त नियंत्रक, एच.एस.वी.पी. ने बताया कि संबंधित संपदा अधिकारियों को निर्मुक्त भूमि के समुचित अभिलेख रखने के अनुदेश दिए जाएंगे।

3.18.8 संवर्धित भूमि प्रतिपूर्ति की वसूली का प्रबंधन

अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत एल.ए.सी. द्वारा घोषित निर्णय न्यायिक जांच के लिए जिला न्यायालय के जजों के पास भेजा जा सकता है। जिला न्यायालय के जजों द्वारा दिए गए निर्णय को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। भू-स्वामियों को भुगतान की गई संवर्धित भूमि प्रतिपूर्ति आबंटियों से वसूल की जानी है।

फरवरी 2018 को इस एवज में ₹ 17302.19 करोड़ का भुगतान लंबित था। अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईं:

(i) डिमांड नोटिस जारी करने में विलंब तथा ब्याज की हानि

न्यायालयों के आदेशों के आधार पर किसानों को प्रतिपूर्ति के वास्तविक भुगतान की प्रतीक्षा किए बिना भूमि के लिए संवर्धित प्रतिपूर्ति के लिए आबंटियों को वसूली नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया (अगस्त 2016)। वसूलनीय राशि को भुगतान के लिए आबंटियों के प्लॉट खाते में अपलोड किया जाना था। चूंकि एच.एस.वी.पी. द्वारा किसानों को विलंबित भुगतान¹¹⁸ के लिए ब्याज अदा किया जाना था और आबंटियों द्वारा देय ब्याज डिमांड नोटिसों के सृजन की तिथि के

¹¹⁵ अंबाला: 3.64 एकड़, फरीदाबाद: 422.904, गुरुग्राम: 1,082.1985, पंचकुला: 435.821 और सोनीपत: 1,014.6605 एकड़।

¹¹⁶ फरीदाबाद: 97.11 एकड़ और सोनीपत: 48.59 एकड़।

¹¹⁷ फरीदाबाद ₹13.96 करोड़ और सोनीपत ₹ 5.59 करोड़।

¹¹⁸ एक वर्ष के लिए 9 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज और बाद की देरी की अवधि के लिए 15 प्रतिशत।

आधार पर पी.पी.एम. द्वारा परिगणित किया जाता है, यह एच.एस.वी.पी. के वित्तीय हित में है कि किसानों को त्वरित भुगतान करें और आबंटियों को अविलंब डिमांड नोटिस जारी करें।

लेखापरीक्षा ने मई 2017 से मार्च 2018 के दौरान अंतिम किए गए संवर्धनों के 33 मामलों की नमूना-जांच की जिसमें न्यायालयों ने ₹ 799.65 करोड़ (परिशिष्ट 3.34) की संवर्धित प्रतिपूर्ति दी थी। भू-स्वामियों को संवर्धित प्रतिपूर्ति का भुगतान 8 महीने से 26 वर्षों¹¹⁹ के मध्य देरी के साथ किया गया। आगे, पी.पी.एम. मॉड्यूल के डाटा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि पांच नमूना-जांच किए गए मामलों में 4,410 आबंटियों को डिमांड नोटिसों के सृजन में काफी विलंब था। विलंब 3,384 मामलों में 11 से 100 दिनों, 518 मामलों में 101 से 500 दिनों और 8 मामलों में 501 से 1,645 दिनों का था। एच.एस.वी.पी. ने इन मामलों में डिमांड नोटिसों के सृजन में देरी के कारण ₹ 44.40 लाख¹²⁰ राशि के ब्याज की हानि उठाई।

मुख्य नियंत्रक वित्त ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि डिमांड नोटिस संपदा अधिकारियों द्वारा सृजित किए जा रहे थे और आश्वासन दिलाया कि डिमांड नोटिस अपलोड करने का कार्य संपदा अधिकारियों पर छोड़ने की बजाए एक ही बार में सैक्टर-वार डिमांड नोटिस अपलोड करने को सरल करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने केवल कुछ मामलों की नमूना-जांच की है। एच.एस.वी.पी. को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अनियमितता की पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए। ब्याज के भुगतान को बचाने के लिए संवर्धित मुआवजे के लिए समय पर मांग सृजित करने के लिए एच.एस.वी.पी. द्वारा व्यापक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

(ii) एक ट्रस्ट को अदेय लाभ: संपदा अधिकारी (ई.ओ.), सोनीपत ने लगभग ₹ 21.79 करोड़ की लागत पर श्री ओमप्रकाश बंसल शैक्षिक एंड सामाजिक कल्याण ट्रस्ट (ट्रस्ट) को फ्री-होल्ड आधार पर एक संस्थागत प्लॉट आबंटित किया (जुलाई 2011) ई.ओ. ने ₹ 16.15 करोड़ की भूमि की संवर्धित लागत के भुगतान के लिए ट्रस्ट को डिमांड नोटिस जारी किया (फरवरी 2014)। ट्रस्ट ने आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन दिया जो अस्वीकृत कर दिया गया (अप्रैल 2015) क्योंकि इसने भूमि की संवर्धित लागत जमा नहीं करवाई थी।

एच.एस.वी.पी. द्वारा मांगी गई भूमि की वर्धित लागत को ट्रस्ट द्वारा उच्च न्यायालय में इस तर्क पर चुनौती दी गई कि मांग अत्यधिक थी (सितंबर 2015)। मामले का निपटान इन निदेशों के साथ किया गया (सितंबर 2015) कि (i) संस्थान उस राशि का भुगतान करेगा जो इसने स्वीकार किया है कि देय है और इसके द्वारा भुगतान योग्य है। (ii) संस्थान शेष राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक की बिना शर्त एवं बिना आपत्ति की गारंटी के द्वारा सुरक्षित करेगा। (iii) राशि के भुगतान एवं सुरक्षित रखे जाने के बाद एच.एस.वी.पी. आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करेगा। (iv) एच.एस.वी.पी.

¹¹⁹ आठ महीने से पांच साल तक की देरी: 18 मामले, पांच साल से 10 साल: सात मामले और 10 साल और उससे अधिक: आठ मामले

¹²⁰ ब्याज में 15 प्रतिशत (एच.एस.वी.पी. द्वारा विलंबित भुगतान के लिए चार्ज की गई दर) होने के कारण विलंबित अवधि के लिए काम किया।

पैटीशनर सुने जाने का अवसर देने के बाद 31 मार्च 2016 तक मांग के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा।

ई.ओ. ने कोई भुगतान एवं बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना 2016-17 से शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए ट्रस्ट को अनापति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया (मई 2016) जो इसे अदेय लाभ देने के बराबर था। अंततः 17 फरवरी 2014 को जारी नोटिस द्वारा मांगी गई राशि को रोकते हुए 2 फरवरी 2018 को प्रशासन द्वारा मौखिक आदेश दिए गए। अभी तक ₹ 16.15 करोड़ की वसूली ट्रस्ट से नहीं हुई। अतः उच्च न्यायालय के निदेशों की अनुपालना नहीं की गई और ट्रस्ट को अदेय लाभ प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.15 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

3.18.9 पुनः ग्रहण प्राप्त संपत्तियों में व्यापार जारी रखा जाना

नीति के अनुसार, साईट के रद्द और पुनः ग्रहण की स्थिति में, आबंटी ऐसे उचित समय जो तीन महीनों से अधिक न हो के भीतर अपने स्वयं के व्यय पर ढांचे को हटा देगा और साईट का स्वामित्व इस शर्त पर पुनः लेगा जिसमें उसने आबंटन के समय लिया था। यदि आबंटी/पट्टाधारी ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर ढांचा हटाने में विफल रहता है, ई.ओ. उसे हटाने तथा ऐसा करने में किया गया व्यय उस आबंटी से वसूल करने में सक्षम होगा जिसका पट्टा/आबंटन रद्द किया गया है। अन्यथा, साईट की ढांचे के साथ पुनः नीलामी की जा सकती है और साईट के बाजार मूल्य की कटौती के बाद शेष आबंटी को रिफंड किया जा सकता है।

पी.पी.एम. में पुनःग्रहित के तौर पर दर्शाई गई कुछ साईट्स का भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा दल द्वारा संपदा कार्यालय फरीदाबाद के स्टाफ के साथ किया गया। यह अवलोकित किया गया कि आबंटियों ने पुनःग्रहित प्लॉट में अपना व्यापार जारी रखा था जैसा कि तालिका 3.19 में चित्रित किया गया है।

तालिका 3.19: पुनःग्रहित किए गए प्लॉटों में अपना व्यापार जारी रखने वाले आबंटियों के ब्यौरे

प्लॉट/सेक्टर संख्या	पुनः अधिग्रहण आदेशों का मास	हटाने के आदेश का मास	प्लॉट का क्षेत्र (वर्ग)	बाजार मूल्य (करोड़ में) 2016-17 के लिए संग्रहण दर	टिप्पणी
48/15	उपलब्ध नहीं	मार्च 2017	133.32	1.27	हटाने के आदेश जारी करने के बाद संपदा कार्यालय द्वारा कोई आगामी कार्रवाई नहीं की गई
49/15	उपलब्ध नहीं	मार्च 2017	133.26	1.27	
67/15	मई 2011	मार्च 2017	133.32	1.27	
68/15	मई 2011	मार्च 2017	133.32	1.27	
96/15 ए.पी.-2	उपलब्ध नहीं	नवंबर 2010	27.14	0.26	
			कुल	5.34	

(स्रोत: विभागीय अभिलेख से ली गई सूचना)



अतः, संपदा कार्यालय द्वारा अप्राप्त मॉनीटरिंग और कार्रवाई के कारण, संपत्तियों का अनधिकृत रूप से प्रयोग किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप अधिभोक्ताओं को अदेय लाभ हुआ। यदि अपेक्षित कार्रवाई करने के बाद इन संपत्तियों की दुबारा नीलामी की जाती, तो एच.एस.वी.पी. ने संग्रहण दरों पर परिकलित ₹ 5.34 करोड़ का राजस्व कमाया होता।

एग्जिट कांफ्रेंस के कारण सी.ए. ने मुख्य लेखा अधिकारियों, फरीदाबाद को इन परिसरों को खाली करवाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने के अनुदेश दिए।

चूंकि ये अनियमितताएं कुछ मामलों में नमूना-जांच के आधार पर प्रकट की गई हैं यह सिफारिश की जाती है कि एच.एस.वी.पी. को यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनः ग्रहित संपत्तियों का अतिक्रमण नहीं हो रहा/अनधिकृत रूप से प्रयोग की जा रही है, सभी पुनः ग्रहित प्लोटों का सर्वेक्षण करना चाहिए।

3.18.10 पानी एवं सीवरेज प्रभारों की लंबित वसूली

एच.एस.वी.पी. परिसरों को जलापूर्ति एवं सीवरेज जैसी सुविधाएं प्रदान करता है और बदले में यह उपभोक्ताओं पर नियत दरों पर प्रभार उद्ग्रहित करता है। एच.एस.वी.पी. जलापूर्ति विनियम, 2001 में प्रावधान है कि जब कोई उपभोक्ता, अपने देयों का भुगतान देय तिथि तक करने में विफल रहता है तो वह बिल राशि के 10 प्रतिशत की दर पर जुर्माने के भुगतान का दायी होगा जिसमें विफल होने पर उसके परिसरों में जल एवं सीवर कनेक्शन सात दिनों के नोटिस देने के बाद काट दिया जाएगा और देयों की वसूली उपभोक्ताओं से भू-राजस्व के बकायों के रूप में की जाएगी।

नमूना-जांच की गई शहरी संपदाओं में फरवरी 2018 को 32,022 उपभोक्ताओं के विरुद्ध पानी एवं सीवरेज प्रभारों के तौर पर ₹ 43.59 करोड़ बकाया थे जैसा कि तालिका 3.20 में चित्रित किया गया है:

तालिका 3.20: बकाया पानी प्रभारों के ब्यौरे

शहरी संपदा का नाम	कुल चूककर्ता	बकाया राशि (करोड़ में)	काटी गई लाईनों की संख्या
अंबाला	2,341	0.28	135
फरीदाबाद	2,116	1.36	937
गुरुग्राम	13,080	37.20	1,488
पंचकुला	10,072	3.27	1,464
सोनीपत	4,413	1.48	206
सकल योग	32,022	43.59	4,230

(स्रोत: विभागीय अभिलेख से ली गई सूचना)

केवल 4,230 मामलों में पानी और सीवर कनेक्शन काटे गए थे। शेष मामलों में उपभोक्ताओं को 7 दिनों का नोटिस देने के बाद पानी और सीवरेज कनेक्शन काटने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई जैसा कि चूककर्ता उपभोक्ताओं के विरुद्ध एच.एस.वी.पी. जलापूर्ति विनियमों में प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने गुरुग्राम के चार उपभोक्ताओं¹²¹ के मामलों का विश्लेषण किया, जिन्होंने पानी और सीवरेज के भारी बिलों के भुगतान में चूक की थी और उनके देयों का निपटान मार्च 2015 तक नहीं किया था। मई 2018 तक इन उपभोक्ताओं के विरुद्ध कुल बकाया राशि ₹ 2.64 करोड़ थी। देयों का भुगतान न होने के बावजूद, पानी और सीवरेज कनेक्शन नहीं काटे गए थे। ब्याज के साथ परिकल्पित वसूलनीय राशि ₹ 55.33 लाख¹²² है।

सी.ए. ने एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जमा हुई बकाया राशि पर दंडक ब्याज प्रभारित करने के लिए नीति प्रारंभ की जाएगी या कनेक्शन तुरंत काट दिए जाएंगे।

3.18.11 पट्टा की गई संपत्ति के विरुद्ध बकाया किराया

एच.एस.वी.पी. पेट्रोल पंप, शराब की दुकानों, संस्थाओं, वाणिज्यिक स्थलों इत्यादि के लिए संपत्ति पट्टे पर देता है। पी.पी.एम. डाटा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि कुल 605 संपत्तियां पट्टे पर थीं। तथापि, पट्टा किराया, भुगतान समय-सारणी, प्राप्त भुगतान इत्यादि के पूर्ण विवरण पी.पी.एम. में नहीं रखे जा रहे थे। **अतः बकाया राजस्व की मॉनीटरिंग पी.पी.एम. के द्वारा नहीं की जा रही थी।** लेखापरीक्षा ने पट्टा पर दी गई संपत्तियों की कुछ भौतिक फाईलों की नमूना-जांच की और निम्नानुसार अवलोकित किया;

(i) **एक भोजन प्रबंधक से पट्टा किराया की अवसूली:** संपदा अधिकारी, फरीदाबाद ने सैक्टर 12 फरीदाबाद में 750 वर्गगज हरित क्षेत्र के साथ एक भवन रेस्त्रां कॉम्प्लैक्स चलाने के लिए एक कंपनी को आबंटित किया (जून 2014)। पट्टा अनुबंध के अनुसार, तीन वर्षों के लिए हरित क्षेत्र के लिए ₹ 10.10 लाख प्लस 10 प्रतिशत प्रतिमास पर किराया नियत किया गया और अगले तीन वर्षों के लिए पट्टा किराया 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ नवीकरण योग्य था। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि अक्टूबर 2015 के बाद पट्टाधारी द्वारा किसी किराए का भुगतान नहीं किया गया। यद्यपि, संपदा अधिकारी, फरीदाबाद ने रेस्त्रां सील करने के आदेश दिए (मार्च 2017), बिल्डिंग को सील नहीं किया गया और पट्टाधारी ने अपना व्यापार चलाना जारी रखा।

¹²¹ डी.एल.एफ. फेस 1, डी.एल.एफ. फेस 4, यूनिटेक एंड अंसल प्रापर्टी।

¹²² 2015-18 के लिए हरियाणा सरकार की औसत उधारी दर 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से काम किया।

अप्रैल 2017 तक पट्टाधारी के विरुद्ध जमा हुआ बकाया किराया ₹ 3.42 करोड़ था। सी.ए.ओ., फरीदाबाद ने एग्जिट काफ्रेंस के दौरान बताया किया लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, रेस्ट्रॉ को सील कर दिया गया। तथापि, बकाया राशि अभी भी वसूल नहीं की गई है (सितंबर 2018)।

(ii) **पेट्रोल पंपज से पट्टा निधियां की वसूली न किया जाना:** सैक्टर 8, पंचकुला में पेट्रोल पंप साइट को पट्टा आधार पर अप्रैल 1987 में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को 15 वर्षों के लिए आबंटित कर दिया गया। डीड की शर्तों एवं अनुबंधों के अनुसार, पट्टाधारी अग्रिम में मासिक पट्टा किराए का भुगतान प्रत्येक मास की 10 तारीख तक करने के लिए दायी थे। आगे, किराया और अन्य प्रभारों के भुगतान में चूक की स्थिति में, पट्टाधारी हुडा अधिनियम की धारा 16 और 18 के अंतर्गत अनुसरण करने का दायी था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि पट्टाधारी यथा ऊपर उल्लिखित शर्तों एवं अनुबंधों के अनुसार मासिक पट्टा किराए का भुगतान अग्रिम में नहीं कर रहे थे। यद्यपि, उक्त पट्टा डीड अप्रैल 2002 में समाप्त हो गई थी, आबंटी ने पट्टा किराया के नवीकरण के बिना व्यापार जारी रखा हुआ था। जमा बकाया राशि ₹ 1.93 करोड़ परिकल्पित होती है (मार्च 2018)। एच.एस.वी.पी. ने हुडा अधिनियम 1977 की धारा 16 (1) (ए) (बी) के अंतर्गत फरवरी 2014 में 12 वर्षों के अंतराल के बाद नोटिस जारी किया और अक्टूबर 2017 में पट्टा किराया के भुगतान न होने बारे स्मरण-पत्र जारी किया। सहायक जिला न्यायवादी (ए.डी.ए.) ने भी सलाह दी कि चूंकि कोई पट्टा डीड मौजूद नहीं है, पट्टाधारी को अतिक्रमणकारी मानते हुए कार्रवाई की जा सकती है। कार्रवाई करने की बजाय जनवरी 2018 में ए.डी.ए. से दुबारा कानूनी सलाह मांगी गई जिसमें ए.डी.ए. ने पहले दिए विचार की पुनरावृत्ति की। परिसरों को हटाने के लिए धारा 18 (1) (बी) के अंतर्गत मार्च 2018 में नोटिस दिया गया। तथापि, बकाया किराए की अभी तक वसूली नहीं हुई।

इसी प्रकार, पंचकुला संपदा में, पट्टा डीडज पहले ही समाप्त हो चुके थे और इन एजेंसियों से पट्टा किराया के तौर पर वसूलनीय भारी बकाया देय थे। जैसा कि तालिका 3.21 में विवरण दिया गया है, परंतु इन पेट्रोल पंप साइट को सील करने/पुनः ग्रहण से संबंधित अंतिम कार्रवाई नहीं की गई।

तालिका 3.21 वसूलनीय राशि के विवरण

सैक्टर/प्लॉट संख्या	आबंटन का मास	डीड समाप्त होने का मास	अक्टूबर 2017 को वसूलनीय राशि (₹ लाख में)
16/1	फरवरी 1992	नवंबर 2007	56.85
1ए1/1	नवंबर 2000	जून 2016	89.00
2/1	नवंबर 2000	जुलाई 2017	11.10
5/1	नवंबर 2000	अप्रैल 2016	99.15
14/2	फरवरी 2000	फरवरी 2015	69.06
4/1	फरवरी 1995	फरवरी 2010	243.56
		कुल	568.72

(स्रोत: विभागीय अभिलेख से ली गई सूचना)

शहरी संपदा, फरीदाबाद में भी, 10 पेट्रोल पंप विक्रेताओं से ₹ 12.63 करोड़ की राशि वसूलनीय थी (फरवरी 2018)।

इस प्रकार, पट्टा निधियां की वसूली के लिए मॉनीटरिंग एवं पर्याप्त कार्रवाई का अभाव था। सी.ए. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि बकाया राशियों की वसूली के लिए संबंधित संपदा अधिकारियों को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

सरकार को लंबित पट्टा निधियां और उसका भुगतान न करने के लिए दंडक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निगरानी हेतु एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है।

(iii) शराब ठेकों से किराए की वसूली न होना: शराब ठेके खोलने के लिए स्थान प्रदान करने के लिए एच.एस.वी.पी. द्वारा बनाए गए मार्गनिदेशों (अगस्त 2011) के अनुसार, उत्पाद एवं कराधान (ई. एंड टी.) विभाग शराब ठेके खोलने के लिए सैक्टर-वार आवश्यकता के बारे में संबंधित संपदा अधिकारी को सूचित करेगा। ₹ 20,000 की रिफंडेबल जमानत के साथ 12 महीनों के किराए का अग्रिम भुगतान या ई. एंड टी. विभाग द्वारा या शराब के विक्रेताओं द्वारा करना अपेक्षित था।

गुरुग्राम में एच.एस.वी.पी. की भूमि पर पांच विक्रेताओं द्वारा 14 शराब के ठेके चलाए जा रहे थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मार्च 2015 तक इन विक्रेताओं के विरुद्ध जमा शेष बकाया ₹ 10.91 करोड़ था जबकि एच.एस.वी.पी. नीति के अनुसार, किराया अग्रिम में वसूल किया जाना था। मांग नोटिस जारी करने के अलावा बकाया किरायों की वसूली के लिए चूककताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मार्च 2015 में, यह निर्णय लिया गया कि एच.एस.वी.पी. ई. एंड टी. विभाग को स्थान उनकी मांग के आधार पर प्रदान करेगा। एच.एस.वी.पी. और ई. एंड टी. विभाग के मध्य एक पट्टा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और ई. एंड टी. विभाग एच.एस.वी.पी. को अग्रिम में त्रैमासिक आधार पर किराए का भुगतान करेगा। यद्यपि, राशि का भुगतान अग्रिम में किया जाना अपेक्षित था, फरीदाबाद, गुरुग्राम-II और पंचकुला संपदा कार्यालयों में ई. एंड टी. विभाग के विरुद्ध ₹ 15.99¹²³ करोड़ बकाया थे।

सी.ए. ने एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान बताया कि शराब विक्रेताओं और ई. एंड टी. विभाग से बकाया राशि वसूल करने के लिए संबंधित संपदा अधिकारियों को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

यह नमूना-जांच पर आधारित है। एच.एस.वी.पी. को ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने तथा राजस्व की वसूली एवं सृजन के लिए एक प्रणाली प्रभावी रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।

¹²³

(i) फरीदाबाद: ₹ 2.01 करोड़, (ii) गुरुग्राम-II: ₹ 11.15 करोड़ और (iii) पंचकुला: ₹ 2.83 करोड़।

3.18.12 निष्कर्ष

शहरी क्षेत्रों में एक स्कीमगत तरीके से विकास के लिए एच.एस.वी.पी. को प्रस्थापित किया गया था। विकास गतिविधियों को दक्षतापूर्ण ढंग से चलाने के लिए राजस्व सृजन और वसूली सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तथापि, यह देखा गया कि 2013-17 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां कम हो गई थी और व्यय बढ़ गया। मूलरूप से आबंटित नहीं की गई और वापस की गई 27,419 संपत्तियों की उपलब्धता के बावजूद, जनवरी 2010 और दिसंबर 2017 के मध्य केवल 1,556 संपत्तियां आबंटित की जा सकी। कमजोर मॉनीटरिंग यंत्रावली के कारण, नमूना-जांच किए गए केवल पांच ई.ओज में वाणिज्यिक प्लॉटों के संबंध में ₹ 4,472.90 करोड़ के बकाया देयों की वसूली के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ न किए जाने के उदाहरण थे। आबंटी लेजरो का बैंक खाताओं से मिलान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप धोखेबाजी का पता नहीं लगाया जा सका। वसूलनीय राजस्व की वसूली के लिए अपर्याप्त मॉनीटरिंग तथा अधिग्रहित भूमि के समयबद्ध विकास के लिए नीति का अभाव था। सोनीपत और फरीदाबाद संपदाओं में ₹ 19.55 करोड़ के ई.डी.सी. वसूल नहीं किए गए और अन्य नमूना-जांच किए गए ई.ओज में परिकलित नहीं किया गया। पुनःग्रहित संपत्तियों में व्यापार जारी रखने, ₹ 43.59 करोड़ के पानी और सीवरेज प्रभारों की बकाया वसूली, पेट्रोल पंप, शराब के ठेकों जैसी पट्टाकृत संपत्ति के विरुद्ध ₹ 50.57 करोड़ की भारी बकाया राशियां इत्यादि पाई गई।

इन तथ्यों को राज्य सरकार को जून 2018 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2019)।

3.19 खेल परिसर के निर्माण कार्य में अनियमितताएं

ताऊ देवी लाल खेल परिसर, गुरुग्राम में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण का कार्य संरचनात्मक डिजाइन और विस्तृत अनुमान तैयार किए बिना प्रदान किया गया था। ₹ 22.75 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 21.50 करोड़ का व्यय होने पर भी ठेकेदार द्वारा केवल नींव स्तर तक का कार्य किया गया था। पूर्णता की लक्षित तिथि के दो वर्षों के बाद भी कार्य अपूर्ण रहा।

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 9.5.1 के अनुसार कोई कार्य प्रारम्भ करने से पहले एक विस्तृत अनुमान सक्षम प्राधिकारी से तकनीकी रूप से संस्वीकृत करवाना चाहिए जो कि आवश्यक खाका और प्रारंभिक संरचना एवं सेवा डिजाइनों पर आधारित होना चाहिए। उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्री की प्रमात्रा एवं इकाई दर की लागत विस्तृत अनुमान में होनी चाहिए।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) के अधीक्षक अभियंता, गुरुग्राम द्वारा अगस्त 2014 में ताऊ देवी लाल खेल परिसर, सैक्टर 38, गुरुग्राम में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के

लिए ₹ 22.75 करोड़ का रफ कॉस्ट अनुमान प्रस्तुत किया जिसके विरुद्ध एच.एस.वी.पी. की उप-समिति¹²⁴ द्वारा ₹ 26.70 करोड़ की प्रशासनिक संस्वीकृति (अप्रैल 2015) प्रदान की गयी। संरचनात्मक खाका को अंतिम रूप दिए बिना और विस्तृत अनुमान तैयार किए बिना मुख्य अभियंता-1, गुरुग्राम द्वारा सितंबर 2014 में एच.एस.वी.पी. के मुख्य वास्तुकार द्वारा (फरवरी 2014) में बनाई गई प्रारंभिक खाका के आधार पर ₹ 13.59 करोड़ का विस्तृत निविदा आमंत्रण नोटिस (डी.एन.आई.टी.) अनुमोदित किया गया। इसमें केंद्रीय एयर कंडीशनिंग, लकड़ी के फर्श, फिक्स्ड चेयर, इत्यादि के कार्य को शामिल नहीं किया गया था। कार्यकारी अभियंता, एच.एस.वी.पी. मंडल सं. VI, ने सितंबर 2014 में निविदाएं आमंत्रित कीं जो अक्टूबर 2014 में खोली गईं। कार्य न्यूनतम निविदाकार को ₹ 14.06 करोड़ (3.5 प्रतिशत प्रीमियम पर) के लिए जुलाई 2015 में 15 माह की समय-सीमा के साथ आबंटित किया गया। मार्च 2017 में छठे रनिंग बिल तक एजेंसी को ₹ 21.50 करोड़ का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

(i) कार्यकारी अभियंता ने संरचनात्मक खाका तैयार किए बिना कार्य प्रदान किया था। बल्कि ठेकेदार को संरचनात्मक खाका तैयार करने का कार्य सौंपा दिया गया जो कि कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था क्योंकि संरचनात्मक खाका और विस्तृत अनुमान विभाग द्वारा डी.एन.आई.टी. जारी करने से पूर्व तैयार किया जाना चाहिए था। काफी अन्तराल के बाद मई 2017 में ₹ 44.84 करोड़ की राशि का विस्तृत अनुमान तैयार किया गया अर्थात् कार्य आबंटन के 21 माह बाद, उस समय तक कार्य पर ₹ 21.50 करोड़ का व्यय किया जा चुका था। चूंकि प्रस्तावित राशि अधिक थी, अतः यह अनुमान स्वीकृत नहीं हुआ। इसके उपरांत कार्यकारी अभियंता द्वारा ₹ 29.60 करोड़ का नया अनुमान प्रस्तुत किया गया (जून 2018), जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित है।

(ii) मुख्य अभियंता, एच.एस.वी.पी. द्वारा जुलाई 2016 में अनुबंध में ₹ 22 करोड़ तक की बढ़ोतरी स्वीकृत कर दी। अनुबंध में अतिरिक्त मदें जोड़ दी गईं जिसमें केंद्रीय एयर कंडीशनिंग, एल्यूमीनियम फ्रेम सहित रंगीन टफंद शीशा, कोटा स्टोन फ्लोरिंग, अग्निशमन प्रणाली, आदि शामिल थे। अनुबंध में बढ़ोतरी के लिए निष्पादित की जाने वाली मदों की प्रमात्रा एवं अन्य विवरणों का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था। ये मदें डी.एन.आई.टी. का हिस्सा भी नहीं थीं और ₹ 21.50 करोड़ के भुगतान की तारीख (मार्च 2017) तक इनमें से किसी मद पर कोई कार्य नहीं किया गया था।

(iii) ठेकेदार के बिल की जाँच में पाया गया कि ₹ 21.50 करोड़ में से ₹ 12.19 करोड़ का भुगतान डी.एन.आई.टी. प्रमात्रा से छः बढ़ी हुई मदों के लिए था, जैसा कि तालिका 3.22 में दिया गया है। हालाँकि, इस वृद्धि के लिए सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। स्टील का उपयोग डी.एन.आई.टी. में दी गयी प्रमात्रा 623.50 मीट्रिक टन के विरुद्ध 2,100 मीट्रिक टन (336 प्रतिशत) अधिक हो गया था, जिससे लागत ₹ 9.09 करोड़ बढ़ गई।

¹²⁴ एच.एस.वी.पी. की उप-समिति का गठन चेयरमैन, एच.एस.वी.पी. की अध्यक्षता में किया गया था एवं इसके सदस्य वित्तियुक्त, वित्त; वित्तियुक्त, नगर एवं ग्राम आयोजना; मुख्य प्रशासक, एच.एस.वी.पी.; प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग; और प्रमुख अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) थे।

तालिका 3.22 डी.एन.आई.टी. प्रमात्रा से वृद्धित मात्रा का विवरण

(₹ लाख में)

कार्य की मद (हरियाणा शैड्यूल ऑफ रेट्स की मद)	इकाई	डी.एन.आई.टी. के अनुसार प्रमात्रा	छठे रनिंग बिल के अनुसार प्रमात्रा	अतिरिक्त प्रमात्रा	एच.एस.आर. 1988 के अनुसार दर	एच.एस.आर. (1988) दर के अनुसार अतिरिक्त व्यय	एच.एस.आर. पर नियत प्रीमियम (वर्ष 2011 से लागू प्रतिशत में)	सीलिंग प्रीमियम सहित अंतर
भू-कार्य (एच.एस.आर. मद 6.6)	100 घन मीटर	69.00	121.93	52.93	1108.00	0.59	425	3.08
दीमक नियंत्रण (एच.एस.आर. मद 6.15 ए)	वर्ग मीटर	4925.00	6096.50	1146.50	133.75	1.53	200	4.60
रीन्फोर्सड कंक्रीट (एम.-25)	घन मीटर	4500.00	6529.00	2029.00	6353.00	128.90	0	128.90
टी. एम. टी. स्टील बार (एच.एस.आर. मद 18.22)	क्विंटल	5205.00	12949.00	7744.00	917.00	71.01	500	426.07
रेत की भराई	घन मीटर	800.00	18497.00	17697.00	750.00	132.73	0	132.73
स्ट्रक्चरल स्टील (एच.एस.आर. मद 18.7)	क्विंटल	1030.00	8050.00	7020.00	1146.00	80.45	500	482.70
कुल								1,178.08
3.5 प्रतिशत की दर पर ठेकेदार का प्रीमियम								41.23
सकल योग								1,219.31

(स्रोत: विभागीय अभिलेख से ली गई सूचना)।

(iv) इसके अतिरिक्त, 805 मीट्रिक टन संरचनात्मक स्टील के लिए ₹ 3.27 करोड़¹²⁵ का सुरक्षित अग्रिम प्रदान करने की बजाय, ₹ 7.58 करोड़ का समग्र भुगतान कर दिया गया था जिसमें वेल्डिंग, बनाना और स्थापित करने के लिए श्रम शुल्क भी शामिल थे। इस प्रकार ठेकेदार को ₹ 4.31 करोड़ का अदेय वित्तीय लाभ दिया गया।

मुख्य प्रशासक, एच.एस.वी.पी. ने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर (अक्टूबर 2018) में यह बताया गया कि कार्य के लिए निविदाएं सितंबर 2014 में आमंत्रित की गई थीं और ₹ 22.75 करोड़ का अनुमान क्षेत्रफल के अनुसार प्रति मीटर की दर पर तैयार किया गया था जिसकी प्रशासनिक संस्वीकृति अप्रैल 2015 हुई। कार्य जुलाई 2015 में आबंटित किया गया और ठेकेदार द्वारा संरचनात्मक खाका तैयार करके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र से परिशोधन करवाने के बाद, जनवरी 2016 में कार्य प्रारंभ किया गया था। आगे, यह बताया गया कि परियोजना को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त मदों के स्वीकृति हेतु मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन था।

उत्तर स्वयं पी.डब्ल्यू.डी. कोड के कई प्रावधानों के उल्लंघन को इंगित करता है। विस्तृत अनुमान तैयार करने से पहले ही निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। संरचनात्मक खाका तैयार करने का कार्य

¹²⁵ एच.एस.आर. के अनुसार स्टील की लागत (प्रति क्विंटल) = सामग्री सहित लगाने की कीमत ₹ 1,122 - श्रम दर ₹ 219.15 = ₹ 902.85 + सीलिंग प्रीमियम 500 प्रतिशत = ₹ 5,417.10; देय सुरक्षित अग्रिम = ₹ 5,417.10 का 75 प्रतिशत = ₹ 4,062.83 प्रति क्विंटल।
8,050 क्विंटल के लिए देय राशि = ₹ 4,062.83 x 8,050 = ₹ 3,27,05,781 अथवा ₹ 3.27 करोड़।

ठेकेदार को दिया गया। मुख्य अभियंता ने अतिरिक्त मदों की प्रमात्रा निर्दिष्ट किए बिना अनुबंध में बढ़ोतरी की तथा ₹ 14.06 करोड़ की प्रारंभिक अनुबंध राशि से इतर अनियमित भुगतान हुआ। इन अनियमितताओं के कारण कार्य पूर्ण करने के लिए लागत और समय में वृद्धि हो गयी, क्योंकि पूर्ण कार्य के लिए स्वीकृत राशि ₹ 21.50 करोड़ का व्यय होने के बाद कार्य केवल नींव स्तर तक ही निष्पादित किया गया था। विस्तृत अनुमान अनुमोदित न होने के कारण राशि की कमी होने से मार्च 2017 के बाद कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई।

इस मामले में विभिन्न प्रक्रियात्मक खामियों के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है, जिनके कारण कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि के दो वर्षों के बाद, ₹ 21.50 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् भी कार्य अधूरा था।

3.20 इनडोर स्टेडियम की निर्माण लागत में वृद्धि और अनुबंध में अनियमित संशोधन

ठेके की प्रदानगी के बाद निर्माण कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के कारण इनडोर स्टेडियम के निर्माण की लागत ₹ 15 करोड़ बढ़ गई। नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्य की नई मदों को जोड़कर परियोजना लागत में वृद्धि की गई। कार्य, पूर्णता की निर्धारित तिथि के तीन वर्षों से अधिक समय बीतने तथा ₹ 20.39 करोड़ का व्यय करने के बाद भी अपूर्ण रहा।

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड का अनुच्छेद 16.38.1 के अनुसार, कार्य में तदर्थ या बिना विचार किये गए बदलाव लागत बढ़ाने वाले कई कारकों में से एक हैं जिनका परिहार अच्छी योजना, प्रतिबद्धता और कुशलता से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कोड के अनुच्छेद 9.3.10 के अनुसार यदि व्यय मूल अनुमान से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना हो तो संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी अर्थात् चेयरमैन, एच.एस.वी.पी. की अध्यक्षता वाली उप-समिति से प्राप्त किया जाना चाहिए।

प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक (मार्च 2010) में निर्माण स्थल पर मौजूद अपूर्ण ढांचे¹²⁶ का उपयोग करके न्यूनतम व्यय पर सैक्टर 12, फरीदाबाद में खेल परिसर में एक इनडोर स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया गया था। वास्तुकला डिजाइन के लिए नियुक्त किये गए सलाहकार ने ₹ 25 करोड़ का अनुमान प्रस्तुत किया। उप निदेशक खेल, गुरुग्राम द्वारा अनुमान को उचित नहीं पाया गया क्योंकि उपलब्ध आयाम अंतर्राष्ट्रीय इनडोर खेलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तत्पश्चात, एच.एस.वी.पी. की उप-समिति¹²⁷ ने वातानुकूलन का प्रावधान हटाकर और राष्ट्रीय

¹²⁶ नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा 1995-96 में काम शुरू किया गया था, लेकिन ₹ 65.00 लाख के व्यय के बाद निधियों की कमी के कारण भवन पूरा नहीं हो सका।

¹²⁷ एच.एस.वी.पी. की उप-समिति का गठन चेयरमैन, एच.एस.वी.पी. की अध्यक्षता में किया गया था एवं इसके सदस्य वित्तियुक्त, वित्त; वित्तियुक्त, नगर एवं ग्राम आयोजना; मुख्य प्रशासक, एच.एस.वी.पी.; प्रमुख अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग; और प्रमुख अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) थे।

प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र द्वारा परिशोधित संरचनात्मक खाका के आधार पर ₹ 17.04 करोड़ के अनुमान को प्रशासनिक तौर पर अनुमोदित कर दिया (मार्च 2013)।

मुख्य अभियंता, द्वारा ₹ 12.45 करोड़ के लिए डी.एन.आई.टी. का अनुमोदन किया गया (अप्रैल 2013) और मई 2013 में निविदा खोले गए। कार्यकारी अभियंता, मंडल सं.-III, एच.एस.वी.पी., फरीदाबाद ने 12 महीनों की समय-सीमा के साथ जुलाई 2013 में ₹ 13.67 करोड़ (सीलिंग प्रीमियम से 10 प्रतिशत अधिक) के लिए न्यूनतम निविदाकार को कार्य आबंटित कर दिया।

मुख्य अभियंता, एच.एस.वी.पी. द्वारा अनुबंध को जनवरी 2016 में ₹ 17.55 करोड़ और जनवरी 2018 में ₹ 27.46 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। एजेंसी को अगस्त 2017 में 22वें रनिंग बिल तक ₹ 19.74 करोड़ का भुगतान किया गया था। कार्य मार्च 2018 अर्थात् पूर्णता की निर्धारित तिथि के तीन वर्षों से अधिक समय बीतने के बाद अपूर्ण था। नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा किए गए ₹ 0.65 करोड़ के व्यय सहित कार्य पर कुल ₹ 20.39 करोड़ व्यय किया गया (मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नानुसार अनियमितताएं पायी गईं:

(i) मुख्य प्रशासक और प्रशासक, एच.एस.वी.पी. ने प्रोजेक्ट की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उप-समिति को मामला भेजने के बजाय पांच अलग-अलग प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान करके कार्य का विस्तार ₹ 17.04 करोड़ से ₹ 32.04 करोड़ तक बढ़ा दिया। इस प्रकार, पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 9.3.10 के प्रावधानों एवं एच.एस.वी.पी. द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों¹²⁸ का उल्लंघन किया गया जैसा कि तालिका 3.23 में वर्णित है:

तालिका 3.23 पांच प्रशासनिक स्वीकृतियों का विवरण

कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी	स्वीकृति की तिथि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (₹ लाख में)
टाउन पार्क रिमोडलिंग और सौंदर्यकरण	प्रशासक, एच.एस.वी.पी.,	03.06.2015	48.35
टाउन पार्क का सौंदर्यकरण और पुनर्विकास	फरीदाबाद	17.12.2015	86.00
इनडोर स्टेडियम की वातानुकूलन	मुख्य प्रशासक, एच.एस.वी.पी., पंचकूला	02.02.2016	372.90
टायलेट ब्लॉक, प्रवेश द्वार, पार्किंग इत्यादि का निर्माण		20.05.2016	266.30
इनडोर स्टेडियम निर्माण में बकाया कार्य		28.11.2017	726.10
कुल			1,499.65

(स्रोत: विभागीय अभिलेख से ली गई सूचना)

(ii) इस इनडोर स्टेडियम को वातानुकूलित करने की आवश्यक नहीं थी क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार वातानुकूलित हॉल बिजली की भारी खपत करते हैं और वातानुकूलन का प्रस्ताव वहीं होना चाहिए जहां राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें। प्रस्तुत मामले में, उपलब्ध आयाम अंतर्राष्ट्रीय इनडोर खेलों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं थे इसीलिए उप-समिति ने वातानुकूलन के प्रावधान

¹²⁸ एच.एस.वी.पी. के अधिनियम, 1977 की धारा 51 के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार ₹ 20 करोड़ से अधिक के कार्यों को चेयरमैन, एच.एस.वी.पी. की अध्यक्षता वाली उप-समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

को हटा कर अनुमान को ₹ 17.04 करोड़ तक सीमित कर दिया था। मुख्य प्रशासक, एच.एस.वी.पी. द्वारा वातानुकूलन के प्रावधान के कारण प्रोजेक्ट की लागत ₹ 5.79 करोड़¹²⁹ की बढ़ोतरी हुई।

(iii) लॉयड कंपनी की 150 जी.एस.एम. गैलवैल्यूम स्टील शीट द्वारा इंसुलेशन प्रदान करने का कार्य (गैर-अनुसूचित मद) ₹ 2,508 प्रति वर्गमीटर की दर पर ठेकेदार को आबंटित किया गया। इंसुलेशन केवल छत पर प्रदान किया जाना था अर्थात् 3,610 वर्गमीटर जो बाद में बढ़ाकर 7,802 वर्गमीटर कर दिया गया क्योंकि दीवारों को भी वातानुकूलन के कारण शामिल कर लिया गया। उप-ठेकेदार ने ₹ 1,709 प्रति वर्गमीटर की दर से कार्य आरंभ किया और कार्य के मूल्य पर ठेकेदार का 10 प्रतिशत लाभ जोड़कर अर्थात् ₹ 1,880 प्रति वर्गमीटर की दर पर मुख्य ठेकेदार को भुगतान किया जाना चाहिए था। परंतु ठेकेदार को ₹ 2,508 प्रति वर्गमीटर अर्थात् अतिरिक्त ₹ 628 प्रति वर्गमीटर, की दर से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने भुगतान किया जो दर्शाता है कि विभाग ने बाजार सर्वेक्षण समुचित रूप से नहीं किया था।

मुख्य प्रशासक, एच.एस.वी.पी. ने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर (अक्टूबर 2018) में यह बताया कि शेष कार्यों, वातानुकूलन और अन्य कार्यों के लिए अलग-अलग अनुमान बनाये गए थे और सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदित करवाए गए थे। प्रारंभ में, आंशिक रूप से निर्मित इनडोर स्टेडियम की इमारत के आयाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं थे परंतु सलाहकार ने अंतर्राष्ट्रीय इनडोर खेलों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुमान प्रस्तुत किया और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति ली गई। मैसर्ज लॉयड इंसुलेशन (इंडिया) लिमिटेड ने बाजार दरों की तुलना में कम दरों पर अति उत्तम गुणवत्ता का कार्य किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परियोजना लागत को 15 करोड़ अर्थात् ₹ 17.04 करोड़ से ₹ 32.04 करोड़ तक बढ़ाने के लिए एच.एस.वी.पी. की उप-समिति से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। यह अनियमित था और पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 9.3.10 और एच.एस.वी.पी. द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन है। आयाम अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अनुकूल नहीं थे और एयर कंडीशनिंग का प्रावधान करने से पहले उप समिति से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। आगे, दीवार के इंसुलेशन की दरें समुचित बाजार सर्वेक्षण के बाद तैयार नहीं की गई थी क्योंकि उप-अनुबंध डी.एन.आई.टी. दरों से कम थे। कार्य, जिसे जून 2014 में पूर्ण किया जाना चाहिए था, उसे पूर्णता की निर्धारित तिथि के लगभग चार वर्ष बीतने और ₹ 20.39 करोड़ का व्यय करने के बाद भी अभी तक (मार्च 2018) पूरा किया जाना था।

¹²⁹ वातानुकूलन की लागत: ₹ 3.73 करोड़; दीवार इंसुलेशन की लागत: ₹ 0.95 करोड़ और बाहरी दीवार पर स्पैन्ड्रेल ग्लास की लागत: ₹ 1.11 करोड़।

3.21 एक अयोग्य ठेकेदार को अनुबंध में संवर्धन के माध्यम से कार्यों का आबंटन

एच.एस.वी.पी. द्वारा अनुबंध में ₹ 9.54 करोड़ से ₹ 52.15 करोड़ तक की अनियमित बढ़ोतरी की गई। निविदा आमंत्रित किए बिना, बढ़ोतरी द्वारा अतिरिक्त सड़कों के निर्माण का कार्य एक अयोग्य ठेकेदार को आबंटित किया गया। समग्र कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा भी तय नहीं की गई। ठेकेदार द्वारा दो वर्षों में केवल छः प्रतिशत सड़क का निर्माण किया गया। ₹ 2.60 करोड़ की निष्पादन गारंटी प्राप्त न करने के कारण सरकारी हित अरक्षित रहे।

राज्य पी.डब्ल्यू.डी. कोड में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी से विस्तृत अनुमान के स्वीकृति के बाद, प्रतिस्पर्धी निविदाएं आमंत्रित करके ही कार्य का आबंटन किया जा सकता है। कोड के अनुच्छेद 14.7.2 में विनिर्दिष्ट है कि निविदाकार की योग्यता का आकलन अनुभव, पिछले प्रदर्शन और तकनीकी एवं वित्तीय क्षमताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 13.12.1 के अनुसार कार्य की संतोषप्रद पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार से अनुबंध राशि के पांच प्रतिशत के बराबर निष्पादन गारंटी प्राप्त करनी अनिवार्य है।

प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की अध्यक्षता में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की एक समिति द्वारा में गुरुग्राम-मानेसर शहरी परिसर में सैक्टर 99 से 115 के लिए मुख्य सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 212.55 करोड़ की प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2011)। मुख्य अभियंता, एच.एस.वी.पी. द्वारा गुरुग्राम के सैक्टर 101 और 104 की 30,190 वर्गमीटर विभाजक सड़क के निर्माण के लिए ₹ 13 करोड़ का डी.एन.आई.टी. स्वीकृत किया गया (अक्टूबर 2014)। कार्यकारी अभियंता, एच.एस.वी.पी. मंडल संख्या-V, गुरुग्राम द्वारा मार्च 2015 में निविदाएं आमंत्रित की गईं जिसमें सात निविदाकारों ने भाग लिया तथा कार्य अप्रैल 2015 में न्यूनतम निविदाकार¹³⁰ को ₹ 9.54 करोड़ अर्थात् डी.एन.आई.टी. राशि से 25.99 प्रतिशत कम पर आबंटित किया गया। कार्य पूर्ण करने के लिए नौ महीनों (जनवरी 2016 तक) की समय-सीमा निर्धारित की गई। कार्य के पूर्ण होने से पहले ही मुख्य अभियंता-II, एच.एस.वी.पी. ने दूसरा सड़क निर्माण कार्य अर्थात् सैक्टर 103 और 106 की विभाजक सड़क, उसी ठेकेदार को कार्य का दायरा 30,190 वर्गमीटर सड़क से बढ़ाकर 75,080 वर्गमीटर और अनुबंध में ₹ 22.97 करोड़ तक संवर्धन कर आबंटित कर दिया (नवंबर 2016)। इसके पश्चात् मुख्य अभियंता-I, एच.एस.वी.पी. ने सैक्टर 114 और 115 की विभाजक सड़क को जोड़ते हुए कार्य के दायरे को 75,080 वर्गमीटर सड़क से बढ़ाकर 1,86,674 वर्गमीटर करते हुए अनुबंध को ₹ 44.25 करोड़ तक संवर्धित कर दिया (फरवरी 2017) और फिर जुलाई 2017 में एक अन्य सड़क सैक्टर 69 और 70 की विभाजक को जोड़ते हुए अनुबंध को ₹ 52.15 करोड़ तक (अनुमानित लागत ₹ 70.46 करोड़¹³¹) संवर्धित कर दिया। इस प्रकार कार्य के दायरे को

¹³⁰ श्री एस.के. मितल, ठेकेदार।

¹³¹ (₹ 52.15 करोड़ X 100)/74.01 = ₹ 70.46 करोड़।

2.20 लाख वर्गमीटर सड़क निर्माण के लिए बढ़ा दिया गया। एजेंसी ने जून 2017 तक ₹ 8.54 करोड़ की राशि का कार्य निष्पादित किया और फरवरी 2017 तक आबंटित 1.87 लाख वर्गमीटर सड़क में से केवल 12,800 वर्गमीटर सड़क (सात प्रतिशत) का निर्माण किया।

निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

(i) पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 9.5.1 के अनुसार प्रत्येक सड़क कार्य के लिए विस्तृत अनुमान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है। आगे, कोड के अनुच्छेद 9.3.10 के अनुसार यदि व्यय मूल अनुमान से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना है तो सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए और कोड के अनुच्छेद 13.7.2 के अनुसार प्रत्येक सड़क कार्य के लिए अत्यधिक पारदर्शी ढंग से निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए। **तथापि, एच.एस.वी.पी. ने अतिरिक्त सड़क निर्माण कार्यों के लिए न तो विस्तृत अनुमान तैयार किए और न ही प्रत्येक अतिरिक्त कार्य के लिए प्रतिस्पर्धी निविदाएं आमंत्रित कीं।** ये सभी निर्माण कार्य अनुबंध मूल्य को ₹ 9.54 करोड़ से ₹ 52.15 करोड़ तक संवर्धित करके पहली निविदा में जोड़े गए। यह ठेकेदार को अदेय लाभ पहुंचाने के समान है तथा निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बोली की भावना के विरुद्ध जाता है। इसके अतिरिक्त, तीसरे संवर्धन के माध्यम से सैक्टर 69 और 70 की विभाजक सड़क इस प्रोजेक्ट¹³² का हिस्सा भी नहीं थी।

(ii) ठेकेदार को ₹ 70.46 करोड़ के मूल्य के निर्माण कार्य आबंटित किये गए थे, इसके लिए योग्यता मानदंड¹³³ के अनुसार, निविदाकार द्वारा एक अनुबंध के अंतर्गत कार्य की लागत के कम से कम ₹ 56.37 करोड़ (80 प्रतिशत) समान प्रकृति का कार्य पूर्ण होना चाहिए था। परन्तु, बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा के अनुसार एक निविदा के अंतर्गत केवल ₹ 22 करोड़ का एक कार्य पूर्ण किया गया था। इस प्रकार, निविदाकार डी.एन.आई.टी. की निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार इतने उच्च मूल्य अनुबंध के लिए पात्र नहीं था।

(iii) अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिटुमन का प्रबंध ठेकेदार द्वारा किया जाना था और सितंबर 2014 की बिटुमन की दरों अर्थात् (₹ 52,264 प्रति मीट्रिक टन) के आधार पर अप्रैल 2015 में पहला कार्य आबंटित किया गया। तथापि, बिटुमन की दरें सितंबर 2014 से घटनी शुरू हो गईं और निविदा के बंद होने की तिथि अर्थात् 10 मार्च 2015 तक घटकर ₹ 38,126 प्रति मीट्रिक टन (27 प्रतिशत कमी) हो गईं। यह पाया गया कि नवंबर 2016 में प्रथम कार्य संवर्धन और जुलाई 2017 में अंतिम संवर्धन के मध्य, बिटुमन की दरें सितंबर 2014 की दरों की तुलना में घटकर ₹ 36,132 प्रति मीट्रिक टन (31 प्रतिशत कमी) और ₹ 29,696 प्रति मीट्रिक टन (43 प्रतिशत कमी) हो गईं। निष्पादित की जाने वाली विभिन्न बिटुमन वाली मर्दों की मात्रा के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि अक्टूबर 2014 और अंतिम संवर्धन की तिथि

¹³² गुरुग्राम में सैक्टर 69 और 70 के मध्य मुख्य सड़क के लिए मुख्य कैरिज-वे और ड्रेन के निर्माण कार्य के लिए मुख्य प्रशासक द्वारा मई 2017 में ₹ 8.77 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

¹³³ बोलीदाता को एक अनुबंध के अंतर्गत समान प्रकृति का कार्य, जो कार्य के मूल्य के 80 प्रतिशत से कम न हो, किया होना चाहिए था। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा के अनुसार ₹ 22 करोड़ का कार्य एकल अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित किया गया।

(जुलाई 2017) के मध्य लागत में ₹ 3.81 करोड़ की कमी हुई। दरों में इस कमी को नजरअंदाज किया गया था और संवर्धन के समय, मौजूद घटी हुई दरों के आधार पर नई निविदाएं आमंत्रित करने की बजाय अनुबंध में बार-बार संवर्धन किया गया था।

(iv) पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 13.6.6 में प्रावधान है कि किसी कार्य के पूरा होने की समय अवधि एक महत्वपूर्ण अनुबंध डाटा है और इसे मनमाने ढंग से तय नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य अभियंता, एच.एस.वी.पी. ने कार्य को ₹ 9.54 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 52.15 करोड़ कर दिया और अतिरिक्त कार्य उसी ठेकेदार को बिना नई निविदाएं आमंत्रित करके तुरंत आवश्यकता के तर्क पर आबंटित किया। तथापि, निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा/पूर्णता तिथि निर्धारित नहीं की गई थी।

(v) पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 13.12.1 की अपेक्षा के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य की संतोषजनक पूर्णता सुनिश्चित करने और सरकार के हितों की सुरक्षा के लिए ठेकेदार से ₹ 2.60 करोड़ (₹ 52.15 करोड़ के अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत) की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में, मुख्य प्रशासक, एच.एस.वी.पी. ने बताया (अप्रैल 2018) कि मूल डी.एन.आई.टी. के अनुसार ठेकेदार ₹ 13 करोड़ के लिए पात्र था। अनुबंध में अतिरिक्त निर्माण कार्य की अत्यावश्यकता और ठेकेदार की कम दरों के कारण जोड़ा गया तथा निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में खाली साइट की उपलब्धता के अनुसार निष्पादित किए जा रहे थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि प्रत्येक सड़क कार्य एक पृथक कार्य था और पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद क्रमशः 9.5.1 और 13.7.2 के अनुसार प्रत्येक सड़क के लिए विस्तृत अनुमान तैयार करके और अधिकतम पारदर्शी ढंग से निविदा आमंत्रित करने के बाद आबंटित किया जाना अपेक्षित था। अनुबंध को ₹ 9.54 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 52.15 करोड़ करना अनियमित तथा स्वैच्छिक था। इसके अतिरिक्त, डी.एन.आई.टी. में निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार, ठेकेदार इतने बड़े कार्य की बोली लगाने के लिए पात्र नहीं था। अत्यावश्यकता का तर्क भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य, पी.डब्ल्यू.डी. कोड¹³⁴ के अनुच्छेद 17.1.1 में दिए गए आपातकालीन स्थिति के मानदंड की शर्त को पूरा नहीं करता है। ठेकेदार ने जून 2017 तक केवल छः प्रतिशत सड़क (2,19,964 वर्गमीटर के विरुद्ध 12,800 वर्गमीटर) का निर्माण किया था और समग्र कार्य की पूर्णता के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2014 से बिटुमन की दरों में लगातार कमी के बावजूद, संशोधित अनुमान तैयार किए बिना अतिरिक्त सड़क कार्यों का आबंटन उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त, सरकारी हित असुरक्षित रहे क्योंकि ठेकेदार से ₹ 2.60 करोड़ की निष्पादन गारंटी प्राप्त नहीं की गई थी।

¹³⁴ पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुसार आपातकालीन स्थितियां हैं: भवन का ढहना, पुल की विफलता, बाढ़, बाढ़ या भूस्खलन के कारण टूटने, अत्यधिक निपटान या राजमार्ग के अवरुद्ध होने, भवन में आग लगने, नहर के टूटने, वीयर/बांध में दरारें, संरचनात्मक संकट, भूकंप, चक्रवात, आतंकवादी हमला, दंगे और हमले और रुकावटें।

विभाग द्वारा कोडल प्रावधानों का उल्लंघन करके निर्माण कार्य आबंटन करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत करने पर विचार किया जा सकता है।

मामला राज्य सरकार के पास भेजा गया था (मई 2018) तथा जुलाई 2018 में स्मरण-पत्र जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।

3.22 भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण अपूर्ण जलापूर्ति स्कीमें

भूमि के अधिग्रहण के बिना निर्माण कार्यों का आबंटन और परियोजनाओं के लिए बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण गुरुग्राम और सोनीपत में मुख्य जलापूर्ति परियोजनाएं अपूर्ण रहीं। जिससे ₹ 300.76 करोड़ का व्यय का अनुपयोगी रहा और बिना बिछाए पाइपों पर भुगतान से ₹ 26.35 करोड़ का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त, पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार द्वारा 8.75 एकड़ भूमि खरीदने के लिए अनियमित प्रावधान वाली दोषपूर्ण डी.एन.आई.टी. के कारण सोनीपत में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. कोड (कोड) के अनुच्छेद 10.1.3, 10.4.1 और 15.1.4 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी परियोजना का अनुमान तैयार करते समय, उपभोक्ता/प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र की स्थिति और भूमि पर कब्जे की स्थिति जांचने के लिए साइट का निरीक्षण किया जाना चाहिए। पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुच्छेद 12.1.2 में प्रावधान है कि जब भी निर्माण कार्य के लिए निजी पार्टियों की भूमि की आवश्यकता होती है, तो उसे सरकार द्वारा उसे अधिग्रहित किया जाना चाहिए। यदि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना हो, तो राज्य सरकार द्वारा हरियाणा भूमिगत पाइपलाइन (भूमि को उपयोग करने के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत उपयोग करने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की अध्यक्षता में एच.एस.वी.पी. की उप-समिति ने अर्बन एस्टेट, गुरुग्राम के सैक्टर 58 से 115 (जोन IV से VIII) में मुख्य जलापूर्ति वितरण पाइपलाइन के लिए ₹ 498.05 करोड़ के अनुमान को प्रशासनिक रूप से स्वीकृत किया (जनवरी 2012)।

कार्यकारी अभियंता, मंडल संख्या III, गुरुग्राम के लेखाओं की लेखापरीक्षा (सितंबर 2017) के दौरान यह पाया गया कि 119.16 किलोमीटर डकटाइल ऑयरन (डी.आई.) पाइपलाइन बिछाने का कार्य दिसंबर 2012 और अगस्त 2014 के मध्य ₹ 295.95 करोड़ के लिए तीन ठेकेदारों को आबंटित किया गया था। ठेकेदारों ने मार्च 2018 तक केवल 81.33 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई थी जैसा कि तालिका 3.24 में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.24: कार्य की स्थिति का विवरण।

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	डी.एन.आई.टी. राशि	अनुबंध राशि	भुगतान की गई राशि	बिछाई जाने वाली पाइपलाइन की कुल लंबाई	बिछाई गई पाइपलाइन (मार्च 2018)	आबंटन की तिथि/पूर्णता की लक्षित तिथि
		(₹ करोड़ में)			(किलोमीटर में.)		
ए	मैसर्ज साई सुधीर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	176.10	144.40	126.25	32.72	28.65	दिसंबर 2012/ सितंबर 2014
बी	मैसर्ज जिंदल सॉ लिमिटेड	76.10	79.78	74.30	72.22	38.94	मार्च 2013/ मार्च 2014
सी	मैसर्ज तिरुपति सीमेंट उत्पाद	76.30	71.77	66.63	14.22	13.74	अगस्त 2014/ नवंबर 2015
कुल		328.50	295.95	267.18	119.16	81.33	

(स्रोत: विभागीय अभिलेख से ली गई सूचना)

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गईं:

- प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रफ़ कॉस्ट एस्टीमेट की प्रस्तुति के समय (जनवरी 2012), यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि जिस क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया हो, उसके लिए पाइपलाइन बिछाने का काम आबंटित नहीं किया जाएगा। तथापि, उन क्षेत्रों के लिए भी कार्य आबंटित किया गया था जहां अभी भूमि का अधिग्रहण किया जाना शेष था। 37.83 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण तथा रेलवे लाइनों, सड़कों आदि को पार करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण परियोजना अधूरी रह गई। ₹ 267.18 करोड़ के कुल भुगतान में से ₹ 23.02 करोड़ का भुगतान 13.60 किलोमीटर पाइपलाइन के लिए किया गया था जिसे साइट पर लाया गया था, लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे नहीं बिछाया जा सका।
- कार्यकारी अभियंता ने डी.एन.आई.टी. में यथानिर्दिष्ट डी.आई. पाइप की बजाय 9,000 मीटर लंबाई में 900 से 1,200 मिलीमीटर आकार के एम.एस. पाइप बिछाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें ₹ पांच करोड़ का अतिरिक्त व्यय शामिल था। मुख्य अभियंता ने विस्तृत अनुमान प्राप्त किए बिना और इस तथ्य के बावजूद कि ₹ चार करोड़ से अधिक लागत के कार्य के लिए विस्तृत अनुमान की तकनीकी संस्वीकृति प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति द्वारा प्रदान की जानी थी, अनुमोदन प्रदान कर दिया (मई 2014)। आगे, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ₹ पांच करोड़ के अनुमोदन के विरुद्ध ₹ 6.11 करोड़ का व्यय पहले ही 9,000 मीटर में से केवल 7,431 मीटर की एम.एस. पाइप बिछाने के लिए किया जा चुका था।
- कार्यकारी अभियंता ने 800 मीटर के डी.एन.आई.टी. प्रावधान के विरुद्ध 'ट्रैचलेस टैक्नोलॉजी' के माध्यम से 1,684.88 मीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए भुगतान किए।

इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 3.18 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ। इस विपथन के लिए तकनीकी समिति से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

मुख्य प्रशासक, एच.एस.वी.पी. ने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदत्त किया (अक्टूबर 2018) जिसमें बताया गया कि लगभग 84 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई जिसमें से 15 किलोमीटर पाइपलाइन को चालित कर दिया गया था और आगे बताया गया कि जनवरी 2019 के अंत तक सभी लाइनों को चालित कर दिया जायेगा।

तथ्य यह है कि निर्माण कार्य भूमि के अधिग्रहण के बिना और परियोजना के लिए बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता के बिना आबंटित किए गए थे। पूर्णता की निर्धारित तिथियों से तीन वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, **परियोजना अपूर्ण रह गई और ₹ 244.16 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।** रेलवे लाइन को पार करने के लिए रेलवे से अनुमोदन के अभाव में इस स्कीम को अभी तक चालित नहीं किया गया है और बिछाई गई पाइपलाइनों को पानी के स्रोत के साथ जोड़ा नहीं गया है। आगे, पाइपों पर ₹ 23.02 करोड़ की निधियों का अवरोधन था जिन्हें अभी उपयोग में लाया जाना था। इसके अतिरिक्त, पी.डब्ल्यू.डी. कोड के उल्लंघन में संशोधित तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त किए बिना मूल कार्य से महत्वपूर्ण विपथन किया गया था।

(ख) अर्बन एस्टेट, सोनीपत के विभिन्न विकासाधीन सैक्टरों में मास्टर जलापूर्ति स्कीम¹³⁵ प्रदान करने के लिए ₹ 78.15 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (अक्टूबर 2013) थी। स्कीम के लिए डी.एन.आई.टी. को मुख्य अभियंता, एच.एस.वी.पी. द्वारा ₹ 65.66 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया था (अक्टूबर 2013)। यह पाया गया था कि डी.एन.आई.टी. में कुल 33.50 किलोमीटर पाइपलाइन में से 8.03 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार द्वारा स्वयं 8.75 एकड़ निजी भूमि खरीदने के लिए एक प्रावधान शामिल था। चार संभावित

¹³⁵ अर्बन एस्टेट, सोनीपत में मुख्य जलापूर्ति स्कीम प्रदान करना - मुरथल ब्लॉक के गांव मेंहदीपुर के पास मुख्य बूस्टिंग स्टेशन से एन.एच-1 को पार करने के बाद अर्बन एस्टेट, सोनीपत में सैक्टर 2, 3, 5 से 19, 26 और 27 इत्यादि में बूस्टिंग स्टेशनों तक ट्रांसमिशन लाइनें। 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, 350 मिलीमीटर, 400 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर, 700 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर और 1100 मिलीमीटर की डी.आई. पाइप लाइन प्रदान करने, बिछाने, जोड़ने एवं परीक्षण के साथ-साथ डी.आई. स्लुइस वाल्व, सी.आई. स्पेशलज, डी.आई. एयर वाल्व, डी.आई. जीरो वेलोसिटी वाल्व प्रदान करने एवं लगाने तथा तीन माह की दोष देयता अवधि के पूरा होने के बाद चालू करने की तिथि से पांच वर्षों के लिए रख-रखाव और उनकी आकस्मिकता से संबंधित अन्य सभी कार्य।

निविदाकारों¹³⁶ ने इस धारा के प्रति संदेह व्यक्त किया और भूमि खरीदने में कठिनाई व्यक्त की। फिर भी राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने या उपलब्ध भूमि के अनुसार संशोधित संरेखण प्रदान करने के बजाय, इस धारा को डी.एन.आई.टी. में बनाए रखा गया।

कार्य की निविदा 27 नवंबर 2013 को खोली गई, परन्तु कोई बोलीदाता आगे नहीं आया। जब पुनः निविदा आमंत्रित की गई तो केवल एक ठेकेदार मैसर्स बृज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डी.एन.आई.टी. राशि से 30 प्रतिशत अधिक के प्रस्ताव के साथ भाग लिया। मोल भाव के बाद, परियोजना की पूर्णता के लिए 15 महीनों की समय-सीमा के साथ डी.एन.आई.टी. दरों से 16.025 प्रतिशत अधिक पर ₹ 76.18 करोड़ के लिए कार्य आबंधित कर दिया गया (जनवरी 2014)।

कार्यकारी अभियंता, एच.एस.वी.पी. मंडल, सोनीपत के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि ठेकेदार भूमि नहीं खरीद सका और कार्यकारी अभियंता ने छः गांवों में स्थित 8.75 एकड़ भूमि के प्रयोक्ता अधिकारों के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी रोहतक से अनुरोध किया (अगस्त 2016)। अंततः अलाइनमेंट में परिवर्तन करके एच.एस.वी.पी. भूमि में पाइपलाइन बिछाया गया था (नवंबर 2017)। जनवरी 2018 तक ठेकेदार को 30.70 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए ₹ 59.93 करोड़ का भुगतान किया गया। इस भुगतान में श्रम प्रभार सहित 4.69 किलोमीटर पाइप के लिए ₹ 3.33 करोड़ शामिल थे, जबकि इस लंबाई की पाइप अभी बिछाई जानी थी। कार्यकारी अभियंता ने बताया (अप्रैल 2018) कि पाइपलाइन की अलाइनमेंट में परिवर्तन, जो कि भूमि अधिग्रहण में विफलता के कारण आवश्यक किया गया था और पाइपलाइन बिछाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमति न देने के कारण परियोजना पूर्ण नहीं की जा सकी।

आगे, डी.एन.आई.टी. में डी.आई. पाइपों के लिए ली गई दरें निदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डी.एस.एंड डी.) की 2013-14 की वार्षिक ठेका दर की तुलना में अधिक थी। यह देखा गया था कि पाइपों की उच्च दरें लेने के कारण डी.एन.आई.टी. में ₹ 9.05 करोड़ की बढ़ोतरी हुई जैसा कि तालिका 3.25 में विवरण दिया गया है:

¹³⁶ (i) मैसर्स ज्योति बिल्ड टैक (प्राइवेट) लिमिटेड, नोएडा, (ii) मैसर्स तिरुपति सीमेंट प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली, (iii) मैसर्स एस.एस.जी. इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली तथा (iv) मैसर्स बृज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली।

तालिका 3.25: डी.एन.आई.टी. में ली गई पाइपों की अधिक लागत का विवरण

पाइप का आकार (मिलीमीटर में)	डी.एन.आई.टी. के अनुसार प्रतिमीटर दर (₹ में)	डी.एस.एंड डी के ठेके दर के अनुसार दर (₹ में)	बिछाने, काटने, जोड़ने के लिए श्रम दरें (₹ में)	लेड एवं यार्न की लागत (₹ में)	प्रतिमीटर दर जो डी.एन.आई.टी. में ली जाने चाहिए थी (₹ में)	दरों में प्रतिमीटर अंतर (₹ में)	डी.एन.आई.टी. में पाइपों का प्रावधान (मीटर में)	डी.एन.आई.टी. में ली गई अधिक लागत (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (3+4+5)	(7) (6-2)	(8)	(9) (7*8)
250	2,720	1,969	32.93	24.84	2,026.77	693.23	380	2.63
300	3,440	2,499	40.99	29.52	2,569.51	870.49	5,385	46.88
350	4,180	3,129	58.46	34.41	3,221.87	958.13	2,775	26.59
400	5,945	3,759	70.80	39.12	3,868.92	2,076.10	1,905	39.55
500	6,990	5,089	106.27	61.26	5,256.53	1,733.50	1,145	19.85
600	9,140	6,739	140.59	77.41	6,957.00	2,183.00	1,270	27.72
700	11,785	8,669	710.00	102.50	9,481.50	2,303.50	2,840	65.42
800	14,515	10,749	940.00	131.80	11,820.80	2,694.20	2,530	68.16
900	17,660	13,059	1,230.00	165.00	14,454.00	3,206.00	475	15.23
1,000	21,405	15,579	1,585.00	214.80	17,378.80	4,026.20	14,717	592.54
कुल							33,422	904.57

(स्रोत: विभागीय अभिलेख से ली गई सूचना)

मुख्य प्रशासक, एच.एस.वी.पी. ने राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2018) जिसमें यह बताया कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहित नहीं कर सकती क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षितानुसार 80 प्रतिशत भूमि मालिकों से सहमति प्राप्त नहीं की जा सकती। आगे, पाइपों की डी.एन.आई.टी. दरों को प्रचलित बाजार दरों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें वैट, उत्पाद शुल्क, भाड़ा प्रभार और ठेकेदार का लाभ शामिल था।

33.50 किलोमीटर पाइपलाइन में से 8.03 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार द्वारा 8.75 एकड़ भूमि खरीदने के प्रावधान ने प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि केवल एक बोलीदाता ने भाग लिया। इसके कारण निर्धारित तिथि से तीन वर्षों के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ क्योंकि ठेकेदार भूमि खरीदने में विफल रहा, और कार्य पर ₹ 56.60 करोड़ का व्यय निष्फल रहा तथा अभी तक न बिछाई गई पाइप पर ₹ 3.33 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ। डी.एस. एंड डी. की अनुमोदित दरों में उत्पाद शुल्क, भाड़ा प्रभार, अनलोडिंग प्रभार इत्यादि शामिल थे। डी.एन.आई.टी. में डी.आई. पाइपों की उच्चतर दरों के कारण परियोजना की लागत में ₹ 9.05 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई।

इस प्रकार, भूमि के अधिग्रहित किये बिना निर्माण कार्यों का आबंटन और परियोजनाओं के लिए बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण, गुरुग्राम और सोनीपत में मास्टर जलापूर्ति परियोजनाएं अपूर्ण रहीं और ₹ 300.76 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा और अभी तक न बिछाई गई पाइपों पर ₹ 26.35 करोड़ का अवरोधन हुआ।

परिवहन विभाग

3.23 बसों का कम उपयोग

कार्यशाला सुविधाओं/मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उन्नत किए बिना तथा वार्षिक रख-रखाव अनुबंध का प्रबंध किए बिना उच्च तकनीकी विशिष्टताओं वाली बसें खरीदने से 418 में से 317 बसों का कम उपयोग हुआ और इसके फलस्वरूप ₹ 48.81 करोड़ की हानि हुई। विभाग ने ऑफ-रोड बसों के बीमा और रोड टैक्स के लिए ₹ 1.91 करोड़ का भुगतान किया, जो कि परिहार्य था।

राज्य सरकार के निर्देशों (जून 2013) के अनुसार, सात लाख किलोमीटर (कि.मी.) और आठ साल पूरे होने पर बसों को ऑफ-रोड किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने जनवरी 2006 से अप्रैल 2012 के मध्य ₹ 110.26 करोड़ की लागत पर खरीदी गई 418 बसों के परिचालन किलोमीटर उपयोग का आकलन करने के लिए अभिलेखों की जांच की। 418 बसों में से 317 बसों को लगभग 46 प्रतिशत¹³⁷ के औसत उपयोग के बाद समय से पहले ऑफ-रोड¹³⁸ कर दिया गया था, जैसाकि तालिका 3.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.26: बसों के उपयोग के विवरण

	बसों की संख्या					
	सी.एन.जी. साधारण बसें	सी.एन.जी. सेमी-लो फ्लोर बसें	सी.एन.जी. लो-फ्लोर ए.सी. बसें	ए.सी. बसें	मिनी बसें	कुल
खरीदी गई बसों की कुल संख्या	250	115	10	37	6	418
मेक	टाटा और अशोक लेलैंड	टाटा और अशोक लेलैंड	जे.सी.बी.एल.	अशोक लेलैंड	स्वराज माजदा	
प्रति बस औसत लागत (₹ लाख में)	16.45	45.69	46.59	30.52	10.50	
कवर किए गए किलोमीटर						
एक लाख से कम	1	10	4	1	-	16
एक से तीन लाख के मध्य	42	56	6	24	6	134
तीन से पांच लाख के मध्य	112	-	-	12	-	124
पांच से सात लाख के मध्य	43	-	-	-	-	43
ऑफ-रोड की गई बसों की कुल संख्या	198	66	10	37	6	317 ¹³⁹

(स्रोत: विभागीय अभिलेख से ली गई सूचना)

¹³⁷ ऑफ-रोड 317 बसों ने 7,00,000 किलोमीटर की न्यूनतम अपेक्षित औसत कवरेज के विरुद्ध औसतन 3,22,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी।

¹³⁸ प्रति बस की औसत लागत और आनुपातिक किलोमीटरों जो कवर नहीं किया गया के आधार पर परिकल्पित किया गया है।

¹³⁹

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
बसों की संख्या	1	0	13	36	16	72	39	78	62	317

बसों के कम उपयोग के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹ 48.81 करोड़ की हानि हुई जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

क. सामान्य सी.एन.जी. बसें - विभाग ने मई 2006 से मार्च 2008 के दौरान ₹ 41.13 करोड़ की लागत पर 250 सामान्य सी.एन.जी. बसें खरीदीं। ये बसें हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में आने वाले 9 डिपुओं को आबंटित की गई थीं। 31 मार्च 2018 तक, केवल 35 बसें (दिल्ली डिपो-26, सोनीपत डिपो-7 और रेवाड़ी डिपो-2) क्रियाशील थीं और शेष 215 बसें ऑफ-रोड थीं। यह देखा गया कि 198 बसें 57 प्रतिशत के औसत उपयोग के बाद समयपूर्व रोक ली गईं। डिपुओं द्वारा इन बसों को ऑफ-रोड किए जाने का मुख्य कारण, तकनीकी समस्याएं, महंगी मरम्मत/रख-रखाव, तीन¹⁴⁰ डिपुओं में सी.एन.जी. की अनुपलब्धता और छः¹⁴¹ डिपुओं में तकनीकी स्टाफ/ड्राइवरों की कमी बताया गया। विभाग द्वारा इन बसों को उन डिपुओं को हस्तांतरित करने पर विचार नहीं किया जहां सी.एन.जी. उपलब्ध थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि केवल दिल्ली डिपो निजी पंपों से सी.एन.जी. का प्रबंध करके, वर्कशाप के मैकेनिकों को प्रशिक्षण देकर और आउटसोर्सिंग के माध्यम से तकनीकी कर्मचारियों को लेकर बसों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सफल रहा। दिल्ली डिपो को आबंटित 40 बसों का औसत उपयोग 97 प्रतिशत था, जबकि अन्य डिपुओं को आबंटित बसों के उपयोग की सीमा केवल 49 प्रतिशत और 77 प्रतिशत के मध्य रही। यह भी अवलोकित किया गया कि क्रियाशील न होने के कारण 198 ऑफ-रोड बसों में से 134 बसों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आर.सी.) संबंधित डिपुओं के महाप्रबंधकों द्वारा नवंबर 2013 से सितंबर 2017 के दौरान आर.टी.ओ. को वापस दे दिए गए। इसके लिए मुख्यालय की स्वीकृति नहीं ली गई। बसों के कम उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 14.06 करोड़ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, अक्रियाशील बसों की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही थी।

ख. सेमी-लो फ्लोर सी.एन.जी. बसें- महानिदेशक, राज्य परिवहन (डी.जी.एस.टी.) ने फरवरी 2010 और अप्रैल 2013 के मध्य ₹ 52.55 करोड़ की लागत से 115 सेमी-लो फ्लोर सी.एन.जी. बसें (85 गैर-ए.सी. और 30 ए.सी.) खरीदी और इन बसों को फरीदाबाद में सिटी बसों के रूप में परिचालित किया। 85 गैर-ए.सी. बसों में से 40 बसें केवल 23.15 प्रतिशत के औसत उपयोग के बाद जून 2012 से दिसंबर 2017 के दौरान समयपूर्व ऑफ-रोड कर दी गईं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 13.42 करोड़ की हानि हुई। 30 ए.सी. बसों में से 26 बसें 26.37 प्रतिशत के औसत उपयोग के साथ पांच से छः वर्षों के कार्यचालन के बाद जून 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान समयपूर्व ऑफ-रोड कर दी गईं। परिणामस्वरूप ₹ 9.86 करोड़ की हानि हुई।

¹⁴⁰ रोहतक, नारनौल और पानीपत।

¹⁴¹ रेवाड़ी, नारनौल, गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत और पानीपत।

जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया, बसें खराब इंजन, दोषपूर्ण बेलून बियरिंगज, अधिक मोबाईल उपभोग इत्यादि जैसी विभिन्न तकनीकी कमियों के कारण संतोषपूर्वक काम नहीं कर सकी। बसें विभाग के पुराने आपूर्तिकर्ता मैसर्स अशोक लेलैंड से खरीदी गई थीं। विभाग अपनी कार्यशाला में या वारंटी अवधि के बाद वार्षिक रख-रखाव अनुबंध करके बसों की दैनिक तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रहा। इन 66 बसों को समयपूर्व रोके जाने के परिणामस्वरूप ₹ 23.28 करोड़ की हानि हुई।

ग. लो-फ्लोर ए.सी. सी.एन.जी. बसें - डी.जी.एस.टी. ने गुरुग्राम शहर में स्थानीय परिचालन तथा दिल्ली मेट्रो के साथ-साथ दिल्ली के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़ने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) द्वारा प्रदान की गई निधियों से ₹ 4.66 करोड़ की लागत से दस बसें खरीदी (दिसंबर 2007)। ये बसें दिसंबर 2011 तक परिचालन में रही और उपयोग केवल नौ तथा 23 प्रतिशत के मध्य था। गुरुग्राम डिपो के महाप्रबंधक ने डी.जी.एस.टी. को सूचित किया (सितंबर 2016) कि बसें उन्नत प्रौद्योगिकी की थी और उनका रख-रखाव एवं मरम्मत विभाग की कार्यशालाओं में नियुक्त मैकेनिकों की तकनीकी योग्यता से परे था। वारंटी अवधि के दौरान भी उनका परिचालन असंतोषजनक था। 10 लो-फ्लोर ए.सी. सी.एन.जी. बसों में से पांच बसों की नीलामी जनवरी/फरवरी 2018 में की गई। मुख्यालय से अनुमोदन के अभाव में शेष 5 बसों की नीलामी नहीं की जा सकी और अभी भी डिपो के पास थीं (अगस्त 2018)।

यह अवलोकित किया गया कि वारंटी अवधि के दौरान पाई गई खराबियां निर्माता द्वारा सुधार दी गईं। उसके बाद जी.एम., गुरुग्राम ने बसों के रख-रखाव के लिए वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) करने के लिए डी.जी.एस.टी. से अनुरोध किया। परन्तु, न तो मैकेनिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और न ही ए.एम.सी. को अंतिम किया गया। अतः जी.एम. ने बसों को ऑफ-रोड कर दिया।

इस प्रकार, कार्यशालाओं की तकनीकी क्षमता के मूल्यांकन के बिना अत्याधुनिक बसों की खरीद और बाद में इन बसों के लिए ए.एम.सी. का प्रबंध करने में विफलता के परिणामस्वरूप इन बसों को ऑफ-रोड करने से ₹ 3.91 करोड़ की हानि हुई।

घ. ए.सी. बसें - डी.जी.एस.टी. ने मैसर्स अशोक लेलैंड से एयरकंडीशंड बसों के 50 चैसिज के लिए आपूर्ति आदेश दिया। इन बसों को मैसर्स एच.एम.एम. कोचिज, अंबाला से तैयार करवाया जाना था। परन्तु, बसों में खराबियों के कारण आपूर्ति आदेश अधूरा ही समाप्त कर दिया गया (जून 2009) और अप्रैल 2009 से नवंबर 2010 के दौरान ₹ 11.29 करोड़ की लागत से केवल 37 ए.सी. बसें खरीदी गईं और आठ¹⁴² डिपुओं को आबंटित की गईं। चूंकि, तकनीकी कारणों से ये बसें बार-बार खराब हो जाती थीं अतः ऑफ-रोड करनी पड़ीं। मार्च 2015 से बसें परिचालित नहीं हुईं।

¹⁴² (i) चण्डीगढ़, (ii) दिल्ली, (iii) रोहतक, (iv) हिसार, (v) गुरुग्राम, (vi) सिरसा, (vii) नारनौल और (viii) रेवाड़ी।

डी.जी.एस.टी. ने इन बसों की समयपूर्व निरस्तगी का मामला राज्य सरकार के साथ उठाया (अक्टूबर 2013)। मुख्यमंत्री ने निरस्तगी को अनुमोदित करते समय (अक्टूबर 2013) निदेश दिया कि विभाग, इन बसों की खरीद के समय समुचित मूल्यांकन न करने के लिए उत्तरदायित्व नियत करे। फिर भी, मई 2018 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 37 बसें अभी भी बिना निपटान के डिपुओं के पास ही थीं (मार्च 2018)।

इस प्रकार, तकनीकी रूप से खराब बसों की खरीद के कारण विभाग ने ₹ 7.08 करोड़ की हानि उठाई।

ड. मिनी बसें- डी.जी.एस.टी., हरियाणा ने ₹ 63 लाख की लागत से छः मिनी बसें खरीदी (दिसंबर 2010) और उन्हें चण्डीगढ़ डिपो को आबंटित कर दिया। उपयोग की प्रतिशतता 15 और 32 प्रतिशत के मध्य रही। ये बसें जुलाई 2015 से परिचालित नहीं की गई थीं और डिपो में खड़ी थीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 48.19 लाख की हानि हुई। प्रबंधन ने असंतोषजनक परिचालन के लिए बार-बार खराब होने और दोषपूर्ण एमिशन नियंत्रण प्रणाली, जिसकी मरम्मत विभागीय कार्यशाला में संभव नहीं थी, को जिम्मेदार ठहराया। आपूर्ति आदेश की धारा 15 के अनुसार निर्माता द्वारा मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित था। परन्तु, विभाग इस मामले को निर्माता के साथ उठाने में विफल रहा।

बीमा एवं रोड टैक्स का परिहार्य भुगतान

विभाग ने इन बसों को ऑफ-रोड करने के बाद बीमा और रोड टैक्स पर क्रमशः ₹ 1.36 करोड़ और ₹ 0.55 करोड़ की राशि का परिहार्य¹⁴³ भुगतान किया।

कार्यशालाओं का कार्यचालन

छः डिपुओं¹⁴⁴ की कार्यशालाओं, जहां अधिकतर सी.एन.जी. और ए.सी. बसें आबंटित की गई थी, की नमूना-जांच में पाया गया कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान स्टाफ की कमी 23 और 75 प्रतिशत के मध्य थी तथा कुल कमी 53.63 प्रतिशत थी। विभाग उपलब्ध स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक पहल करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप स्टाफ की तकनीकी दक्षता आवश्यकता से कम रही।

इस प्रकार, खरीद से पहले बसों की तकनीकी विशिष्टताओं की अनुकूलता के समुचित मूल्यांकन के अभाव में, जनवरी 2006 से अप्रैल 2012 के दौरान खरीदी गई लगभग 76 प्रतिशत बसें समयपूर्व ऑफ-रोड कर दी गईं जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 48.81 करोड़ की हानि हुई।

¹⁴³ जिस वर्ष में वाहन को ऑफ-रोड कर दिया गया था, उस वर्ष के लिए किए गए भुगतान को नजरंदाज करने बाद गणना की गई है।


¹⁴⁴ (i) फरीदाबाद, (ii) गुरुग्राम, (iii) दिल्ली, (iv) सोनीपत, (v) पानीपत और (vi) चण्डीगढ़।

बसें उच्चतर प्राधिकारियों से अनुमोदन के अभाव में निरस्तगी के बिना संबंधित डिपुओं में खड़ी थीं। विभाग ने ऑफ-रोड़ बसों के बीमा और रोड़ टैक्स के कारण ₹ 1.91 करोड़ का परिहार्य भुगतान भी किया।

राज्य सरकार तकनीकी विशिष्टताओं की उपयुक्तता का आकलन किए बिना इन बसों की खरीद के लिए जिम्मेदारी तय करने पर विचार कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप बसों को समय से पहले ऑफ-रोड़ कर दिया गया।

मामला जून 2018 में राज्य सरकार के पास भेजा गया था तथा जुलाई 2018 में अनुस्मारक जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2019)।


चण्डीगढ़
दिनांक: 21 अगस्त 2019



(पूनम पाण्डेय)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 28 अगस्त 2019



(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक